

Vol. 270
No. 16



Wednesday,
11 March, 2026
20 Phalguna, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 – 4)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry – *Presented* (page – 4)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel – *Laid on the Table* (page – 4)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment – *Laid on the Table* (pages 4 – 5)

Matters raised with permission –

Need to address consumers' concerns regarding telecom recharge practices and connectivity (pages 6 – 7)

Need to promote and celebrate the Jagannath Temple in Digha as a major pilgrimage and Cultural Centre (pages 7 – 9)

Need for promoting sustainable tourism in Himachal Pradesh (pages 9 – 10)

Need to mandate 13 days of paid bereavement leave for employees to perform last rites in accordance with Sanatan traditions (pages 10 – 11)

Concern over immigration frauds targeting Indian youth and need to ensure safety and evacuation of Indians from the Iran-Israel conflict region (pages 11 – 12)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Need to include the study of the Constitution in school curriculum (pages 12 - 13)

Need for permanent Event Infrastructure to reduce recurrent administrative costs (pages 14 – 15)

Concern over the proposed relocation of Puri District Court (pages 15 – 16)

Demand for construction of a railway underpass between Janghai and Nibhapur stations (page 16)

Concern over the challenges faced by the bus body building MSME Sector due to costly prototype testing (pages 17 – 18)

Concern over large-scale land acquisition for mining projects in tribal areas and its impact on tribal livelihoods (pages 18 – 19)

Alleged protocol violation during the visit of the President to West Bengal (pages 19 – 21)

Concern over safety of Indian students studying abroad (pages 21 – 22)

Demand for regular air connectivity and night landing facility at Amravati Airport in Maharashtra (pages 22 – 23)

Concern over inadequate Internet connectivity in rural and remote areas (pages 23 – 24)

Need to accelerate economic development of Meerut through RRTS Infrastructure (pages 24 – 25)

Concern over traffic congestion on Sardar Patel Marg affecting connectivity to Indira Gandhi International Airport (pages 25 – 26)

Concern over shortage of beds, doctors and critical care facilities in Government hospitals across the country (pages 26 – 27)

Need for accelerated industrialisation in the Barak Valley in Southern Assam (pages 28 – 29)

Need to strengthen organ donation framework and removing systemic bottlenecks (page 29)

Website : <http://rajyasabha.nic.in>
<https://sansad.in/rs>
E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

Oral Answers to Questions (pages 30 – 73)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part—I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

Discussion on the Working of the Ministry of Rural Development— *Not concluded* (pages 74 – 134)

Special Mentions—

Demand to include Maratha Military Landscapes in the UNESCO World Heritage List (page 134)

Need for a mandatory national legal framework to address bullying and cyberbullying in schools (page 135)

Need for expansion of *Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras* through collaboration with the Department of Posts for affordable medicines (page 136)

Concern over India's missing protocol on Maternal Mental Health (pages 136 – 137)

Concern over repeated disturbances of Indo-Myanmar Border fencing along Manipur Sector (pages 137 – 138)

Concern over disturbances in LPG gas supply (page 138)

Demand for expediting the issue of NOC from Airport Authority of India for building construction in Puducherry (pages 138 – 139)

Demand for providing government assistance for transporting the mortal remains of Indian Citizens from airports to their homes (pages 139 – 140)

Need to expand affordable housing for working women nationally (pages 140 – 141)

Demand for inclusion of tenant farmers from Goa under *PM-KISAN Samman Nidhi* Scheme (page 141)

Demand for setting up an AIIMS in Kozhikode, Kerala (page 142)

Demand for inclusion of Alandi under the Temple Town Development Framework (pages 142 – 143)

RAJYA SABHA

Wednesday, the 11th March, 2026/20 Phalguna, 1947 (Saka)

*The House met at eleven of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

Notifications of the Ministry of Home Affairs

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 213., dated the January 4 — January 10, 2026 (Weekly Gazette), publishing the Ministry of Home Affairs, Assam Rifles, Naib Subedar Store Keeper Technical (Electrical and Mechanical Engineers), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025, under Section 167 of the Assam Rifles Act, 2006.

[Placed in Library. See No. L.T. 6426/17/26]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Home Affairs, under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968: -

- (1) G.S.R. 69(E)., dated the 29th January, 2026, publishing the Border Security Force Combatised Para-Medical Cadre (Group 'C') posts Recruitment Rules, 2026.
- (2) G.S.R. 96(E)., dated the 3rd February, 2026, publishing the Border Security Force, Assistant Commandant (Official Language) Group 'A' Combatised post Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No. L.T. 6491/18/26]

Report and Accounts (2024-25) of NFSU, Gandhinagar, Gujarat and related papers

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडी संजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 36 and sub-section (3) of Section 38 of the NFSU Act, 2020:-

(a) Annual Report and Accounts of the National Forensic Sciences University (NFSU), Gandhinagar, Gujarat, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6492/18/26]

Reports and Accounts (2024-25) of CSU, New Delhi; SLBSNSU, New Delhi; NSU, Tirupati, Andhra Pradesh; SPA, Vijayawada, Andhra Pradesh; MSRVVP, Ujjain, Madhya Pradesh and related papers

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकांत मजूमदार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 31 and sub-section (4) of Section 32 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Central Sanskrit University (CSU), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above University.

[Placed in Library. See No. L.T. 6479/18/26]

(ii) (a) Annual Report of the Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University (SLBSNSU), New Delhi, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University (SLBSNSU), New Delhi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above University.

[Placed in Library. See No. L.T. 6481/18/26]

(iii) a) Annual Report of the National Sanskrit University (NSU), Tirupati, Andhra Pradesh, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the National Sanskrit University (NSU), Tirupati, Andhra Pradesh, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon

(c) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6482/18/26]

(B) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 25 of the School of Planning and Architecture Act, 2014: -

(a) Annual Report and Accounts of the School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada, Andhra Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above School.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6478/18/26]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(a) Annual Report of the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan (MSRVVP), Ujjain, Madhya Pradesh, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan (MSRVVP), Ujjain, Madhya Pradesh, for the year 2024-25, and

the Audit Report thereon.

- (c) Review by Government on the working of the above Pratishthan.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6480/18/26]

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

SHRI NEERAJ DANGI (Rajasthan): Sir, I present the following Reports (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry:-

- (i) 332nd Report on Demands for Grants (2026-27) pertaining to the Ministry of Heavy Industries; and
- (ii) 333rd Report on Demands for Grants (2026-27) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

SHRI ANIL KUMAR YADAV MANDADI (Telangana): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Eighteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel on 'Demands for Grants (2026-27)' pertaining to the Ministry of Coal.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

SHRI RAMJI (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2025-26):-

- (i) Seventeenth Report of the Committee on ‘Demands for Grants (2026-27)’ of the Ministry of Social Justice and Empowerment pertaining to Department of Social Justice and Empowerment;
 - (ii) Eighteenth Report of the Committee on ‘Demands for Grants (2026-27)’ of the Ministry of Social Justice and Empowerment pertaining to Department of Empowerment of Persons with Disabilities;
 - (iii) Nineteenth Report of the Committee on ‘Demands for Grants (2026-27)’ of the Ministry of Tribal Affairs; and
 - (iv) Twentieth Report of the Committee on ‘Demands for Grants (2026-27)’ of the Ministry of Minority Affairs.
-

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Listed Matters raised with Permission. Zero Hour. Shri Raghav Chadha ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I had given*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Raghav Chadha. ...*(Interruptions)*... It is not listed, Mr. Tiruchi Siva. ...*(Interruptions)*... It has not been accepted. Now, Mr. Raghav Chadha. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA (Punjab): Sir, I am ready to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ruling has already been given by hon'ble Chairman. ...*(Interruptions)*... Mr. Raghav Chadha, it is Zero Hour. Are you availing it or not? ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I want to*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, please speak. ...*(Interruptions)*... Speak on the subject. ...*(Interruptions)*... राघव जी, आप बोलें। आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...*(व्यवधान)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: *...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, I will move to other Members. ...(Interruptions)... You speak from your place. The mike is on. ...(Interruptions)... You speak. Otherwise, I will call some other Member. ...(Interruptions)... Raghavji, please speak. ...(Interruptions)... You cannot obstruct him. Yes, Raghavji, you speak. Only that will go on record. ...(Interruptions)... Mr. Raghav Chadha, you speak. You are losing your time.

Need to address consumers' concerns regarding telecom recharge practices and connectivity

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): उपसभापति महोदय, ट्राई का डेटा बताता है कि भारत में 125 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिसमें से 90 परसेंट प्रीपेड प्लान के यूजर्स हैं। ...(व्यवधान)... आज मैं प्रीपेड प्लान के मोबाइल यूजर्स की ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूँ। पहली समस्या यह है कि रीचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ-साथ इनकमिंग कॉल का बंद होना। जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रीचार्ज की वैलेडिटी खत्म होती है, तो आपकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record, Tiruchiji. ...(Interruptions)...

श्री राघव चड्ढा: फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा है, तो रीचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग बंद होना समझ में आता है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन, जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू की कॉल, हॉस्पिटल की कॉल, गांव से माँ-बाप की कॉल आदि तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती हैं, लेकिन वह इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रीचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना is not just stopping of a service, यह हमारे right to communication को स्टॉप करने जैसा है। जिस तरह आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल्स अपडेट नहीं कीं, आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता, क्योंकि आपने मंथली डिपोजिट जमा नहीं किया, आपका वोटर कार्ड इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता, क्योंकि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह से आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डिएक्टिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक रीचार्ज कराना भूल गए।

सर, मैं इस सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ कि इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी तीन स्पेसिफिक मांगें हैं। पहली मांग है कि prepaid mobile connection में इनकमिंग कॉल और

* Not Recorded.

इनकमिंग एसएमएस कम से कम एक साल तक कंटीन्यू रहे, वह चलता रहे, from the date of the last recharge, ताकि essential communication चलती रहे। मेरी दूसरी मांग है, deactivation of the mobile number after three years. ऐसा न हो कि आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। इसके लिए कम से कम तीन साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए from the date of the last recharge. The third demand is that the mobile operator should introduce a low-cost, incoming only-plan. वे लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं, उनके लिए इस तरह से तय होना चाहिए, जैसे कि दस रुपये में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी हो। मोबाइल ऑपरेटर्स को इस प्रकार की schemes लानी चाहिए।

महोदय, दूसरी समस्या, जो prepaid customers face करते हैं, वह है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज करना। साल में बारह महीने होते हैं, लेकिन 28 दिन के रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। यह कैसे होता है? Sir, 28 day, 13 times, equals 364 days. यह एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकल 30 या 31 दिन कैलेंडर मंथ के हिसाब से होता है। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली, पानी, गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से देनी होती हैं, लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स आपको 28 दिन के महीने के हिसाब से रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि आपको साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे भी समाप्त किया जाएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Raghav Chadha: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Madan Rathore (Rajasthan) and Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana).

Need to promote and celebrate the Jagannath Temple in Digha as a major pilgrimage and Cultural Centre

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Sir, Lord Jagannath Temple in Digha is not merely a structure of brick and mortar. It is a beacon of a civilization, a culture and a philosophy of faith that Bengal has nurtured for centuries. Inaugurated less than a year ago, built in a majestic Kalinga architectural style, the temple has already drawn nearly one crore visitors from more than 150 countries. On *Akshay Tritiya*, April

30, 2025, Bengal opened the gates of the Jagannath Temple, 213 feet of devotion rising from the shores of the Bay of Bengal, and the people responded. There were one crore devotees in just eight months. Nearly 50,000 pilgrims visit every day, turning what was once a quiet seaside town into one of India's fastest rising spiritual destinations. Hotels are full, livelihoods are growing and the local economy is thriving.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

This is people's faith in motion. This is not propaganda. This is pure *bhakti*. It is not a temple built to divide, intimidate or score political points. Bengal said something very simple and very profound. We do not weaponize faith. We live it. Across our land, across Bengal, stand the symbols of pluralism, the tomb of Mother Teresa, Nakhoda Masjid, Belur Math and ISCKON temple. *Azan* and temple bells, *keertan* and *qawwali*, sufi, buddhist, sikh, all coexist in Bengal's spiritual vibrancy, because Bengal is the land of Ramakrishna Paramhansa who taught us '*jato mat thatho path*', 'many roads, one God'. Bengal is the land of Chaitanya Mahaprabhu whose message teaches us 'humbler than grass, more tolerant than a tree'. Bengal is the land of Swami Vivekananda who warned us that while superstition may be the great enemy of man, bigotry is far worse. Bengal is the land of Rabindranath Tagore who reminded us that the world is a united stream of life. For centuries our philosophy has echoed the ancient truth - *Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti*; truth is one, the wise call it many names. And that truth is lived in Bengal every day. The Jagannath temple in Digha welcomes every caste, every creed, every community; it is open and inclusive, without gate-keeping. Our Chief Minister's words capture perfectly 21st century modern secularism — *dharma jar jar, utsab shabar* — which means, everybody has their personal religion, but we celebrate festivals together. The Jagannath tradition is a civilisational bridge between Bengal and Odisha. Countless pilgrims undertake journey along the coast and show that there is spiritual sharing between Bengal and Odisha. This is Bengal's heartbeat; people-powered devotion. We do not build temples to frighten minorities. We do not build temples to manufacture enemies. We do not build temples to claim monopoly over faith. The Jagannath Temple stands as proof that Bengal's spirituality is expansive, confident, fearless and welcoming the world, while safeguarding its plural soul. Sir, I invite every Member of this august House, including you, to please visit Lord Jagannath in Digha. *Jai Jagannath! Jai Bangla!*

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shrimati Sagarika Ghose: Shri Saket Gokhale

(West Bengal), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjana Bishi (Odisha) and Shri P. Wilson (Tamil Nadu).

Need for promoting sustainable tourism in Himachal Pradesh

SHRI HARSH MAHAJAN (Himachal Pradesh): Hon'ble Chairman Sir, Himachal Pradesh is one of India's most important tourism destinations. In last year alone, Himachal welcomed nearly 1.8 crore domestic and 80,000 foreign visitors. This sector contributes greatly to the State's GDP, sustaining lakhs of livelihood. Himachal has ranked in India's most welcoming region in the last three years and is among the global ten in the Booking.com Traveller's Review Awards. Himachal's religious tourism potential is immense. Sacred shrines like Jwalaji, Chintpurni, Naina Devi and Chamunda attracts lakhs of pilgrims alongside the spiritual Manimahesh, Kinner Kailash Yatras and Chamba's Lakshmi Narayan Temple. Furthermore, Dharamshala, home to His Holiness, the Dalai Lama, and the ancient Monasteries of Lahaul Spiti, make the State a global hub for Buddhist tourism. The State also offers world-class adventure tourism for paragliding from Bir Billing to trekking in Spiti and Kinnaur and skiing in Solang Valley. I would like to thank the hon. Prime Minister and the Government of India for strengthening tourism through initiatives such as Swadesh Darshan and PRASHAD, improving connectivity and promoting development. The Union Budget has also announced the development of trekking routes which will further benefit Himachal Pradesh. However, we must address the weaknesses of the Himalayan ecosystem. Recent disasters, including cloudbursts and landslides, serve as a stark reminder that our growth must be balanced. Challenges such as unplanned construction, waste management, parking and traffic congestion in our hills require urgent scientific intervention to protect the environment and the people. At the same time, tourists themselves must act responsibly. The Himalayas are not a place for littering plastic, damaging forests or creating disorder. Visitors must respect local culture, communities and environment. I request the Government of India to continue its support by integrating environmental safeguards and infrastructure development. By fostering a model of responsible and sustainable tourism, we can ensure that the Dev Bhoomi remains for centuries and generations to come. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Harsh Mahajan: Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Dr. Meenakshi

Jain (Nominated), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Need to mandate 13 days of paid bereavement leave for employees to perform last rites in accordance with Sanatan traditions

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आज मैं सनातन परम्परा की रक्षा के संदर्भ में एक ऐसी समस्या को उजागर करना चाहता हूँ, जो भारत के लाखों सनातनी कर्मचारियों के जीवन में एक संकट बनकर उभरी है। जब कोई अपने माता-पिता को खो देता है, तब उसे एक असम्भव विकल्प का सामना करना पड़ता है कि वह अपने धर्म का पालन करे या अपनी नौकरी बचाए। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के वर्तमान श्रम कानूनों में सवैतनिक शोक अवकाश के लिए कोई प्रावधान या दिशानिर्देश नहीं हैं, जबकि अन्य देशों, जैसे कनाडा, जर्मनी आदि तमाम देशों में इस प्रकार का प्रावधान है।

महोदय, मैं सदन के सामने तीन प्रमुख आधार रखना चाहता हूँ। पहला, हमारे शास्त्रों में माता-पिता की सेवा और उनकी मृत्यु के बाद के कर्तव्यों को पितृ ऋण से मुक्ति का एकमात्र मार्ग बताया गया है। भारतवर्ष ज्ञान परम्परा के साथ धर्म निष्ठपूर्ण समाज के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद अग्नि को जातवेदस के रूप में संबोधित करता है, जो मृतक के सूक्ष्म शरीर को पितरों तक पहुंचाने के लिए उसे संस्कारित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद प्रथम दस दिन प्रेतत्व की अवस्था, 13वें दिन की तेरहवीं और शुद्धि हवन के बाद ही परिवार पुनः समाज में लौटने के योग्य होता है। अथर्ववेद के 18वें कांड में मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पुत्र को माता-पिता का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य है। यह केवल परिवार की भावना का विषय नहीं, बल्कि यह धर्म है और हमारे शास्त्रों द्वारा आर्धारित अनिवार्य कर्तव्य है।

हमारा दूसरा आधार यह है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि शोक में डूबा कर्मचारी 50 प्रतिशत तक कम उत्पादक होता है। इस प्रतिस्पर्धा में विशेषकर सरकारी नौकरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एमएनसी और निजी क्षेत्रों में एक डरावना ट्रेंड उभरकर आ रहा है। काम के भारी बोझ और 'Always On' डिजिटल संस्कृति के कारण बच्चे अपने माता-पिता के अंतिम संस्कारों को मात्र 2 या 3 दिन में समेटने को मजबूर हैं। यह स्थिति न केवल धार्मिक दृष्टि से विनाशकारी है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। जब वह अधूरी रस्म के साथ लौटता है, तो वह शरीर से वहां होता है और वह मन में ग्लानि और अपराध बोध से दबा होता है। हम इंसान तैयार कर रहे हैं या मशीनें? मान्यवर, हमारा इस संदर्भ में कहना है कि हमारी परम्पराओं को अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करने का बीड़ा भी घर के वरिष्ठ सदस्य के ऊपर होता है। जो आचरण वे करेंगे, वही भी अगली पीढ़ी सीखेगी।

हमारा तीसरा आधार यह है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अभी हाल में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि माता-पिता का अंतिम संस्कार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक

मौलिक अधिकार है। इसके तहत उन्होंने छुट्टी का प्रावधान किया है। वेतन समिति ने भी, जो 5वीं संसदीय समिति थी, उसने भी शोक अवकाश की सिफारिश की है।

महोदय, मैं भारत सरकार के एमएनसी, निजी क्षेत्र में अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों के लिए 13 दिन का अनिवार्य सवैतनिक शोक अवकाश के संबंध में आग्रह करता हूँ। इसको आकस्मिक या अर्जित अवकाश (ईएल) से अलग रखा जाए, ताकि कोई भी भारतीय अपनी आजीविका और अपने धर्म के बीच चुनाव करने को विवश न हो।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the Zero Hour mention made by hon. Member, Dr. Dinesh Sharma: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh) and Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh).

Now, Dr. Ashok Kumar Mittal.

Concern over immigration frauds targeting Indian youth and need to ensure safety and evacuation of Indians from the Iran-Israel conflict region

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब): सभापति महोदय, हमारे देश के युवा बेहतर रोजगार और विदेशी यूनिवर्सिटियों में अच्छी शिक्षा का सपना लेकर विदेश जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार फर्जी इमीग्रेशन एजेंसियों, फर्जी जॉब एजेंसियों और नकली एडमिशन में फंस जाते हैं। सर, केवल चंडीगढ़ में ही पिछले 5 वर्षों में इमीग्रेशन फ्रॉड के 433 केसों में 74 करोड़ रुपये की ठगी हुई। सरकार ने 3 हजार एजेंटों को ई-पोर्टल पर अवैध घोषित किया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया द्वारा उनको गुमराह करके विदेशों में भेज दिया जाता है। सर, इसके परिणामस्वरूप साउथ-ईस्ट एशिया में 20 हजार भारतीय युवा बंधक बनकर in-human कंडिशन में रह रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 202 भारतीय युवाओं को धोखे से रूसी सेना में भर्ती करवा दिया गया, जिनमें से 26 युवाओं की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान के अजय गोदारा, उत्तराखंड के राकेश कुमार जैसे लोगों ने अपनी जान दे दी। अब ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण हमारे नागरिक फिर खतरे में आ गए हैं। Gulf of Oman में टैंकर पर हुए हमले में बिहार के कैप्टन आशीष कुमार, मुम्बई के दीक्षित सोलंकी को हमने खो दिया है और राजस्थान के दिलीप सिंह आज भी लापता है। सर, त्रासदी देखिए कि शहीद सोलंकी का पार्थिव शरीर उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा जा रहा है। सर, मुझे समझ नहीं आता है कि हम आग लगने के बाद क्यों कुआं खोदते हैं! सर, आज कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद हैं, एयरस्पेस बंद हैं। 12 हजार भारतीय यूएई वगैरह में फंसे हुए हैं।

सर, इन सब को देखते हुए सर मेरी सरकार से तीन मांगे हैं। एक स्थायी Global Safety Protocol बनाया जाए, ताकि दुनिया के किसी युद्ध में फंसे भारतीयों को तुरंत सुरक्षित निकाला जा सके और वे अपनी सूचना वहां दे पाएं। दूसरा, विदेशी यूनिवर्सिटी की प्रामाणिकता जांच के लिए एक एजुकेशन पोर्टल बनाया जाए, ताकि विदेशी छात्र वहां जाने से पहले उस विश्वविद्यालय के बारे में जांच कर सकें। तीसरा, विदेशी रोजगार के लिए अलग वेरिफाइड पोर्टल बनाया जाए, ताकि कोई भी जॉब में जाने से पहले उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जान सके।

सर, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी प्रो-एक्टिव अप्रोच हमेशा नहीं होती है, वह होनी चाहिए। मेरा सरकार से यह यह निवेदन है कि हम अपनी अप्रोच को देखते हुए पहले ही सिस्टम बनाएं, ताकि बार-बार जो हमारे भारतीय विदेशों में जाकर फंस जाते हैं, उनको यह त्रासदी न झेलनी पड़े, माता-पिता को अपने बच्चों के पार्थिव शरीर न देखने पड़ें, हमारे लोग कहीं भी गलत एजुकेशन और गलत नौकरी के झांसे में आकर अपनी जिंदगी तबाह न करें और पेरेंट्स की जो जमीनें बिक जाती हैं, ऐसा न हो।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the Zero Hour mention made by hon. Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Narain Dass Gupta (National Capital Territory of Delhi), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar) and Shri Khiru Mahto (Bihar).

Now, Shri Ramji Lal Suman.

Need to include the study of the Constitution in school curriculum

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, जय संविधान! बाबा साहेब डा. अम्बेडकर अमर रहें! सभापति जी, मैं आपके मार्फत विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में नई पीढ़ी के संस्कार समृद्ध हों, हमारा देश एक समृद्ध राष्ट्र बने, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में संविधान को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। सभापति जी, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने लिखा है कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे लागू करने वाले यदि अच्छे नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वह संविधान बुरा ही होगा। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान में हमने देश को एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य स्वीकार किया है। सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जान-बूझ कर कुछ सांप्रदायिक शक्तियां हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नष्ट करने में लगी हैं। ये जो

सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये शपथ तो संविधान की खाते हैं; ये लोग जो बैठे हैं, इन्होंने भी शपथ संविधान ही खाई है; लेकिन हमारे देश का जो सामाजिक ताना-बाना है, हमारे देश की जो गंगा-जमुनी संस्कृति है, वह यह है कि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होगा, हमारे देश का वह जो चरित्र है, उस चरित्र को ये नष्ट करने में लगे हैं।

MR. CHAIRMAN: You should not deviate from the subject. ...(*Interruptions*)...

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: He is deviating from the subject. ...(*Interruptions*)...

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति महोदय, ये वे लोग हैं, जिन्होंने न कभी अम्बेडकर जी को स्वीकार किया, न कभी संविधान को स्वीकार किया। आज हालत क्या है!

MR. CHAIRMAN: No, no. You talk about inclusion of the Constitution in the school curriculum. Don't talk about anything else, please.

श्री रामजी लाल सुमन: सभापति जी, हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो मूल भावना है, वह यह है कि जो हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य हैं और जंग-ए-आजादी में हमारा जो संकल्प रहा है, वही संविधान की मूल भावना है। सभापति जी, मैं आपके मार्फत यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ये जो देश को, समाज को विकृत करना चाहते हैं, उस पर लगाम लगे, हमारे देश में एक स्वस्थ समाज बने, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में संविधान को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Ramji Lal Suman: Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Baburao Golla (Andhra Pradesh), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri P.P. Suneer (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri Ramji (Uttar Pradesh).

Shriman Neeraj Dangi.

Need for permanent Event Infrastructure to reduce recurrent administrative costs

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में यह महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, हर बार जब प्रधान मंत्री या कोई वीवीआईपी नेता किसी जिले या किसी राज्य में जन सभा करते हैं, तो जो प्रशासनिक अमला है, वह महीनों पहले से तैयारी में जुट जाता है। करोड़ों रुपए अस्थायी मंच, पंडाल, टेंट, लाइट, ध्वनि व्यवस्था, बैरिकेडिंग, शौचालय, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम आदि पर खर्च हो जाते हैं। वह एक दिन के कार्यक्रम के लिए ही होता है और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये तमाम व्यवस्थाएं हटा दी जाती हैं, जो लगभग बेकार हो जाती हैं। यह सिर्फ एक कार्यक्रम की बात नहीं है, देश भर में हर साल सैकड़ों वीवीआईपी सभाएं होती हैं, जिनमें कई बार एक ही मैदान या एक ही स्थल को बार-बार उपयोग में लाया जाता है, लेकिन फिर भी हर बार करोड़ों रुपए अस्थायी ढांचे खड़े करने में खर्च हो जाते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बार-बार एक ही स्थान पर कार्यक्रम होते हैं, तो क्यों नहीं स्थायी संरचनाएं तैयार की जाएं। ये स्थायी ढांचे, संरचनाएं एक व्यावहारिक समाधान है। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रमुख जिलों में बार-बार एक ही मैदान या एक ही स्थान पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां यदि स्थायी मंच, स्थायी वीआईपी गैलरी, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा दीवारें, विद्युत एवं ध्वनि व्यवस्था, शौचालय, जल और सुरक्षा प्रबंधन जैसी सुविधाओं की पूर्व में ही स्थायी व्यवस्था कर दी जाए, तो न केवल बड़ी मात्रा में सरकारी धन की बचत हो सकती है, बल्कि आयोजन की गुणवत्ता, प्रशासनिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक सुदृढ़ हो सकती है। ये स्थायी संरचनाएं सिर्फ प्रधान मंत्री या वीवीआईपी की सभाओं के लिए ही नहीं, बल्कि जनहित के अन्य आयोजनों में बहुउपयोगी साबित हो सकती हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, प्रवचन, खेल प्रतियोगिताएं, स्थानीय चुनाव आदि में भी ये उपयोग में लाई जा सकती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में प्रारंभिक कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन अभी तक इसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में नहीं अपनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीति स्तर पर समन्वित योजना बनाकर देश भर में ऐसे बहुउद्देश्यीय स्थलों की स्थापना की जानी चाहिए। एक ओर जहां देश 'डिजिटल इंडिया' और 'स्मार्ट सिटीज' की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वीवीआईपी सभाओं के लिए हर बार अस्थाई टेंट लगाने पर करोड़ों रुपए खर्च करना संसाधनों की बरबादी नहीं तो और क्या है? अब वक्त आ गया है, जब हम इस अस्थायी से स्थायी की ओर बढ़ें, ताकि सार्वजनिक धन की बचत हो, आयोजनों की गरिमा बने और देश की योजनाएं टिकाऊ बनें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एक समन्वित योजना बनाई जाए, जिससे न केवल फिजूलखर्च और अनावश्यक खर्च को रोका जा सके, बल्कि भविष्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं टिकाऊ हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shrimati Sonia Gandhi

(Rajasthan), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Sukhendu Sekhar Ray (West Bengal), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shri P. Wilson (Tamil Nadu).

Shri Subhasish Khuntia.

Concern over the proposed relocation of Puri District Court

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): Jai Jagannath! Thank you, Mr. Chairman, for giving me the opportunity to draw your kind attention to an urgent matter regarding the proposed relocation of the historic District Court of Puri to a new site near the Balukhand Wildlife Sanctuary by the Government of Odisha. The members of the Puri Bar Association have been compelled to launch a peaceful *satyagraha* that has now continued for more than 380 days, highlighting the depth of concern among the legal fraternity. The existing court complex is not merely an administrative building; it is a living monument of justice and history, standing for more than 150 years in the heart of Puri. This historic institution has witnessed many milestones of our promotion in the freedom struggle, including the period of the *Lavan Satyagraha*. It is also closely associated with Utkal Gourav Madhusudan Das, Utkal Mani Gopabandhu Das, Janakinath Bose, father of Netaji Subhash Chandra Bose, and President of Utkal Sammelani Jagabandhu Singh, who practised law here and contributed immensely to shaping Odisha's modern identity and strengthening the foundations of justice and rule of law in the region. The present court is centrally located in the administrative heart of Puri, surrounded by key public institutions such as the Collectorate, DRDA, District Education Office, SP Office and many others, making it easily accessible and convenient for litigants and the general public. In contrast, the proposed relocation site reportedly falls within a sweetwater belt, raising serious environmental and safety concerns. In view of the heritage significance of the existing building, its central location ensuring easy public access and the environmental sensitivity of the proposed site, I urge the Union Government to intervene and ensure that this historic court continues to function at its present location since adequate space is available within the existing premises to sustain its operations, as is the case in several places

in Odisha, including Bhubaneswar and Berhampur, where courts continue to function from their current premises. सर यहां पर हमारे ओडिशा के मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यह एक सेंसिटिव चीज है, इसके ऊपर ध्यान दें। जय जगन्नाथ! बंदे उत्कल जननी!

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Subhasish Khuntia: Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Debashish Samantaray (Odisha), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Shrimati Seema Dwivedi.

Demand for construction of a railway underpass between Janghai and Nibhapur stations

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, मैं जनहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। यह उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में जंघई से निभापुर स्टेशन के बीच में अंडरपास बनाए जाने के संबंध में है। महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में प्रयागराज से सटा जंघई रेलवे स्टेशन पड़ता है। निवेदन है कि जंघई से गरियांव रेलवे स्टेशन के मध्य में गरियांव बाजार है, जहां गरियांव-अहमदपुर उचौरा मार्ग जाता है, जिस पर करीब 50 गाँवों के लोगों का आना-जाना होता है। इसके अतिरिक्त दूर-दराज के भी लोग उस रास्ते पर आते-जाते हैं। रेलवे पटरी के दोहरीकरण के कारण आस-पास के किसानों एवं जानवरों को भी आवागमन में तमाम तरह की असुविधाएं हो रही हैं। किसानों को अपने खेत पर भी जाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। उपरोक्त मार्ग पर रेलवे अंडरपास बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गरियांव-मोलनापुर मार्ग पर भी छोटा अंडरपास बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किये हैं और जनता को पूरा भरोसा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि जनहित में उक्त अंडरपास अतिशीघ्र बनवाने की कृपा करें, ताकि रेलवे पटरी के दोहरीकरण में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न न हो सके, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Seema Dwivedi: Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh) and Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim).

Now, Shriman Sanjay Singh.

**Concern over the challenges faced by the bus body building MSME
Sector due to costly prototype testing**

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे एक गंभीर विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, देश भर में लाखों लोग बसों की बॉडी निर्माण के व्यापार से जुड़े हुए हैं। यह बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बसों की सुरक्षा को लेकर 2025 में सरकार के द्वारा नियम बनाया गया, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसलमेर में हुई, जिसमें कुछ मौतें भी हुईं और देश भर के अलग-अलग हिस्सों में भी बसों में आग लगने की घटनाएँ सामने आती हैं। इंदौर में भी एक घटना हुई थी। दिल्ली में भी कई बार बसों के जलने की घटनाएँ होती हैं, लेकिन जो बस बॉडी का निर्माण करने वाले लोग हैं, लाखों लोग जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। सौ प्रतिशत, जो सरकार ने कहा है, वह सही है। वह सुरक्षा के मानक होने चाहिए और उसका हम पालन करेंगे, लेकिन लाइसेंस की जो प्रक्रिया बनाई गई है, इसकी स्वीकृति लेने की जो प्रक्रिया बनाई गई है, वह बहुत कठिन बनाई गई है, जिससे देश के लाखों लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अलग-अलग राज्यों में बस की बॉडी का निर्माण करने वाले जो लोग हैं, उनको दिक्कत आती है। इसमें दो एजेंसियों को शामिल किया गया है - ARAI, ICAT. इन दो एजेंसियों से बसों की प्रोटोटाइप टेस्टिंग करानी पड़ती है और उस प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है और पैसा भी 60 से 65 लाख रुपए पहली बार और उसके बाद एक मोटी रकम देनी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब बसों की बॉडी निर्माण करने वाले लोग आपके सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करने को तैयार हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके रोजगार पर आए हुए संकट को देखते हुए, उनके सामने जो ये नियमों की कठिनाई और बसों को अप्रूव कराने की जो कठिनाई है, इनको देखते हुए कृपा करके ऐसा नियम बनाया जाए, जिससे कि वह अपने कार्य को, अपने व्यापार को सही ढंग से संचालित कर सकें, बसों का बॉडी निर्माण और उसकी सुरक्षा पर ध्यान दे सकें। प्राइवेट लोगों के द्वारा जो बस बॉडी बनाई जाती है, सिर्फ वही नहीं जलती है, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों की बसें चलती हैं, जैसे वोल्वो तथा और भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनकी भी बसें जलती हैं, तो ऐसी घटनाएँ होती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके व्यापार, उनके रोजगार पर ध्यान देने की कृपा करें, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Sanjay Singh: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Narain Dass Gupta (National Capital Territory)

of Delhi), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Now, Dr. Sandeep Kumar Pathak.

Concern over large-scale land acquisition for mining projects in tribal areas and its impact on tribal livelihoods

डा. संदीप कुमार पाठक (पंजाब): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस सदन में उन लोगों की आवाज रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनकी आवाज संभवतः मुख्यधारा में कभी पहुँच नहीं पाती है। मैं आपके माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो भू-अधिग्रहण होता है, उसके बारे में इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, जो जंगल है, जंगल में पेड़ है, जीव-जंतु हैं, आदिवासी समाज हैं, नदियां हैं, वॉटर कैचमेंट एरिया है, सब कुछ है, लेकिन इसके नीचे दबे हुए करोड़ों-अरबों रुपए के जो मिनरल्स हैं, स्वाभाविक है कि किसी का ध्यान जीव-जंतु, प्राणी, पशु-पक्षी और लोगों पर नहीं जाएगा, बल्कि जो इसके नीचे दबे हुए करोड़ों-अरबों रुपए के जो मिनरल्स हैं, उन पर जाएगा। आप देखेंगे, तो पाएँगे कि 90 परसेंट कोल इन्हीं ट्राइबल बेल्ट्स में नीचे दबे हुए हैं। 80 percent of other minerals, आप iron ore ले लीजिए, bauxite ले लीजिए, वे यहाँ पर दबे हुए हैं। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि जो एरिया इतना संसाधन रिच होता है, जहाँ संसाधन के रूप में बहुत पैसे होते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा गरीब और प्रताड़ित क्यों होते हैं?

ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऐसा नहीं है कि भू-अधिग्रहण के लिए कोई नियम-कानून नहीं बने हैं। कई सारे कानून बने हैं, PESA कानून बना है, Tribal Rights Act है, Fifth Schedule to the Constitution है, Forest Rights Act है, Wildlife Protection Act है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, international agreements हैं और बहुत सारे हैं। अगर मैं हसदेव का ही उदाहरण दूँ, तो 23 ब्लॉक्स में से 14 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जो 'No-Go' zone में आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर यह धड़ल्ले से चल रहा है। इसके लिए ग्राम सभा को अनुमति देनी होती है कि वहाँ पर भू-अधिग्रहण हो जाए। यह ग्राम सभा से या तो गलत तरीके से कराया जा रहा है या फोर्सर्ड तरीके से कराया जा रहा है। जो मान नहीं रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, ताकि वह अधिकारियों के हाथ में आ जाए और फिर अधिकारी उसको रेगुलर कर दें। जो परिवार इसके विरोध में आते हैं, उन पर रात में रेड किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है और उनका इल्लीगल तरीके से हैरेसमेंट किया जाता है।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, यह कहा जाता है कि इससे नौकरी आएगी, संपन्नता आएगी। मैं इस सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आप उनकी जमीन ले लेते हो, वहाँ पर नौकरी लेकर आते हो, आप यह बताइए कि कितने प्रतिशत लोग या कितने लोग हैं, जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं या उस व्हाइट कॉलर जॉब के लिए सूटेबल हैं। आप तो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर

व्हाइट कॉलर जॉब्स और टेक्निकल जॉब्स के लिए बाहर के लोग आते हैं। उनको क्या जॉब मिलती है? उनको लेबर की जॉब मिलती है और वह भी उनको डायरेक्ट नहीं मिलती है। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर होता है और उस कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत लेबर होता है। विस्थापन के नाम पर आप उनको वन बीएचके का कमरा देते हैं। एक तरफ आपने उसका घर ले लिया, जॉब ले ली, उसकी जमीन ले ली, उसे वन बीएचके का कमरा दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर रखकर उसे एक वेज दे दी। सर, एक लाख करोड़ के आसपास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है। हम क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाएँ, ऐसा उदाहरण पेश करें, जिसमें उनके लिए अच्छा घर हो, उनको अच्छी नौकरी मिले, उनको मान-सम्मान मिले। जिनको देखकर हर ग्राम सभा खुद ही यह कहे कि भाई, आओ यहां पर कंपनी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ और हमारा विकास करो। ये लोग नक्सलिज्म से इसलिए प्रभावित नहीं होते कि इनको उनकी आइडियोलॉजी पसंद है, वे इसलिए प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहां व्यवस्था ठीक नहीं है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Dr. Sandeep Kumar Pathak: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Khiru Mahto (Bihar), Dr. Sarfraz Ahmad (Jharkhand), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar) and Shri Ramji (Uttar Pradesh).

Shri Baburam Nishad.

Alleged protocol violation during the visit of the President to West Bengal

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो दल या राजनीति से ऊपर है। यह भारत के राष्ट्रपति की गरिमा और हमारे संविधान की आत्मा से संबंधित है।

माननीय सभापति जी, पश्चिमी बंगाल में हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन के दौरान जो प्रोटोकॉल उल्लंघन हुआ है, वह केवल एक चूक नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अपराध है। ...**(व्यवधान)**... जब एक राज्य सरकार जान-बूझकर देश के सर्वोच्च पद की अवहेलना करती है, तो यह भूल जाती है कि वह संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठी है। ...**(व्यवधान)**... संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य की प्रतीक हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार का यह आचरण अनुच्छेद 256 और 257 का भी उल्लंघन है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You do not disturb him. ...(*Interruptions*)... When you were speaking, nobody objected to it. ...(*Interruptions*)... Please go back. Let him conclude.

श्री बाबू राम निषाद: ये अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकारें केन्द्र के निर्देशों और संवैधानिक प्रमुखों के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I have not heard any unparliamentary thing. ...(*Interruptions*)... I have not heard any unparliamentary thing. ...(*Interruptions*)... When you were speaking... (*Interruptions*)... Madam, you have to understand. ...(*Interruptions*)...

श्री बाबू राम निषाद: माननीय सभापति जी, अब समय आ गया है कि केवल निंदा प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। ...(**व्यवधान**)... इस तरह के अपराध के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व अधिनियम जैसा एक विशेष कानून बनाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति जी, यदि कोई राज्य सरकार जान-बूझकर राष्ट्रपति या संवैधानिक प्रमुख के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है, तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... ऐसी घटनाओं के लिए संबंधित राज्य के विवेकाधीन अनुदान में कटौती का प्रावधान हो। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Member, please come back to your subject. ...(*Interruptions*)... Hon. Member!

श्री बाबू राम निषाद: प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों पर न्यायालय की अवमानना की तर्ज पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति जी, अगर आज बंगाल की इस गुस्ताखी को माफ किया गया, तो कल अन्य राज्यों की भी सरकारें इसी राह पर चलेंगी। ...(**व्यवधान**)... हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान सर्वोपरि है, कोई मुख्य मंत्री या क्षेत्रीय दल नहीं। ...(**व्यवधान**)... राष्ट्रपति का पद किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का प्रतीक है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please come back to the subject. ...(*Interruptions*)...

श्री बाबू राम निषाद: माननीय सभापति जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी एक जनजातीय समाज से आती हैं। उन्होंने संघर्ष से यह स्थान प्राप्त किया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Baburam Nishad: Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Balyogi Umeshnath (Madhya Pradesh), Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh),

Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Mokariya Rambhai (Gujarat), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Manan Kumar Mishra (Bihar), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Rajib Bhattacharjee (Tripura), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Narayanasa K. Bhandage (Karnataka), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Surendra Singh Nagar (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Dr. Bhim Singh (Bihar) and Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand).

Shri Shaktisinh Gohil. ...(Interruptions)... No, no! प्लीज़ बैठिए। ...(व्यवधान)...
You start.

Concern over safety of Indian students studying abroad

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं यहाँ एक अहम मसला उठाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: You please go back to your seat. ...(Interruptions)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सभापति महोदय, दुनिया में कहीं भी हमारे भारतीय नागरिक का उत्पीड़न होता है या दुनिया में कहीं भी किसी भारतीय नागरिक पर हमला होता है, तो वह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं माना जाता, बल्कि पूरे देश की इज्जत पर हमला माना जाता है और उससे पूरे देश की इज्जत खराब होती है।

सभापति महोदय, दुनिया के 196 देशों में हमारे देश के छात्र पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले रूस में हमारे भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें चार छात्र बुरी तरह घायल हुए। All India Medical Students' Association ने भी इसके खिलाफ complaint दर्ज कराई है और विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के अपने आँकड़े बताते हैं कि 2025 में लगभग साढ़े तीन सौ छात्रों को किसी न किसी प्रकार से मुश्किल आई है, जिसकी complaint विदेश मंत्रालय को मिली हुई है। इन साढ़े तीन सौ शिकायतों में से लगभग दो सौ complaints केवल रूस से प्राप्त हुई हैं। यह भी विदेश मंत्रालय के आँकड़े ही दिखाते हैं।

ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने education का इतना अधिक privatization कर दिया है कि हमारा विद्यार्थी विदेश में MBBS करने जाएगा, तो उसे वहाँ के लिए ठीक लगेगा। हमारे देश में इस सरकार ने शिक्षा इतनी महंगी की है कि उसे कम करना चाहिए, यह मैं अनुरोध करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के नागरिक किसी भी पार्टी या विचारधारा से जुड़े हों, उनकी चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज West Asia में जो युद्ध की स्थिति चल रही है, उसमें बड़े-बड़े देश अपने नागरिकों के लिए सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां से वह सुविधा नहीं की गई। सर, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि गुजरात के छोटा उदयपुर की बेन अमीबेन शाह का कल मुझे फोन आया। वे रोते हुए कह रही थीं कि बहरीन में उनका परिवार फंसा हुआ है और वहाँ कुछ और नहीं, बल्कि कम से कम शुद्ध पानी की व्यवस्था ही सरकार कर दे, तो भी हमारे लिए बहुत राहत होगी। ...**(व्यवधान)**... सर, एयरलाइंस दुर्बई या अन्य स्थानों से लोगों को वापस लाने के लिए बहुत अधिक किराया वसूल रही हैं। केवल एक वापसी टिकट के लिए लोगों से बहुत अधिक किराया वसूल रहे हैं और हम यहाँ बैठकर केवल यह सब देख रहे हैं। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा के लिए प्रधान मंत्री जी ...

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Shaktisinh Gohil: Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Dr. Sarfraz Ahmad (Jharkhand), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Dr. Anil Sukhdeorao Bonde.

Demand for regular air connectivity and night landing facility at Amravati Airport in Maharashtra

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, महाराष्ट्र की अम्बादेवी के निवास स्थान अमरावती में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अमरावती से 'उड़ान योजना' के तहत विमान सेवा शुरू की गई है, जिसके लिए मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय, नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री

देवेंद्र फडणवीस जी और राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी करकमलों से इसका शुभारम्भ हुआ और हफ्ते में तीन बार अमरावती से मुंबई विमान सेवा शुरू हुई। लोगों का प्रतिसाद इतना अच्छा था कि अब हफ्ते में पांच बार विमान सेवा शुरू की गई है। अमरावती विदर्भ का एक division center है। वहां शैक्षणिक, औद्योगिक, कृषि, चिकित्सा एवं व्यापारिक केंद्र होने के बावजूद अन्य राज्यों से उसकी एयर कनेक्टिविटी नहीं है। एयर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि अमरावती-पुणे-गोवा, अमरावती-हैदराबाद-तिरुपति, अमरावती-कोल्हापुर-बैंगलुरु, अमरावती-इंदौर-दिल्ली, इन सभी शहरों के साथ कनेक्टिविटी शुरू की जाए। उसमें Viable Gap Funding भी मिल सकती है। अगर यह कनेक्टिविटी हुई, तो अमरावती का धार्मिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं व्यापारिक दृष्टि से निरंतर संपर्क रहेगा और विकास भी होगा।

उपरोक्त मार्गों पर नियमित उड़ान सेवाओं के साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द से जल्द अमरावती एयरपोर्ट पर शुरू हो। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी निरंतर प्रयासरत हैं। वहां की airstrip को तीन हजार मीटर का किया जाए, यह भी मैं एक सुझाव देता हूं। अमरावती में निवेश के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 'PM MITRA' का सिलेक्शन किया गया है और 'PM MITRA' में टेक्स्टाइल उद्योग भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पर्यटन के लिए व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती के मेलघाट में है। वहां पर आईटी पार्क भी बन रहे हैं। इसके लिए हवाई सुविधा ज्यादा हो, नाइट लैंडिंग हो, तीन हजार मीटर की airstrip हो और जो मैंने शहर बोले हैं, उन शहरों के साथ कनेक्टिविटी हो, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद! जय महाराष्ट्र!

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde: Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), and Dr. Bhim Singh (Bihar).

Shri Tejveer Singh.

Concern over inadequate Internet connectivity in rural and remote areas

श्री तेजवीर सिंह (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को नई दिशा दी है। आज डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं से करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता

हूँ, जिनके नेतृत्व में देश में डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

महोदय, इसके बावजूद देश के कई ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट की गति धीमी है या नेटवर्क पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके कारण छात्रों, किसानों और आम नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार की भारतनेट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं गांव-गांव तक optical fibre network पहुंचाने का साराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन इसकी गति को और तेज करने की आवश्यकता है, ताकि हर गांव तक उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाने, हाईस्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि गांव भी डिजिटल क्रांति का पूर्ण लाभ उठा सकें। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का सपना और अधिक मजबूती से साकार होगा, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Tejveer Singh: Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Dr. Bhim Singh (Bihar), and Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir).

Dr. Laxmikant Bajpayee.

Need to accelerate economic development of Meerut through RRTS Infrastructure

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और देश के माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 32 हजार करोड़ की लागत से एशिया की पहली RRTS 'क्रांतिधरा' मेरठ को देने का काम किया है और उन्होंने इसका लोकार्पण भी किया है। उन्होंने एक कहावत को भी चरितार्थ किया है कि 'बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीखा' इसको किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरठ को मिला है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

सर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस RRTS track के नीचे खाली स्थान है। असरदार लोग उस पर कब्जा करेंगे। इसलिए मैं उपलब्ध खाली स्थानों के सुनियोजित उपयोग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके नीचे हस्तशिल्प के उत्पादों की दुकानें, स्थानीय बाज़ार, restaurant, जन सुविधा केन्द्र और parking व्यवस्था भी विकसित की जाती है, लेकिन RRTS अगर इसको विकसित करेगी, तो उससे उसको धनराशि भी प्राप्त होगी और

अनियोजित विकास और कब्जे नहीं होंगे। इसका एक और लाभ हुआ है। इसी RRTS track के नीचे वेदव्यास पुरी में 36 हज़ार मीटर में स्वर्ण नगरी बसाने की सरकार की जो योजना है, उसमें भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 30 हज़ार कारीगर, 448 करोड़ रुपये की GST, 15 हज़ार करोड़ रुपये का वार्षिक व्यवसाय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। दो हज़ार दुकानदार और लगभग 200 बड़े थोक व्यापारी इसमें सहयोगी हैं। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस RRTS के कारण जो व्यवसाय बढ़ेगा, उसमें मेरठ में हाथ से बने जेवरों का एशिया में पहला स्थान है। उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। आज जो वार्षिक 15 हज़ार करोड़ रुपये का व्यवसाय है, उसमें 448 करोड़ जीएसटी सरकार को प्राप्त हो रही है। अंततोगत्वा यह अगले चार-पांच सालों में 50 करोड़ तक जाने वाला है। मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि आरआरटीएस के ट्रैक के नीचे पड़े खाली स्थानों का उपयोग आरआरटीएस करे। इससे आय भी बढ़ेगी, नियोजित विकास होगा, असरदार लोगों के अंतर्गत उन पर कब्जे भी नहीं होंगे और रेलवे की स्वर्ण नगरी योजना के विकास को भी पंख मिलेंगे। सभापति जी, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Dr. Laxmikant Bajpayee: Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri Rajib Bhattacharjee (Tripura), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Surendra Singh Nagar (Uttar Pradesh), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Dr. K. Laxman (Uttar Pradesh), Shri Ghanshyam Tiwari (Rajasthan) and Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh).

Now, Dr. M. Thambidurai.

Concern over traffic congestion on Sardar Patel Marg affecting connectivity to Indira Gandhi International Airport

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, Chairman, Sir, for giving the opportunity to raise an important issue regarding the traffic congestion on Sardar Patel Marg. Sir, you know very well, during Vajpayeeji's period and Modi's period, roads have been developed very well throughout India. I was also Transport Minister. Present hon. Road Transport Minister, Gadkariji, is also sitting here. Traffic congestion is one of the factors that affects the area. However, Sardar Patel Marg is currently suitable for connecting all areas of New Delhi. But, beyond this Marg, National Highway starts. If we see the Sardar Patel Marg, there are several encroachments, such as hotels, including star hotels. I do not want to mention them specifically, but the ITC Hotel and the Taj Hotel have encroached upon several park

areas. Because of this, while traveling to the airport, the National Highway begins from Patel Marg. Therefore, I request, through you, Sir, since the hon. Minister is present, steps be taken to take over this road. Even though, it is currently under the New Delhi Municipal Council area, it can be brought under the National Highway Authority of India and developed accordingly. This road is extremely important for reaching the airport. Due to heavy traffic, many Members of Parliament also face difficulties, as it takes up to three hours to cross this stretch to reach the airport. Many other roads connect to Sardar Patel Marg, which further increases the congestion. Additionally, many international VIPs stay at hotels in this area. Because of the surrounding forest areas, traffic cannot be diverted through other routes. Meanwhile, this particular stretch has already been encroached upon by others. Therefore, I request the hon. Minister to take over this road once again under the National Highways Authority of India and develop it properly so that traffic can move smoothly and people can reach the airport more easily. This is very important, Sir. I request, through you, that the hon. Minister kindly consider bringing Sardar Patel Marg under the National Highways Authority of India through the Urban Development Ministry, discuss the matter and take over the road. That is my request, Sir. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Dr. M. Thambidurai: Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat) and Shri Balyogi Umeshnath (Madhya Pradesh).

Now, Shrimati Sulata Deo.

Concern over shortage of beds, doctors and critical care facilities in Government hospitals across the country

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): सभापति महोदय, सदन में अपनी बात रखने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय श्री जगन्नाथ! मैं सदन में एक गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका देने के लिए आपकी आभारी हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह स्वास्थ्य सेवा भी बहुत जरूरी है, मगर आजकल जो स्वास्थ्य सेवा है, यदि उसे वैसे भी देखें तो गंभीर से गंभीर हालत में पेशेंट अस्पताल जाते हैं, लेकिन आईसीयू की क्रिटिकल केयर यूनिट का बेड खाली नहीं होता है। सभी जगह पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, पैरा मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं होता और बेड्स भी नहीं

मिलते हैं। महोदय, आप यहाँ का एम्स दिल्ली देखिए, आरएमएल देखिए, हमारा भुवनेश्वर एम्स देखिए, कहीं भी जाइए, आपको ऐसा नग्न चित्र देखने के लिए मिलेगा कि पेशेंट्स वहाँ जमीन पर दिन भर सोते रहते हैं और वेट करते रहते हैं, मगर उन्हें बेड नहीं मिलता और इलाज भी नहीं हो पाता। इसके चलते क्या करें, कैसे बचा जाए? ऐसी स्थिति में मरता क्या न करता होता है! वे इधर-उधर घूमते रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका शोषण भी होता है, मगर फिर भी हम कितने ही लोगों की जान नहीं बचा पाते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, नड्डा जी भी बैठे हैं, हमारी उनसे यह डिमांड है कि डॉक्टर्स के जो खाली पद हैं, पहले उन्हें पूर्ण किया जाए और अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाए।

महोदय, मैं आईसीयू के बारे में एक और बात बोलूंगी। आईसीयू में क्या होता है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अभी, पहले एक नग्न चित्र बोला है। ओडिशा के एससीबी के आईसीयू में एक वीडियो वायरल हुआ था। राजकिशोर खुंटिया, जो खुद मेरे जिले के हैं, वे अल्लाइमर, डिमेंशिया से ग्रसित थे और उनकी तबीयत खराब थी। उन्हें आईसीयू में इस तरह से देखा गया कि उन्हें हाथों से बाँधकर रखा गया है, उनके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है और उस आईसीयू में कोई भी मौजूद नहीं है। उनके हाथ में वैसे ही ब्लीडिंग हो रही है, और दूसरे बेड के पेशेंट्स गिर रहे हैं। वह वीडियो मेरे पास है, मैं आपको ऑर्थेंटिकेशन के लिए दे सकती हूँ, मगर प्रश्न यह है कि आईसीयू में कोई कैसे नहीं हो सकता है? महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है, यहाँ पर माननीय मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी बैठे हुए हैं, कि यहाँ पर भी वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए, जैसी फॉरेन कंट्रीज में होती है। अगर आईसीयू के बाहर लोगों को नहीं जाने दिया जा सकता है, तो ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए, जिसके माध्यम से जो लोग अपने फैमिली मेम्बर को आईसीयू में डालकर बाहर वेट करते हैं, वे उसकी मॉनिटरिंग कर पाएं। उन्हें कम-से-कम इतनी तसल्ली तो मिलनी चाहिए कि हमारा पेशेंट सही है। साथ ही, आईसीयू और सीसीयू में ऐसे नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग होनी चाहिए, जो कभी ऐसा काम न करे कि पेशेंट को बांध दिया और बेड से गिरकर उसकी डेथ हो गई। सर, मेरी एक डिमांड ट्राइबल एरिया में हेल्थकेयर को लेकर है। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री ने संबलपुर में एम्स खोलने की डिमांड की है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, मेरे नेता, नवीन पटनायक जी ने भी संबलपुर, जेपोर, मयूरभंज, बालासोर में एम्स खोलने की डिमांड की है। सर, आप हमें एम्स दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by hon'ble Member, Shrimati Sulata Deo: Shri Khiru Mahto (Bihar), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh) Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir) and Shri Ramji (Uttar Pradesh).

Now, Shri Kanad Purkayastha.

Need for accelerated industrialisation in the Barak Valley in Southern Assam

SHRI KANAD PURKAYASTHA (Assam): Hon'ble Chairman Sir. I rise to draw the urgent attention of this august House to the pressing need for accelerated industrialization in the Barak valley of Assam. The Barak Valley comprises of Cachar, Hailakandi and Sribhumi districts, surrounded by three States-Tripura, Manipur and Mizoram and is endowed with abundant human and natural resources. Sir, a populous area, with population of around 50 lakhs, has skilled and enterprising workforce, fertile plains fed by the Barak River, rich biodiversity, a strategic geographical location near international borders with Bangladesh and close proximity to Southeast Asia.

Sir, with the ongoing improvement in road and rail connectivity under the visionary leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the proactive approach of the State Government under the leadership of hon. Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma*ji*, if the Government takes more initiatives for accelerated industrialization in this area using the natural and human resource, the Barak Valley and the Southern Assam region can become a gateway for Northeast India's trade.

Sir, we had Cachar paper mill under Hindustan Cachar Paper Corporation at Panchgram, which was one of the biggest in Asia. But, managerial inefficacy, political involvement and rampant corruption during the Congress regime has destroyed this institution. The only major industry in Barak Valley is now a piece of history.

Sir, the Barak Valley has a large segment of youth, is trained in science, commerce, agriculture and engineering disciplines. So, skilled and semi-skilled manpower, if properly harnessed, can drive manufacturing, agro-based and handicraft industries and services. The fertile alluvial plains of the Barak Valley support high value crops like pineapple, banana, black pepper, areca nut and tea estates. The Barak River and its tributaries provide reliable water source for irrigation and potential small hydro projects. The Valley's forests and biodiversity present opportunities in eco-friendly value-addition sectors like bamboo products, medicinal plants and allied industries.

Sir, the Barak Valley lies close to the Silk Route Economic Belt and Southeast Asian markets, offering potential for export-oriented unites. Hence, Sir, there is immense possibility for establishing manufacturing unites, IT, logistic and green

technologies. Although Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are present, but remain largely informal and unlinked to larger value chains.

Sir, it is pertinent to mention here that the ONGC Cachar Forward Base has the capacity to supply more than 4 lacs SCMD (Standard Cubic Metres Per Day) of natural gas. But, at present, out of this capacity, only 1500 is being utilized...

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Kanad Purkayastha: Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Rajib Bhattacharjee (Tripura).

Need to strengthen organ donation framework and removing systemic bottlenecks

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I would like to draw the attention of this House to the urgent need for organ donation and transparency in the process. I wish to start by narrating two heart-touching stories from Kerala. One is of nine month old Alin and second is of Jasliya. Both of them died, but their parents donated their organs. Sir, little angel Alin's heart, kidneys, valve, corneas, liver everything stands transplanted. So, this is a real Kerala story. The same has happened in the case of Jasliya. Her organs were also donated and saved four lives. This is the real Kerala story, Sir. We wish to say that organ transfer is an important matter and we have to bring in more regulations to ensure transparency and ensure that there is more campaigns and awareness, so that we can save lives.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Jebi Mather Hisham: Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Rajathi (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir) and Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana).

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour.

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Devolution of funds in Panchayati Raj Institutions

*196. SHRI RAGHAV CHADHA: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state:

- (a) whether Government has assessed the status of devolution of funds, functions and functionaries to Panchayati Raj Institutions in the recent years and if so, the details thereof;
- (b) the number of States that have completed activity mapping and devolution of the funds, functions and functionaries, details thereof;
- (c) what steps are being taken by Government to ensure effective devolution to Panchayats, the details thereof; and
- (d) the outcomes of the steps taken by Government in strengthening local self-governance, State-wise and year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ (PROF. S. P. SINGH BAGHEL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) “Panchayat”, being “Local Government”, is a State subject and part of State List of Seventh Schedule of the Constitution of India. Panchayats are set up and operate through the respective State Panchayati Raj Acts. States have made their own Panchayati Raj Act, subject to the provisions of the Constitution. Article 243G of the Constitution empowers the Legislature of a State to make provisions, by law, for the devolution of power and responsibilities upon Panchayat at appropriate level, subject to such conditions as may be specified, with respect to the preparation of plans for economic development and social justice and implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to matters listed in the Eleventh Schedule to the Constitution. The State legislatures are to consider the 29 subjects listed in the Eleventh Schedule for devolution of power and responsibilities upon Panchayats. Accordingly, the status of devolution of funds, functions and functionaries to Panchayati Raj Institutions depends on the extent of powers and resources devolved to them by the States concerned, which varies across States.

However, the Ministry of Panchayati Raj reviews performance of Panchayats, from time to time, through studies, review meetings, field visits, video conferencing, Information Technology applications etc.

The Ministry has released a report titled “Status of Devolution to Panchayats in States - An Indicative Evidence-Based Ranking, 2024” in February 2025 to assess the effectiveness of devolution and the role of local governments in strengthening grassroots democracy. This report presents the Devolution Index, which provides the overall scores and ranks for all States/Union Territories covered under Part-IX of the Constitution, based on six identified dimensions: Framework, Functions, Finances, Functionaries, Capacity Enhancement, and Accountability. Ranking of States/UTs in Devolution Index and Sub-indices is attached as **Annexure-I**.

To strengthen the local self-governance framework of Panchayati Raj Institutions across the country, this Ministry has launched eGramSwaraj (<https://egramswaraj.gov.in>), a user friendly web-based portal, which aims to bring in better transparency in the decentralized planning, progress reporting, financial management, work-based accounting and details of assets created. The eGramSwaraj portal has also been integrated with Public Financial Management System for online transfer of the Central Finance Commission funds by the States to PRIs and enabling Panchayats to make real-time payments to vendors/service providers. Panchayats prepare and upload their Annual Panchayat Development Plans on eGramSwaraj portal. In addition, the Ministry has integrated eGramSwaraj with the Government e-Marketplace (GeM) to bring transparency to Panchayat procurement. The status of adoption of eGramSwaraj under XV Finance Commission for the year 2025-26 by States and status of Panchayat Development Plans are at **Annexure-II & Annexure-III** respectively.

The Ministry has implemented Mission Mode Project on e-Panchayats (MMP-ePanchayat), a Central component of the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) scheme under which various e-governance projects are funded towards digitalization of Panchayats. Revamped Centrally Sponsored Scheme of RGSA has been implemented w.e.f. financial year 2022-23 in States/ Union Territories with main objective for capacitating PRIs through imparting training to all the Elected Representatives, functionaries and other stakeholders to develop their governance capabilities for leadership roles to enable the Panchayats to function effectively. Under the scheme, Ministry supplements the efforts of States/UTs on limited scale for creation basic infrastructure for effective functioning of Gram Panchayats such as

Construction of Gram Panchayat Bhawans, Computers and Colocation of Common Service Centres (CSC) with Gram Panchayat Bhawans with focus on North East States, as proposed by States/UTs in their Annual Action Plans and later approved by Central Empowered Committee. Ministry has also been providing support to the States/UTs, under the scheme of revamped RGSA for setting up of Project Management Units (PMUs) at States, District and Block level as approved in the Annual Action Plan for effective implementation of the scheme and setting up of institutional mechanism as State, District and Block level Panchayat Resource Centres to support Capacity Building & Training of Panchayats.

An application of 'AuditOnline' has been developed for online audits of Panchayat accounts and their financial management. AuditOnline for transparent auditing of Central Finance Commission funds utilization for strengthen financial management of Panchayats launched in April 2020. For audit year 2023-24, 2.58 lakh Audit Plans have been created, and 2.56 lakh Audit Report have been generated. State wise details may be seen at **Annexure-IV**. Furthermore, for the audit year 2024-25, 2.12 lakh Audit Plans have been created, and 1.54 lakh Audit Reports have been generated. The State wise details may be seen at **Annexure- V**.

Similarly, Panchayat NIRNAY is an online application that aims at bringing transparency and better management in conduct of Gram Sabhas by Panchayats. The Ministry has also launched SabhaSaar, an AI-enabled meeting summarisation tool, on 14th August 2025. The SabhaSaar platform enables structured capture and analysis of Gram Sabha proceedings and supports monitoring of key parameters such as frequency, type of Gram Sabha meetings and participation.

Annexure-I

Ranking of States/UTs in Devolution Index (DI) and Sub-indices

Rank	DI		Framework		Functions		Finances		Functionaries		Capacity Building		Accountability	
	State	Score	State	Score	State	Score	State	Score	State	Score	State	Score	State	Score
General Category States														
1	Karnataka	72.23	Kerala	83.56	Tamil Nadu	60.24	Karnataka	70.65	Gujarat	90.94	Telangana	86.19	Karnataka	81.33
2	Kerala	70.59	Maharashtra	74.74	Karnataka	57.62	Kerala	62.89	Tamil Nadu	84.25	Tamil Nadu	84.29	Kerala	81.18
3	Tamil Nadu	68.38	Karnataka	74.43	Odisha	57.46	Tamil Nadu	55.78	Kerala	82.99	Gujarat	83.96	Maharashtra	80.36
4	Maharashtra	61.44	Haryana	73.3	Rajasthan	56.13	Rajasthan	54.56	Karnataka	80.11	Goa	77.7	Uttar Pradesh	76.07
5	Uttar Pradesh	60.07	Madhya Pradesh	70	Kerala	53.86	Odisha	53.57	Chhattisgarh	78.33	Andhra Pradesh	76.69	Tamil Nadu	71
6	Gujarat	58.26	Odisha	69.2	Uttar Pradesh	46.89	West Bengal	52.96	Bihar	75.13	Uttar Pradesh	74.44	Andhra Pradesh	60.49
7	Rajasthan	56.67	Rajasthan	68.54	Maharashtra	46.52	Uttar Pradesh	51.76	Maharashtra	73.63	Maharashtra	73.35	Telangana	60.43
8	West Bengal	56.52	Chhattisgarh	68.51	Chhattisgarh	42.39	Chhattisgarh	51.45	Andhra Pradesh	68.78	Karnataka	71.59	Chhattisgarh	58.17
9	Chhattisgarh	56.26	Tamil Nadu	66.83	Gujarat	41.23	Telangana	46.86	West Bengal	67.76	Kerala	71.11	West Bengal	57.87
10	Telangana	55.1	West Bengal	62.3	Madhya Pradesh	39.47	Bihar	43.86	Rajasthan	64.03	West Bengal	70.63	Odisha	51.92

11	Andhra Pradesh	54.43	Gujarat	61.65	Telangana	38.77	Andhra Pradesh	43.19	Uttar Pradesh	63.13	Madhya Pradesh	70	Bihar	51.64
12	Madhya Pradesh	50.94	Andhra Pradesh	60.08	West Bengal	33.07	Maharashtra	42.96	Madhya Pradesh	62.22	Rajasthan	61.43	Gujarat	47.9
13	Odisha	50.03	Uttar Pradesh	54.64	Punjab	31.97	Madhya Pradesh	42.34	Telangana	58.01	Bihar	55.27	Haryana	41.93
14	Bihar	48.24	Goa	52.88	Andhra Pradesh	30.5	Gujarat	41.63	Goa	46.31	Chhattisgarh	47.61	Rajasthan	41.43
15	Haryana	39.33	Bihar	49.76	Jharkhand	27.56	Haryana	40.38	Haryana	38.48	Odisha	43.43	Madhya Pradesh	36.55
16	Goa	37.71	Punjab	47.26	Bihar	18.69	Punjab	36.36	Jharkhand	27.83	Haryana	35.35	Goa	31.75
17	Punjab	29.34	Telangana	45.35	Haryana	16.82	Jharkhand	30.05	Odisha	27.42	Punjab	26.34	Punjab	24.87
18	Jharkhand	27.73	Jharkhand	42.3	Goa	6.63	Goa	26.88	Punjab	8.2	Jharkhand	24.72	Jharkhand	16.47
Northeastern / Hilly Area States														
1	Tripura	57.58	Uttarakhand	70.95	Sikkim	42.59	Tripura	59.16	Himachal Pradesh	70.06	Himachal Pradesh	83.68	Tripura	70.69
2	Himachal Pradesh	53.17	Tripura	66.5	Assam	28.66	Himachal Pradesh	48.41	Assam	65.12	Tripura	76.82	Assam	57.14
3	Uttarakhand	49.11	Sikkim	65.27	Himachal Pradesh	23.01	Uttarakhand	47.11	Uttarakhand	60.49	Assam	71.96	Uttarakhand	52.72
4	Assam	49.06	Himachal Pradesh	62.22	Tripura	21.5	Sikkim	43.5	Tripura	52.22	Uttarakhand	56.02	Himachal Pradesh	39.41

5	Sikkim	43.81	Assam	54.04	Uttarakhand	16.68	Assam	34.06	Sikkim	31.42	Sikkim	53.23	Sikkim	34.94
6	Arunachal Pradesh#	17.96	Arunachal Pradesh#	41.5	Arunachal Pradesh#	12.7	Manipur#	13.17	Manipur#	21.4	Arunachal Pradesh#	37.4	Manipur#	28.75
7	Manipur#	17.13	Manipur#	34.05	Manipur#	11.23	Arunachal Pradesh#	6.83	Arunachal Pradesh#	5.74	Manipur#	3.75	Arunachal Pradesh#	22.56
Union Territories														
1	Jammu and Kashmir	27.85	Andaman & Nicobar Islands	55.21	Jammu and Kashmir	11.88	Puducherry	16.16	Lakshadweep #	39.53	Jammu and Kashmir	55.08	Andaman & Nicobar Islands	45.73
2	Andaman & Nicobar Islands	27.15	Lakshadweep #	31.42	Ladakh	11.08	Jammu and Kashmir	13.29	Jammu and Kashmir	36.97	Andaman & Nicobar Islands	54.82	Jammu and Kashmir	39.76
3	Lakshadweep #	18.32	Jammu and Kashmir	23.07	Lakshadweep #	10.36	Andaman & Nicobar Islands	9.09	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu#	31.69	Ladakh	29.32	Puducherry	29.33
4	Ladakh	16.18	Ladakh	22.21	Puducherry	4.63	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu#	5.45	Ladakh	25.25	Lakshadweep #	15.18	Lakshadweep #	28.13
5	Puducherry	16.16	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu#	22.06	Andaman & Nicobar Islands	4.5	Lakshadweep #	3.99	Puducherry	21.49	Puducherry	13.75	Ladakh	27.43

6	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu#	13.62	Puducherry	9.31	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu#	0	Ladakh	0	Andaman & Nicobar Islands	20.94	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu#	8.57	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu#	24.91
	National Average	43.89		54.29		29.18		37.04		50.96		54.63		47.51

Source: Report titled “Status of Devolution to Panchayats in States - An Indicative Evidence-Based Ranking, 2024”

Note: #States for which previous data is used.

Annexure-II

**State-wise adoption status of eGramSwaraj for the XV Finance Commission
for FY 2025-26**

Sr. No.	State Name	Total Number of Village Panchayats & Equivalent	Village Panchayat onboard	Village Panchayats & Equivalent With Online Payment	Total Number of Block Panchayats & Equivalent	Block Panchayat onboard	Block Panchayats With Online Payment	Total Number of Zila Panchayats & Equivalent	Zila Panchayat onboard	Zila Panchayats With Online Payment
1	Andhra Pradesh	13327	13320	13025	660	660	649	13	13	13
2	Arunachal Pradesh	2108	2108	1486	0	0	0	27	26	22
3	Assam	2663	2186	2075	182	182	179	30	29	27
4	Bihar	8054	8054	8047	534	534	529	38	38	38
5	Chhattisgarh	11692	11687	11313	146	146	146	33	33	27
6	Goa	191	191	116	0	0	0	2	2	2
7	Gujarat	14619	14596	13800	248	248	248	33	33	33
8	Haryana	6227	6227	6010	143	143	141	22	22	22
9	Himachal Pradesh	3615	3615	3562	92	81	81	12	12	12
10	Jharkhand	4345	4345	4252	264	264	262	24	24	24
11	Karnataka	5949	5949	5938	238	232	93	31	31	23
12	Kerala	941	941	937	152	152	152	14	14	14
13	Madhya Pradesh	23011	23011	22194	313	313	309	52	52	52
14	Maharashtra	28002	27934	26438	351	351	265	34	34	33
15	Manipur	3175	161	113	0	0	0	12	6	4
16	Meghalaya	6884	0	0	0	0	0	3	3	3
17	Mizoram	855	841	817	0	0	0	0	0	0

Sr. No.	State Name	Total Number of Village Panchayats & Equivalent	Village Panchayat onboard	Village Panchayats & Equivalent With Online Payment	Total Number of Block Panchayats & Equivalent	Block Panchayat onboard	Block Panchayats With Online Payment	Total Number of Zila Panchayats & Equivalent	Zila Panchayat onboard	Zila Panchayats With Online Payment
18	Nagaland	1312	984	0	0	0	0	0	0	0
19	Odisha	6794	6794	6785	314	314	313	30	30	30
20	Punjab	13236	13233	12341	155	152	150	23	23	22
21	Rajasthan	13128	11184	10774	361	353	351	37	33	33
22	Sikkim	199	199	196	0	0	0	6	6	6
23	Tamil Nadu	12482	12482	12437	388	388	388	36	36	36
24	Telangana	12760	12674	9570	565	547	400	32	32	27
25	Tripura	1194	1194	1192	75	75	75	9	9	9
26	Uttarakhand	7817	7790	6926	95	95	94	13	13	13
27	Uttar Pradesh	57695	57693	57579	826	826	820	75	75	74
28	West Bengal	3339	3339	3337	345	345	345	22	21	21
Total		265614	252732	241260	6447	6401	5990	663	650	620

Annexure-III

Status of Panchayat Development Plan (2025-26)

S.No.	State Name	District Panchayat & Equivalent		Block Panchayat and Equivalent		Village Panchayat and Equivalent	
		Total No. of Panchayats	Total No. of Approved DPDP	Total No. of Panchayats	Total No. of Approved BPDP	Total No. of Panchayats	Total No. of Approved GPDP
1	A&N Island	2	-	14	-	70	69
2	Andhra Pradesh	13	13	660	660	13,326	13,320
3	Arunachal Pradesh	27	16	-	-	2,108	2,093
4	Assam	30	27	182	183	2,664	2,254
5	Bihar	38	38	534	532	8,052	8,053
6	Chhattisgarh	33	33	146	146	11,693	11,647
7	Goa	2	2	-	-	191	191
8	Gujarat	33	33	248	248	14,632	14,563
9	Haryana	22	21	143	143	6,230	6,221
10	Himachal Pradesh	12	12	92	81	3,615	3,608
11	Jammu and Kashmir	20	-	285	-	4,291	4,291
12	Jharkhand	24	21	264	262	4,347	4,343
13	Karnataka	31	-	238	-	5,949	5,941
14	Kerala	14	14	152	152	941	941
15	Ladakh	2	-	31	-	193	191
16	Lakshadweep	1	-	-	-	10	-
17	Madhya Pradesh	52	46	313	306	23,011	22,979
18	Maharashtra	34	34	351	351	28,002	27,910

19	Manipur	12	6	-	-	3,811	161
20	Meghalaya	3	-	-	-	-	-
21	Mizoram	-	-	-	-	855	809
22	Nagaland	-	-	-	-	1,327	-
23	Odisha	30	30	314	313	6,794	6,794
24	Puducherry	-	-	10	-	108	-
25	Punjab	23	21	155	147	13,236	13,227
26	Rajasthan	37	31	361	347	13,129	11,173
27	Sikkim	6	6	-	-	199	199
28	Tamil Nadu	36	36	388	386	12,482	12,421
29	Telangana	32	-	570	41	12,849	10,962
30	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	3	-	-	-	50	38
31	Tripura	9	9	75	75	1,194	1,193
32	Uttarakhand	13	13	95	93	7,817	7,765
33	Uttar Pradesh	75	75	826	824	57,695	57,695
34	West Bengal	23	21	345	345	3,339	3,337
	Total	692	558	6,792	5,635	2,64,210	2,54,389

Annexure – IV

State wise progress on AuditOnline for the audit period 2023-24 as on 05.03.2026

S.No.	State Name	No. of PRIs	Audit Plans prepared	% progress	Audit Reports generated	% progress
1	Andhra Pradesh	14,001	13,999	99.99%	13,994	99.95%
2	Arunachal Pradesh	2,133	2,131	99.91%	2,125	99.62%
3	Assam	2,884	2,418	83.84%	2,418	83.84%
4	Bihar	8,627	8,626	99.99%	8,621	99.93%
5	Chhattisgarh	11,829	11,825	99.97%	11,809	99.83%
6	Goa	193	191	98.96%	191	98.96%
7	Gujarat	14,946	14,919	99.82%	14,880	99.56%
8	Haryana	6,393	6,384	99.86%	6,360	99.48%
9	Himachal Pradesh	3,708	3,708	100.00%	3,708	100.00%
10	Jharkhand	4,635	4,633	99.96%	3,504	75.60%
11	Karnataka	6,220	5,950	95.66%	5,950	95.66%
12	Kerala	1,107	1,107	100.00%	1,107	100.00%
13	Madhya Pradesh	23,377	23,376	100.00%	23,312	99.72%
14	Maharashtra	28,341	28,313	99.90%	28,069	99.04%
15	Manipur	3,823	-	0.00%	-	0.00%
16	Meghalaya	3	-	0.00%	-	0.00%
17	Mizoram	835	835	100.00%	810	97.01%
18	Nagaland	1,326	-	0.00%	-	0.00%
19	Odisha	7,138	7,138	100.00%	7,133	99.93%
20	Punjab	13,410	13,373	99.72%	13,307	99.23%
21	Rajasthan	11,650	11,633	99.85%	11,381	97.69%
22	Sikkim	205	205	100.00%	204	99.51%

23	Tamil Nadu	12,949	12,951	100.02%	12,949	100.00%
24	Telangana	13,344	13,341	99.98%	13,313	99.77%
25	Tripura	1,278	1,260	98.59%	1,260	98.59%
26	Uttarakhand	7,892	7,892	100.00%	7,890	99.97%
27	Uttar Pradesh	58,655	58,649	99.99%	58,598	99.90%
28	West Bengal	3,706	3,594	96.98%	3,581	96.63%
	Total	2,64,608	2,58,451	97.67%	2,56,474	96.93%

Annexure-V

State wise progress on AuditOnline for the audit period 2024-25 as on 05.03.2026

S. No.	State Name	No. of PRIs	Audit Plans prepared	% progress	Audit Reports generated	% progress
1	Andhra Pradesh	14,000	13,942	99.59%	12,238	87.41%
2	Arunachal Pradesh	2,135	1,212	56.77%	504	23.61%
3	Assam	2,997	-	0.00%	-	0.00%
4	Bihar	8,625	7,599	88.10%	1,447	16.78%
5	Chhattisgarh	11,892	471	3.96%	-	0.00%
6	Goa	193	116	60.10%	-	0.00%
7	Gujarat	14,968	14,936	99.79%	14,863	99.30%
8	Haryana	6,395	6,377	99.72%	3,988	62.36%
9	Himachal Pradesh	3,708	3,247	87.57%	2,908	78.43%
10	Jharkhand	4,635	11	0.24%	-	0.00%
11	Karnataka	6,221	5,950	95.64%	5,949	95.63%
12	Kerala	1,107	-	0.00%	-	0.00%
13	Madhya Pradesh	23,376	20,843	89.16%	12,040	51.51%
14	Maharashtra	28,337	21,748	76.75%	13,460	47.50%
15	Manipur	3,823	-	0.00%	-	0.00%
16	Meghalaya	6,857	-	0.00%	-	0.00%

17	Mizoram	843	2	0.24%	-	0.00%
18	Nagaland	1,327	-	0.00%	-	0.00%
19	Odisha	7,138	7,137	99.99%	5,232	73.30%
20	Punjab	13,414	11,159	83.19%	10,158	75.73%
21	Rajasthan	11,624	11,604	99.83%	7,268	62.53%
22	Sikkim	205	205	100.00%	205	100.00%
23	Tamil Nadu	12,949	9,472	73.15%	9,123	70.45%
24	Telangana	13,598	13,300	97.81%	12,906	94.91%
25	Tripura	1,278	1,277	99.92%	1,198	93.74%
26	Uttarakhand	7,895	-	0.00%	-	0.00%
27	Uttar Pradesh	58,592	58,594	100.00%	37,357	63.76%
28	West Bengal	3,706	3,594	96.98%	3,230	87.16%
	Total	2,71,838	2,12,796	78.28%	1,54,074	56.68%

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shriman Raghav Chadha.

श्री राघव चड्ढा: सर, भारत का लोकतंत्र लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा से ज्यादा जन सभा में बसता है। जन सभा से मेरा मतलब ग्राम सभा और मौहल्ला सभा से है। सर, जब 73rd और 74th कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव की सोच से आए, तो उस समय वादा था कि पावर और शासन स्टेट कैपिटल और राज्य की कैपिटल से निकलकर जनता के पास जाए, गांव तक पहुंचे, जो real decentralization of power हो, फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज़ गांव के लोगों को सौंपा जाए। सर, वादा यह था कि दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी या राज्य की राजधानी में बैठा कोई अधिकारी यह फैसला न ले कि मेरे गांव में फाउन्टेन लगे, जबकि मेरे गांव में पानी और बिजली की समस्या है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Chadha ji, please be specific about your question.

श्री राघव चड्ढा: इसीलिए मैं आपके माध्यम से मननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: You have to come to your point.

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं आपके माध्यम से मननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...
I am just finishing, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, no; you have to put your supplementary question. You are giving a big lecture. Please put your question.

श्री राघव चड्ढा: सर, उद्देश्य यह था कि दिल्ली में बैठा कोई बाबू या अधिकारी यह तय न करे कि मेरे गांव में म्यूजिकल फाउन्टेन लगे, जबकि मेरे गांव में डिस्पेंसरी और पानी की कमी है...

MR. CHAIRMAN: We will not be able to take up four supplementary questions because you are giving a long lecture.

SHRI RAGHAV CHADHA: Even after three decades, जो decentralization of power रही, वह रुक गई because of institutional resistance, fragmented authority and lack of enforcement...

MR. CHAIRMAN: You want to ask so many questions. You should not accuse the Government, please.

SHRI RAGHAV CHADHA: I want to ask the hon. Minister, through you कि क्या आज ग्राम सभा और पंचायत केंद्र और राज्य की स्कीम्स के लिए merely implementing agencies रह गई हैं? ग्राम सभा में यदि कोई फैसला लिया जाता है, तो क्या उसके फैसलों को लागू करने के लिए उसकी कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म है?

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister. Be specific about your answer. You need not go into his entire lecture.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने विकेंद्रीकरण के बारे में प्रश्न पूछा है। पंचायती राज की जो इलेक्टेड संस्थाएं हैं, उनके विकेंद्रीकरण के संबंध में बताना चाहूंगा कि यद्यपि पंचायत राज्य सूची का विषय है और संविधान के PRIs का संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा होता है। फिर भी भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत वित्तीय संस्थागत उपायों के माध्यम से राज्यों को पंचायतों को अधिकार और संसाधन देने के लिए प्रोत्साहित किया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह विकेंद्रीकरण है। ... **(व्यवधान)**... पेसा अधिनियम, 1996 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें शैड्यूल्ड क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है। यह भी विकेंद्रीकरण है। राज्यों के लिए मॉडल पेसा रूल्स के समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... यह भी विकेंद्रीकरण है। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के संभावित कार्य क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is not giving the answer. What is this, Sir?

MR. CHAIRMAN: He is giving the answer.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: इन विषयों का वास्तविक हस्तांतरण राज्यों को दिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: He is referring to the paper and giving the answer.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: उनको बताना चाहूंगा दिल्ली से कुछ नहीं है। दिल्ली पैसा देती है और विकेंद्रीकरण राज्यों को ही करना है। केंद्र सरकार समीक्षा बैठक, कार्यशालाएं, सेमिनार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करती है। राज्यों को अधिक कार्य पंचायतों को सौंपने के लिए फंड 13वें वित्त आयोग में 65,000 करोड़ रुपये दिए गए। 16वें वित्त आयोग में 4.35 लाख करोड़ की राशि दी गई है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि भावनाओं के साथ वित्त से काम होता है। 13वें वित्त आयोग में आपकी विरासत में 65,000 करोड़ रुपये का फंड था। ...**(व्यवधान)**... 15वें वित्त आयोग में माननीय प्रधान मंत्री जी के समय यह 2,97,000 करोड़ हो गया है, यानी यह पांच गुना बढ़ गया। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 16वें वित्त आयोग में 4.4 लाख करोड़, मतलब 84 परसेंट, लगभग दुगना कर दिया गया है। इनके समय, जो इनके सहयोगी दल हैं, उनके समय में एक व्यक्ति के हिस्से में केवल 178 रुपये आते थे। 14वें वित्त आयोग में 488 रुपये आते थे। 15वें वित्त आयोग में 674 रुपये आते थे और इस साल, जो 16वां वित्त आयोग है, उसमें 1,270 रुपये प्रति व्यक्ति आएगा। आपने मॉनिटरिंग की बात भी की है। देश में सबसे ज्यादा खराब स्थिति अगर किसी राज्य की है, तो वह पंजाब राज्य की है। ...**(व्यवधान)**... सर, पीडी इंडेक्स में मैं आपको आपको बताना चाहूंगा कि जिस फंक्शनरी की बात आपने की है, फंक्शनरी में जो 18 राज्य हैं, उनमें आप 18वें नम्बर पर हैं। ...**(व्यवधान)**... इसलिए आप अपने राज्य में भी इसको थोड़ा दिखवा लिया करें। यह जो हमारा पंचायत डिवॉल्यूशन इंडेक्स है, उसमें 6 चीजों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। फिर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, उसके द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है। प्रशिक्षण भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति सभी मानकों में राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है।

MR. CHAIRMAN: Raghav Chadhaji, please be specific about your second supplementary.

SHRI RAGHAV CHADHA: I am specific, Sir. But you have to protect me.

MR. CHAIRMAN: You are giving a long lecture; and then the Minister is giving another long lecture.

SHRI RAGHAV CHADHA: But, Sir, I have to lay the foundation of my question. Sir, please ensure that they don't raise a noise while I ask.

MR. CHAIRMAN: Please be specific about your second question.

श्री राघव चड्ढा: सर, जब 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, उसमें 33 परसेंट पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, ताकि पंचायत में महिलाओं की आवाज भी रजिस्टर हो, केवल मेल सरपंच-मेंबर्स की न हो। इसी के चलते आज भारत में 31 लाख पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक तिहाई महिलाएं हैं।

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary question?

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं पूछ रहा हूं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि ये जो महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित होती हैं, उन पर आम तौर पर मेल पॉलिटिशियन की वाइफ, बहन, बेटी या डॉटर-इन-लॉ चुनाव लड़ती हैं। ...(व्यवधान)... इसीलिए आज पंचायतपति, सरपंचपति नाम की टर्मिनोलॉजी भी ग्राउंड पर चल रही है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: What is your question? You ask that.

श्री राघव चड्ढा: मेरा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है ...

MR. CHAIRMAN: No, no. Please be specific about your question. ...*(Interruptions)*... You are wasting the time.

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I want to ask the Minister, through you, कि क्या सरकार इसे एक्नालेज करती है कि एक पैरेलल अनइलेक्टेड अथॉरिटी, एक प्रॉक्सी-शासन पंचायतपति के माध्यम से होता है और इस प्रॉक्सी-सरपंच से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please be specific. Be specific about the answer. Don't go line-by-line of his question, please.

पंचायती राज मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस प्रश्न के माध्यम से अनावश्यक चीज को यहां लाना चाहते हैं। मोदी जी की सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर देती है। अब महिलाएं कौन होंगी, कैसे होंगी, ये पंजाब में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देश में यह काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग महिला, as समाज को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं और उसको हम लोग करते रहेंगे।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Ujjwal Deorao Nikam. ...*(Interruptions)*... You are giving him a room to answer like that

SHRI UJJWAL DEORAO NIKAM: Sir, Maharashtra has been at the forefront of Gram Panchayat digitization through the eGramSwaraj portal. Will the hon. Minister inform this House, whether the Ministry has launched, or there is any plan, for a structured

training for Panchayat representative and staff, especially, in aspirational and tribal districts to build up the capacity in planning, budgeting and implementation of devolved functions?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र राज्य के विषय में प्रश्न पूछा है। जैसा पहले हमारे माननीय सहयोगी ने बताया, यह राज्य का विषय है और ये सभी काम संबंधित राज्य करते हैं। राज्य अपने कानून बनाते हैं, राज्य के विधानमंडल पंचायती राज अधिनियम बनाते हैं और उसके तहत वे काम करते हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार का कानून है। वे अपनी सुविधा के अनुसार उसको बनाते हैं, लेकिन जहां तक पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का, उनमें कौशल विकसित करने का, उनके वित्तीय प्रबंधन का प्रश्न है, उनमें जितनी सारी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी संभव है, उसके लिए केंद्र सरकार योजना चलाती है और राज्यों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग भी करती है। हम राष्ट्रीय स्तर पर भी यह काम करते हैं। विशेषकर महिलाओं में कौशल विकास के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं में जो उनकी गवर्नेंस है, उसमें सुधार के लिए हम यहां विशेष तौर पर प्रशिक्षण चलाते हैं। हम आईआईएमएस के सहयोग से भी इस प्रशिक्षण को चलाते हैं। लेकिन मूल रूप से यह राज्य की जिम्मेदारी है।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Ryaga Krishnaiah.

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: Sir, the Central Government allots funds to villages across the country on the basis of population. Some villages are very poor without even the minimum requirements. I would suggest that the Government must allot funds on the basis of requirements. At the same time, there is no auditing of the village panchayats from the Central Government. There is no permanent mechanism to audit the use and misuse of funds. The Modi Government is transparent and honest. Therefore, I would suggest that the Central Government should monitor the use of funds in implementing the various schemes.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, किस पंचायत में क्या आवश्यकता है, किस पंचायत में आधारभूत संरचना की क्या कमी है, यह देखना भी राज्य सरकार का काम है। वित्त आयोग अपनी अनुशंसा करता है और उसकी अनुशंसा के मुताबिक, 90 और 10 के हिसाब से, यानी 90 प्रतिशत हम राज्यों को जनगणना के आधार पर, जो उनकी जनसंख्या है, उसके आधार पर आवंटित करते हैं और 10 प्रतिशत उनके क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित करते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर हम राज्यों को राशि आवंटित कर देते हैं। यह राज्यों का काम है कि वे अपनी किन पंचायतों को आवंटित करते हैं। राज्य सरकारें जब तक

सभी पंचायतों को जारी नहीं करती हैं, तब तक हम उनको अगला इंस्टॉलमेंट जारी नहीं करते हैं। पंचायती राज का जो पूरा सिस्टम है, वह पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। उनको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है, उनके आवंटन को अपलोड करना पड़ता है और उनके खर्च को अपलोड करना पड़ता है। उसके आधार पर हम उनको आगे का सेकंड इंस्टॉलमेंट जारी करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary — Prof. Manoj Kumar Jha.

प्रो. मनोज कुमार झा: शुक्रिया, माननीय सभापति महोदय। मंत्री जी और सब वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है, जो मेरे अपने अध्ययन के आधार पर है और कई समाज विज्ञान संस्थानों ने भी किया है कि अक्सर हमारे पंचायत के जो मुखिया, सरपंच आदि होते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समझ की होती है। क्या केंद्र की सरकार, राज्यों के साथ मिलकर एक regular module-based workshop की प्लानिंग या उसको augment करने की प्रक्रिया में है? मैं इसके साथ एक छोटा पूरक भी डाल देता हूँ, क्योंकि उसे मैं जीरो ऑवर में डाल रहा था कि केंद्र की सरकार, इस प्रक्रिया के तहत राज्यों के साथ मिलकर हर पंचायत में एक लाइब्रेरी को मैडेटरी कर दे, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: सभापति महोदय, प्रशिक्षण को लेकर माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों में 1.53 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आरजीएसए के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या 30,94,768 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 लाख, 54 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35 लाख, 65 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल भी है और हमारे तमाम ऐप्स चल रहे हैं, जैसे पंचायत ऐप वगैरह। उसमें वे लोग जा सकते हैं। पंजीकरण और प्रबंधन, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, बायोमेट्रिक उपस्थिति है। प्रशिक्षण संस्थान, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आईआईएम, आईआईटीज़, IRMA और धनबाद का कॉलेज, इन सबके साथ हम लोगों ने प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू किया है। बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। बेहतर योजना प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन किया जाता है और management development programmes चल रहे हैं। जो 8 उत्कृष्ट संस्थाएं हैं, जैसे IRMA, आईआईएम, Indian School of Mines, Dhanbad है, उनके साथ एमओयू साइन किए गए हैं। इसमें हंड्रेड परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग है। 31 राज्यों के 3,381 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और महिलाओं को तो लगभग सारा प्रशिक्षण दिया गया है। आपने लाइब्रेरी के बारे में चिंता व्यक्त की है। यह राज्य का विषय है। हमारे tied and untied दो प्रकार के फंड्स हैं। Tied में 60 परसेंट बजट खर्च करना पड़ेगा, जिसमें मैडेटरी है कि 30 परसेंट water harvesting पर, जल संचयन पर, check dams पर और 30 परसेंट सफाई इत्यादि पर खर्च करना पड़ेगा। जो अनटाइट है, उसमें लगभग 29 प्रकार के काम हैं, जिनको पंचायत कर सकती हैं। अगर पंचायत अपना कोई प्रस्ताव पास कर सकती है, तो उसके तहत वह लाइब्रेरी खोल सकती है। यह पूरी तरह राज्य का

विषय है। एक कंप्यूटर भी दिया गया है, डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, इंटरनेट भी दिया गया है तो बुक्स की जगह ई-लाइब्रेरी तो इस्तेमाल हो ही सकती है। वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और देश भर में लगभग 80 परसेंट पंचायतों को पंचायत घर दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Please, be brief.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: जी हां, सर। कंप्यूटर और इंटरनेट देने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर को भी पैसा दिया जा रहा है, इसलिए चाहें तो देश भर की सभी पंचायतें ई-लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकती हैं।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 197.

Connectivity and infrastructure development in Kolhapur

*197. SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

- (a) details of efforts to enhance road connectivity and infrastructure development in Kolhapur, Maharashtra, over the last three years;
- (b) how many new bridges, bypasses and service roads have been constructed to improve intra-district and inter-State connectivity, what measures are being taken to support logistics, industrial transport and tourism through upgraded road networks; and
- (c) how does the Ministry collaborate with Maharashtra State authorities to ensure sustainable road development, reduce congestion and improve maintenance practices, thereby promoting economic growth, employment opportunities and overall regional development in Kolhapur?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The details are **annexed**.

(c) The inputs from all stakeholders including the State Government authorities are taken into account at the time of preparation of Detailed Project Report (DPR) to ensure sustainable road development, reduce congestion and improve maintenance practices, thereby promoting economic growth, employment opportunities and overall regional development including that of Kolhapur. Construction of National

Highways requires the active support and partnership of the State Governments & District Administration.

Annexure

Details of works sanctioned on NH in Kolhapur constituency in Last 3 years including current year.										Details of bypasses		Length of service roads (in km)
Sr. No.	Agency	Name of project	NH Number	Date of Sanction	Length (in Km)	Cost (in Cr.)	Current Status	No. of Minor bridges	No. of VUPs	No. of by passes	Length of by passes (in km)	
1	NHAI	Six laning of Kagal to Satara section of NH-48 (Package-I) from Km.592.500 to Km.658.000 in the State of Maharashtra on EPC mode	48	08.07.2022	61.685	2162.98	Progress 49.87%	27	14-VUP, 4-LVUP, 3-SVUP, 22-PUP, 1-VOP	0	0	53.70
2	NHAI	Four laning of Ratnagiri to Kolhapur section NH-166 (Package-I) from km.0.00 to km.19.769 and from km.31.000 to km.67.140 in the state of Maharashtra on Hybrid Annuity Mode	166	12.05.2022	55.909	1032.51	Progress 85.90%	8	2-VUP, 3 LVUP	1	1.600	23.26

3	NHAI	Four laning of Ratnagiri to Kolhapur section NH-166 (Package-II) from Km 67.140 To km.112.340 in the state of Maharashtra on Hybrid Annuity mode	166	03.03.2022	45.2	2104.58	Progress 75.11%	20	5-VUP, 6-LVUP, 1-SVUP, 5-VOP	4	14.970	12.47
4	NHAI	Four laning of Ratnagiri to Kolhapur section NH-166 (Package-III) from km.112.340 To km.121.200 including construction of Kolhapur Bypass in the state of Maharashtra on Hybrid Annuity mode	166	04.03.2022	32.96	2056.83	Progress 64.40%	17	6-VUP, 2-LVUP	1	24.100	30.70
5	NHAI	Four laning of Kolhapur (Chokak) to Sangli (Ankali) section from Km 145.300 to Km 171.080 of NH166 on EPC Mode	166	15.10.2024	33.609	1192.84	Bid invited with BDD of 06.04.2026	16	5-VUP, 7-LVUP, 3-SVUP	2	3.200	25.874

6	NHAI	Construction of 6 Lane Elevated corridor from KM 612+582 to KM 617+540 in Kolhapur City (Descoped work of Kagal to Satara Package-I).	48	20.01.2026	3.578	913.7	Bids received and under evaluation	6	2-VUP, 1-LVUP	0	0	6.244
7	NHAI	Construction of 6 Lane Elevated corridor from KM 593+766 to KM 596+620 in Kagal City. (Descoped work of Kagal to Satara Package-I)	48	27.02.2026	2.854	357.99	Bids received and under evaluation	4	1-LVUP, 1-SVUP	0	0	5.708
8	NHAI	Construction of 4 Lane Elevated corridor from km.12.695 to km.14.620 in Kuwarbhav section of NH 166 (Ratnagiri-Kolhapur Package-I) in Maharashtra on EPC Mode under NH(O)	166	13.02.2026	1.925	125.54	Bids received and under evaluation	0	0	0	0	1.02

9	MORTH	Rehabilitation And Up-gradation from Design km 35.300 to km 65.740 (Length- 30.440Km) of NH-166G (Gaganbawda to Kale section) to 2-Lane with paved shoulder configuration in the state of Maharashtra on EPC mode.	166G	03.04.2025	30.44	468.99	Sanctioned not awarded	NA	-	8	-	-
10	MORTH	Rehabilitation and Up-gradation for Talere - Gaganbawda - Kolhapur Road (NH-166G) stretches start from Ch. 6.00 Km to Ch. 11.00 Km and Ch. 19.300 Km (Start from Karul Ghat) to Ch. 35.300 (End of Gaganbawda) of NH 166G in 2L+PS configuration in the state of Maharashtra.	166G	14.02.2023	21	249.13	Completed and under DLP	NA	-	4	-	-

श्री धनंजय भीमराव महादिक: सर, मैं माननीय मंत्री गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कोल्हापुर के सभी मेज़र नेशनल हाईवे रोड्स की जानकारी विस्तृत रूप से दी है। जिनमें कागल-सतारा सिक्स लेन काँक्रीट के लिए 2,162 करोड़ रुपए की लागत, कोल्हापुर-रत्नागिरी फोरलेन काँक्रीट के लिए 5,192 करोड़ रुपए की लागत और कोल्हापुर-सांगली फोरलेन के लिए 1,192 करोड़ रुपए की लागत है।

सर, कोल्हापुर जिला एक समृद्ध जिला है और उसमें अभी जो काम चल रहे हैं, उनकी जानकारी उन्होंने दी है। यहाँ पर महालक्ष्मी का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर कृषि, पर्यटन एवं उद्योग बढ़ रहे हैं। हाल ही में माननीय मंत्री जी ने एक नया रोड भी घोषित किया है, जो कोल्हापुर शहर से जुड़ा हुआ है, जिसमें 4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो शिरोली से उजगांव तक जाता है, जिसके लिए 913 करोड़ रुपए की लागत है और कागल शहर के पास 358 करोड़ रुपए की लागत से भी एक रोड घोषित किया है। अगर यह रोड कोल्हापुर शहर से, जैसे तावड़े होटल, ताराराणी चौक, शिवाजी पुल और शिवाजी पुल से लेकर कोतोली तक और शिवाजी पुल से लेकर फुलवाड़ी तक बनता है, तो कोल्हापुर शहर की जो परिस्थिति बनती है, उससे निजात मिलेगी और साथ ही, कोल्हापुर शहर में जो कंजेशन हो रहा है, उससे भी निजात मिल पाएगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि यह रोड कब तक पूरा होगा? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इससे आगे का जो कोल्हापुर से शिवाजी पुल, शिवाजी पुल से तावड़े होटल तक और कोतोली तक का रोड है, क्या वह बन पाएगा?

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय सभापति महोदय, पंचगंगा रिवर पर यह जो 3.6 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है, यह पुणे से बेंगलुरु डायरेक्ट रोड है। हमने इसमें कोल्हापुर के लिए भी एक सुविधा देने के बारे में कहा है। वह दी जाएगी। दूसरी बात, जो इंपोर्टेंट है, वह यह है कि वे तावड़े चौक वाली शहर के अंदर के भी रोड की बात कर रहे हैं, शायद यह पहले कॉरपोरेशन को हैंडओवर हुआ था, पर उसका वनटाइम डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज मैंने चेक किया है। अगर कॉरपोरेशन reshifting और land acquisition कर देंगी, तो वह भी हमारी तरफ से हम करके देंगे। ऐसे उन्होंने जितनी मांगें की हुई हैं, वे सब लगभग पूरी हुई हैं। मुझे लगता है कि अब उसमें से जिले की कोई मांग नहीं रही है। एक ही जिले में सब मिला कर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम इस सरकार के रिजीम में हुए हैं और सब समाप्त हुए हैं।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik.

श्री धनंजय भीमराव महादिक: सर, एक और रोड है, जो बहुत इंपोर्टेंट रोड है, जो संकेश्वर से अंबोली होते हुए बांदा तक जाती है। यह फोरलेन काँक्रीट का रोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन समस्या यह है यह जो रोड है, वह गडहिंग्लज शहर और आजरा शहर के बीचोंबीच मार्केट से जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में और गांव के लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है और साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। हमने एक प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू केंद्र सरकार के

पास भेजा है। गडहिंग्लज शहर और आजरा शहर को बाईपास नेशनल हाइवे के माध्यम से किया जाए। साथ ही, कोल्हापुर-सांगली रोड, जो 1,192 करोड़ रुपए की लागत की है, अभी अनाउंस हुआ है, वह फोरलेन काँक्रीट रोड है, वह कब तक पूरा होगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये दोनों रोड्स के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, कोल्हापुर से सांगली जो रोड है, उसमें land acquisition को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने करीब चार गुना, पाँच गुना डिमांड की थी, वह संभव नहीं था। उसके बाद हमने उसके निर्णय के खिलाफ भी अपील करने की बात की थी। पर, अभी कलेक्टर साहब ने कुछ सॉल्यूशन निकाला है और मुझे जानकारी मिली है। हमने टेंडर रिसीव किया है। अप्रैल महीने में टेंडर रिसीव करने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन का भी जो मामला है, वह क्लियर हुआ है। 90 per cent land acquire किए बिना और हमारे पजेशन में आए बिना हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। अगर वह 15 दिन, महीना भर में हो जाएगा, तो अप्रैल में उसको अवॉर्ड करके काम शुरू हो जाएगा। जहां तक गडहिंग्लज बाईपास और अजरा बाईपास की बात है, तो उसकी Detailed Project Report (DPR) बनाने का काम शुरू हो गया है। उसकी डीपीआर बनने के बाद उसका काम भी शुरू हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Now, third supplementary, Shri Sanjay Raut.

श्री संजय राउत: सर, कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण जिला और शहर है, जिसके बॉर्डर पर कर्णाटक है। आपने वहां के 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है। आपने पंचगंगा नदी के ऊपर जो पुल बनाने की बात कही है, वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोल्हापुर में बाढ़ की समस्या भी बहुत आती है। सर, कोल्हापुर से 150 किलोमीटर दूर रत्नागिरी तक का एक highway widening project है। जो existing highway है, उसको आप four lane का बनाना चाहते हैं। यह काम शुरू हो गया है, लेकिन रत्नागिरी से आगे जो हातखंबा सेक्शन है, वहाँ पर आकर यह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा सवाल है कि उसका कारण क्या है? यह प्रोजेक्ट हातखंबा के आगे क्यों नहीं जा रहा है? यह पूरा जो 150 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और जो कोल्हापुर-रत्नागिरी के बीच फोर लेन हाईवे का प्रोजेक्ट है, यह कब तक पूरा होगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हातखंबा की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 1995-2000 में जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब मुंबई-गोवा रोड पर स्थित इस हातखंबा जंक्शन के पास एक ही जगह पर काफी एक्सीडेंट्स हुए थे, जिनमें करीब 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहां की वर्तमान सरकार में जो उदय सावंत जी मंत्री हैं, उनके पिताजी तब कॉन्ट्रैक्टर थे। तब मैंने 24 घंटे में उसकी इम्पूवमेंट करके without tender काम शुरू किया था, क्योंकि वहां काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। कोल्हापुर से रत्नागिरी तक का जो रोड है, उसमें जो पैकेज वन है, वह 1,032 करोड़ का है और उसका 86 परसेंट काम पूरा हुआ है। इसका काम land acquisition के कारण अभी अटका हुआ है। Land acquisition राज्य सरकार के इख्तियार में है और वह मिलने के बाद मुझे लगता है कि यह काम चार-छः महीने में पूरा हो जाएगा। इसका दूसरा

पैकेज 42.2 किलोमीटर का है और 2,104 करोड़ का है। यह भी 76 परसेंट पूरा हुआ है। इसमें भी land acquisition की थोड़ी-बहुत प्रॉब्लम है। यह भी तीन-चार महीने में पूरा हो जाएगा। तीसरा पैकेज करीब 32.96 किलोमीटर का है और 2,056 करोड़ का है। यह 65 परसेंट पूरा हुआ है।

माननीय सदस्य को पता होगा कि जब हम कोल्हापुर से रत्नागिरी की तरफ जाते हैं, तो वहां बड़ा निसर्गरम्य परिसर है और फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में क्लियरेंस लिए बिना उसमें काफी जगह दिक्कतें आई हैं, तो वह अब लगभग पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि साधारणतः इन तीनों पैकेजों में यह बहुत important connectivity है। यह रोड कोंकण से शुरू होकर, यानी अरबी समुद्र जहां से शुरू होता है, वहां से निकलकर यह कोल्हापुर से लेकर नागपुर तक जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी कनेक्टिविटी गोवा को भी जोड़ती है। यह logistic point of view से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम तीन महीने के अंदर यह काम 100 परसेंट पूरा हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Now, fourth supplementary, Dr. Bhim Singh.

डा. भीम सिंह: महोदय, जैसे ही कोल्हापुर का नाम आया, तो मेरा हृदय झंकृत हो उठा। मैं कोल्हापुर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। महोदय, कोल्हापुर ही एक ऐसा राज्य है, जहां के शासक छत्रपति शाहू जी महाराज ने देश में सामाजिक न्याय आंदोलन की नींव डाली और उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 1902 ईस्वी में पहला आरक्षण रखा। पूरे देश के लोगों का कोल्हापुर से बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनके रख-रखाव का क्या इंतजाम किया जा रहा है? उनमें परफॉर्मेंस आधारित रख-रखाव अनुबंध किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: महोदय, माननीय सदस्य ने कोल्हापुर के बारे में जो बताया गया, वह बिल्कुल सही है। कोल्हापुर के जो शाहू महाराज हैं, वे मेरे बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध में भी हैं। वे नागपुर के भोंसले जी के पुत्र हैं और दत्तक होकर वहाँ गए। वे अभी हमारे लोकसभा में Member of Parliament हैं। जब भी वे आते हैं, तो बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोल्हापुर जिले में 25 हजार करोड़ से भी अधिक के काम हुए हैं। हमारे यहाँ जो काम दिए जाते हैं, उनमें पहले से ही दस साल से पंद्रह साल तक का Defect Liability Period होता है। यह contractor की जिम्मेदारी होती है। इसके बारे में हम इतने strict हैं कि यदि contractor की ओर से छोटे-छोटे problems भी सामने आते हैं, तो हम उन्हें blacklisted कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनकी guarantee जब्त कर रहे हैं। कभी-कभी बरसात के मौसम में black cotton soil के कारण कुछ जगहों पर प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन कोल्हापुर जिले में - महादिक साहब भी यहाँ हैं — कोई मुझे बता दे कि क्या NH पर एक भी गड्ढा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। उनके कहने पर हम इतने public-oriented हैं कि पंचगंगा का जो पुल है, उसका design उन्होंने बनाया। वहाँ से बनवाकर private architect से लेकर आया। उसका नाम Basket Bridge रखा गया। इसके बाद मैंने अपना पुराना design cancel किया, क्योंकि उनका design ज्यादा अच्छा था। इसलिए हमने वही design select किया। हमारी कोशिश यह रहती है कि दुनिया में सबसे अच्छी quality, सबसे अच्छा design और सबसे अच्छा काम हो सके और उसी प्रकार से हमने

काम किया है। इसलिए यहाँ performance को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं है और निश्चित रूप से सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस जिले में 19 sugar mills हैं। पूरे देश में यदि per capita income सबसे अधिक किसी जिले में है, तो वह कोल्हापुर है। यहाँ sugar practice बहुत अधिक है, जमीन fertile है, irrigation है और लोग बहुत उद्यमशील हैं। यहाँ काफी बड़ी-बड़ी industries भी आई हैं। अब road infrastructure तेजी से विकसित हो रहा है, जिसके कारण industrial clusters भी काफी डेवलप हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत growing city है। मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र के चार-पाँच प्रमुख शहरों में कोल्हापुर भी एक महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर का सामाजिक इतिहास भी बहुत समृद्ध है — छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद शाहू महाराज का - यहाँ साहित्यकारों और कवियों की भी समृद्ध परंपरा रही है और कोल्हापुर की चप्पल तो सबसे प्रसिद्ध है। वह export होती है। इसके ऊपर एक हास्य-व्यंग्य कवि शरद जोशी थे, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से थे। वे मेरे बहुत ही फेवरेट कवि थे। उनकी बहुत सुंदर कविताएँ थीं। एक बार Prince Charles जब मुंबई आए थे, तो एक सेट पर एक फिल्म अभिनेत्री ने उनका चुम्बन लिया था। इस पर उन्होंने कोल्हापुर पर एक कविता लिखी थी — “उसको मिली कोल्हापुरी, हमको मिली कोल्हापुरी।” आज वह कोल्हापुरी चप्पल पूरी दुनिया में जा रही है। इसलिए इन सभी विषयों पर हमारा ध्यान है कि यह क्षेत्र अच्छी तरह विकसित हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: MR. CHAIRMAN, Sir, in order to give focus on uninterrupted traffic on the Pune-Bengaluru corridor, that is, NH 48, what measures are planned during construction to minimize disruptions to agricultural transport and daily commuters in Kolhapur and what additional local connectivity enhancements like roads or underpasses are included to support tourism.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Respected Chairman Sir, the connectivity from Pune to Kolhapur is very important. The most important problem, not only for Kolhapur or Maharashtra but also for the whole country, is the traffic starting from North India, from Delhi, and going towards South. Traffic goes to Surat, Vadodara, Ahmedabad and, after that, it goes to Mumbai. From Mumbai, it goes to Pune, and, then, from Pune, it goes to Kolhapur and also to Solapur. But, as the first important thing, we have taken a historic decision to make an express highway from Mumbai to Delhi. It is already 70 to 80 per cent complete. After Surat, we are making new green express highway. Starting from Surat, it goes to Nashik, Nashik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur. It then goes to Akkalkot and Kurnool. From Kurnool, it connects Chennai, Kanyakumari, Bangalore, Mangalore, Hyderabad and Cochin. So, it is a new connectivity from North India to South India. So, it is better and it is going to reduce the distance between Delhi and Chennai by 320 kilometers, which is going to reduce the cost also. Because of the highway, it will reduce the time period also.

Mumbai-Delhi distance will be covered within 12 hours. So, on this road, there is a lot of traffic. Particularly, from Pune to Kolhapur, there is also some problem. Now, two contractors are there, and 86 per cent work is completed. On one passage, there were some problems. We have already rectified the issues. Then, in Khambatki Tunnel, which is one of the historical tunnels, already, one lane is open. Second lane is in the process. We will open that within two months. We will resolve all the problems, including the farmer problems and others, particularly related to this project. But there are also some problems which are related to land acquisition, contractors. Everywhere, we are making flyovers and underpasses. Presently, we do not receive any complaints from the people. But many times a lot of people are giving me a lot of suggestions. Some of the Members of Parliament are present here. We are very sensitive about it and we will resolve all the issues related to it.

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 198.

Underfunding of Garima Grehs for transgender persons

*198. DR. FAUZIA KHAN: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Garima Greh shelters under the SMILE initiative are facing delays and shortfalls in Government funding, leading to staff attrition, closure threats and curtailed capacity;
- (b) if so, the reasons for erratic disbursal of funds and bureaucratic hurdles cited by shelter operators and measures being taken to streamline funding processes and prevent operational shutdowns;
- (c) whether the Ministry has established or plan to establish a dedicated grievance redressal system and regularized timelines for staff salary payments in Garima Grehs; and
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B. L. VERMA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Madam. Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE) is a comprehensive Scheme for rehabilitation for welfare of transgender persons, which was launched on 12.02.2022.

One of the components of the Scheme, "Housing in the form of 'Garima Greh' for Transgender Persons", is to provide support to the Community Based Organisations (CBOs)/ Non-Government Organisations (NGOs), for running Garima Grehs, including salary for the staff, rent for building and administrative expenses. In addition to this, non-recurring funds are also released for setting up Garima Grehs.

Funds are released to Garima Greh after processing of their proposals as per the Scheme guidelines and on submission of mandatory documents. Funds to these Garima Grehs are released through E-Anudaan in two instalments of 50% each.

Further, for streamlining funding processes and to resolve issues faced by Garima Grehs, review meetings by National Council for Transgender Persons (NCTP), National Conferences, Regional Review Meetings and Zonal Meetings are conducted on regular intervals. Moreover, stakeholder's consultation meet, Video Conferences and handholding training sessions are organised by the Department with the Garima Greh functionaries.

(c) and (d) No, Madam. However, grievances relating to Garima Grehs, including those raised by staff, are addressed through the Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS). CPGRAMS provides an integrated digital platform for registration, monitoring and time-bound disposal of grievances, with defined timelines, an escalation mechanism and system-generated alerts for effective redressal.

In addition, grievances may also be received through other channels, representations from concerned staff through letters or emails, and communications from social workers or other stakeholders.

Further, the Department conducts periodic inspections of Garima Grehs. During such inspections, the inspecting officers also interact with the staff members to ascertain any issues faced by them, including those related to service conditions.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, the September 2025 Report of the NHRC on Garima Grehs documents an average delay of 15 months in fund disbursement to shelters which has led to self-financing by NGOs, eviction threats and inadequate living conditions for the residents. Will the Minister explain the reasons for such chronic delays despite the Ministry's reimbursement-based model, while the answer written to me is, 'No'? Sir, in light of the expansion of Garima Grehs to 23 operational shelters in 2026, may I know from the hon. Minister whether any instances of delayed staff payments or

disruption in operational funding have come to the notice of the Ministry? And if so, what audit or grievance redressal mechanism has been activated? In this regard particularly, what specific accountability measures such as mandatory quarterly audits or penalties for delayed releases has the Ministry introduced since the NHRC advisory of September 2023? And how many complaints of funding-related attrition or reduced resident intake have been received in the last two years?

श्री बी.एल. वर्मा: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने ट्रांसजेंडर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2014 में आते ही 'सबका साथ सबका विकास' के बारे में कहा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि चाहे दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की बात हो, उनके लिए अधिनियम, 2016 बनाया, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन की बात हो, तो उनके लिए अधिनियम, 2017 बनाया गया, उसी प्रकार से ट्रांसजेंडर के लिए अधिनियम, 2019 बनाने का काम किया। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की देर होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय पूरे देश में ट्रांसजेंडर्स के लिए जो गरिमा गृह चल रहे हैं, उसमें हमारे पास से भुगतान देने की बात रहती है, वे सब इस समय प्रॉपर चल रहे हैं। कोई भी देय नहीं है। दूसरा, हमारे 20 गरिमा गृह संचालित हैं, जिनमें लगातार हमें भुगतान देना होता है, उसमें एक गरिमा गृह को मैक्सिमम 31 लाख, 44 हजार तक रुपये देते हैं। महाराष्ट्र की आरजू फाउंडेशन के लिए हमने 31 लाख, 44 हजार रुपये दिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में किन्नर अस्मिता है, उसके लिए 62 लाख, 88 हजार रुपये दिए हैं। ट्वीट फाउंडेशन के लिए 47 लाख, 16 हजार रुपये दिए हैं। मैं कह सकता हूँ कि कोई भी गरिमा गृह ऐसा नहीं है, जहां कुछ भी पेंडिंग हो। हम समय से भुगतान करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary, Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, the Minister has not referred to the NHRC Report which expresses delay. Anyway, my next supplementary is this. In recent years, we have seen that there is an upsurge in transgender individuals on roads, on streets, on signals and on toll plazas. This is not by choice, but due to systemic attitude towards them. It is extremely risky for the people at traffic signals and for them too. Has the Government made any assessment why this upsurge is there? Does the Government have any plan for their economic rehabilitation and resettlement?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री बी. एल. वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ट्रांसजेंडर्स की चिंता व्यक्त की है कि क्यों और कैसे यह संख्या बढ़ रही है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इस समय जिस जनसंख्या की बात कही है, उसके लिए हमारी जनगणना 2011 के अनुसार, अदर श्रेणी की जो कुल जनसंख्या थी, वह 4 लाख, 87 हजार थी। यह श्रेणी केवल ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों को शामिल करती है, जो अपने लिंग को अन्य श्रेणी में

दर्ज कराना चाहते हैं। सभापति महोदय, सरकार ने ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं।...(व्यवधान)... मैं वही कह रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Do not worry about them. Please address the Chair.

श्री बी. एल. वर्मा: मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए।...(व्यवधान)... सभापति महोदय, हमने इसमें बहुत सारे कदम उठाए हैं। हमने खास तौर से इसकी जागरूकता के लिए लगातार जिस तरह से काम किया है, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के माध्यम से नियमित रूप से ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। हमने वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 1,087 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। हमने संस्थानों के द्वारा ये आयोजन किए हैं। इनमें 61 लाख, 988 लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। इसमें चाहे हमारे ट्रांसजेंडर अधिनियम पर हितधारकों के लिए प्रशिक्षणों की बात हो, चाहे तीन दिवसीय क्षमता निर्माण के कार्यक्रम हों, चाहे एक दिवसीय ऑफलाइन संवेदनीय कार्यक्रम हो। महोदय, जिला कलेक्टर प्राधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जागरूकता पैदा करने का काम किया गया है, फिर वह चाहे ऑनलाइन सत्रों के अलावा उद्योग रोजगार मेला भी किया गया हो। इस तरह से हम उनके लिए लगातार काम करते हैं। मैं इसके साथ ही ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण नियम, 2020 के बारे में कह सकता हूँ ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair.

श्री बी. एल. वर्मा: मैडम सुनिए। मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमने ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल और राज्य स्तर की सेल स्थापित करने के साथ-साथ उनके लिए सक्षम दर्जे का काम भी किया है। हमने हाशिये पर पड़े ऐसे व्यक्तियों के लिए आजीविका उद्यम के लिए 'स्माइल योजना' शुरू की है। हम उसके माध्यम से भी उन्हें लगातार सशक्त करने का काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Do not worry about anybody.

श्री बी. एल. वर्मा: इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमने उन्हें 'स्माइल योजना' के माध्यम से शामिल किया है। मंत्रालय के अनुरोध पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पहचान को भी आधार कार्ड में सम्मिलित करने का काम किया है। मंत्रालय के अनुरोध पर हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' के अपने नीति-निर्देशों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष शौचालयों की व्यवस्था भी की है। इसके साथ ही साथ मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 24/3/25 के मास्टर सर्कुलर के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कमजोर वर्ग की उप-श्रेणी में शामिल करके प्राथिक क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत आसान ऋण देकर उन्हें रोजगार के अवसर देने का काम भी किया है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary. Shrimati Sudha Murty.

SHRIMATI SUDHA MURTY: Thank you, Sir, for giving me an opportunity. ...*(Interruptions)*... Sir, I work with transgender people. ...*(Interruptions)*...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I need your protection.

MR. CHAIRMAN: I will protect you. If you are not satisfied with the answer, please write to me and I will ask him to explain to you. ...*(Interruptions)*... I will.

SHRIMATI SUDHA MURTY: Sir, I work with the transgender people. Dr. Fauzia Khan asked why there is an upsurge in their presence during traffic jam. They told me that society look down on them. They have no education. Hence, they have low income and no confidence. People get scared to employ them. I don't want to give a big lecture. I want to make a point for the hon. Minister. I know that you are giving them good education; you have made a provision. But, they don't have confidence, because society is not accepting it. The only way we can make them strong is through economic freedom or economic way of uplifting. Is there any provision made by the Central Government or even the State Governments for that? I do not know. They can do better with good jobs. If merit is equal, can they get little better jobs so that they become confident? They do require heavy counseling. Apart from Garima Greh, they require heavy counselling and acceptance. The only way is, we have to hold their hands. In case you have any such programme, kindly let me know. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री बी. एल. वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तव में ट्रांसजेंडर्स के प्रति संवेदनाएँ और चिंताएँ व्यक्त की हैं। ट्रांसजेंडर्स के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, समस्याएँ आती हैं। हम सबको देखने को मिलता है कि उन्हें उनकी पहचान के प्रति जागरूकता की कमी, समय-समय पर बुलिंग, सहकर्मियों द्वारा दबाव एवं शोषण और मानसिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ट्रांसजेंडर छात्र शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तब देखा जाता है कि उनकी ड्रॉप आउट दर ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ, लैंगिक पहचान, समावेशिता, पाठ्यक्रम और ट्रांसजेंडर रोल मॉडल का अभाव भी समस्या है। 95 परसेंट से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस प्रकार के हैं, जिनका परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता है। अज्ञानता और भय होने के कारण उन पर सामाजिक दबाव रहता है। परिवार की स्वीकृति के साथ ही समाज और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी जो भूमिका रहनी चाहिए, वह नहीं रहती है। साथ ही साथ, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे कॉलेज में प्रवेश में बाधाएँ आती हैं, उन्हें होस्टल में लेने से

इनकार किया जाता है, जेंडर न्यूट्रल शौचालयों की अनुपस्थिति होती है और नौकरी के साक्षात्कार के समय भी उनके साथ भेदभाव होता है। माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति वास्तव में चिंता व्यक्त की है, ...(व्यवधान)... अधिनियम बनाने का काम किया है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमारी बहुत सारी सफलता की कहानियाँ हैं। हमने जो काम किये हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे, तो हमारी सफलता की कहानियाँ पाएंगे। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No, no, don't shout. Let him answer. Why you are shouting?

श्री बी. एल. वर्मा: मैं बताना चाहता हूँ कि रायपुर, छत्तीसगढ़ में हमारे गरिमा गृह से प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण दिया गया। शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण पाने के बाद हमारे 9 ऐसे जवान बनकर निकले, जो पुलिस की बस्तर फाइटर यूनिट में सेवा देने का काम कर रहे हैं। हमारे 13 जवान छत्तीसगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल के रूप में काम कर रहे हैं। मैडम, आपके महाराष्ट्र में आरजू फाउंडेशन है। वहाँ पनवेल महानगरपालिका के सहयोग से तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए 36 शौचालय स्थापित करने का काम किया गया है। इस तरह से हम लगातार सफलता की कहानियाँ लिख रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे गरिमा गृह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे 20 गरिमा गृह ऐसे हैं, जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से यह अपेक्षा करते हैं और हमने सबको यह लिखा भी है कि ऐसी कोई स्टेट न हो, जहाँ पर हमारा गरिमा गृह न हो। इसे लेकर हमारे पास कुछ आवेदन भी आए थे, जिन्हें हमने स्वीकृति देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से, सदन के माध्यम से गरिमा गृहों की संख्या बढ़े। हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जागरूकता की जरूरत है। सरकार ही नहीं, बल्कि आमजन को भी उन्हें जागरूक करने का काम करना चाहिए। उनके सामने जिस तरह की समस्याएँ होती हैं, उन्हें लेकर जागरूक करके, जब हम ट्रांसजेंडर्स के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास होगा। इस देश के विकास में उनकी भी भूमिका हो, इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Khargeji, not everybody is as experienced as you are. Let them get experience.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I have not said anything. I was looking at the question and the answer. Suddenly, you have taken my name.

MR. CHAIRMAN: You said that he is reading. So, let him get more experience.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The question of Dr. Fauzia Khan was different. The answer is different.

MR. CHAIRMAN: If she is not satisfied, let her write. ...(Interruptions)... I will get the detailed letter... ...(Interruptions)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: If she would not get proper answer, she has every right to ask again and again. She is very seasoned, she is a professor. Such people, when they ask, they ask a particular question and they expect a particular answer.

MR. CHAIRMAN: He would look into it, Khargeji. Now, fourth supplementary, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Realizing the social discrimination and indignity meted out to the transgender community, I brought a Private Member Bill which was passed in the Upper House. ...*(Interruptions)*... Yes, it was passed in the Upper House and it proposed for a National Commission for the welfare of the transgender community whereas the Government substituted it for a National Council. My simple clarification, which I seek, is this. How many times that Council has met so far after the legislation has been made? How many States have welfare boards for the transgender persons like Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra? Under this Garima Greh, how many houses have been built in various States? I want break up details.

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister. You address the Chair, please. Relax and do not worry about anything.

श्री बी. एल. वर्मा: माननीय सभापति महोदय, हमने जो नेशनल काउंसिल बनाई है, उसकी अब तक 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। आपने पूछा है कि इसके लिए हमने क्या-क्या किया है? मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (एनसीटीपी) का कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण, कल्याण तथा उनसे संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देने का है। साथ ही साथ हमने ट्रांसजेंडर प्रोटक्शन सेल भी बनाने का काम किया है, जो कि जिला स्तर और स्टेट स्तर पर है। यह जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होता है और स्टेट स्तर पर हम पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में इस सेल को चलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड व्यक्तियों के कल्याण, अधिकारों के संरक्षण तथा उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण हेतु नीतियों और योजनाओं के समन्वय और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने संबंधी कार्य करता है। आपने यह भी पूछा है कि कितने गरिमा गृह हैं? इसको मैं स्टेटवार बताऊंगा। मैं इसका ब्रेक-अप पूरी तरह से दे रहा हूँ। यह आंध्र प्रदेश में 1 है, असम में 1 है, बिहार में 1 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, दिल्ली में 1 है, गुजरात में 1 है, झारखंड में 1 है, कर्नाटक में 1 है, मध्य प्रदेश में 2 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, ओडिशा में 1 है, पंजाब में 1 है, राजस्थान में 1 है, तमिलनाडु में 1 है, उत्तर प्रदेश में 1 है, पश्चिम बंगाल में 2 हैं। इस तरह से इसमें सुचारु रूप से काम किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Now, fifth supplementary, Shrimati Ranjeet Ranjan.

श्रीमती रंजीत रंजन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि 20 सुचारु रूप से चालू हैं, लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें 18 ही हैं। आपकी यह योजना 2022 से शुरू हुई है, जिसमें आप हर गरिमा गृह को लगभग 36 से 48 लाख तक की राशि भी देते हैं। आपने दो किस्तों में राशि का भुगतान करना है। हम इतने लोग इस संबंध में बोल रहे हैं। समस्या यह है कि उनके लिए सामाजिक एक्सेप्टेस नहीं है। लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस समस्या का निदान कैसे होगा? आपके आन्सर में जो बताया गया है और जो रिपोर्ट में है कि मात्र 429 लोग ही इस गरिमा गृह में रहते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या पूरे देश में मात्र 429 ट्रांसजेंडर ही हैं, जिनको उसमें रखा गया है? क्या वजह है कि बाकी लोग उस गरिमा गृह में नहीं आते हैं? इसमें राशि का भुगतान 2022 से 2026 तक लगभग 7 से 8 करोड़ ही हुआ है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राशि दी जाती है, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि राशि लम्बित है। क्या राशि लम्बित है? हमारे देश में कितने ट्रांसजेंडर हैं? 18 या 20 गरिमा गृह में 429 ही ट्रांसजेंडर क्यों रह रहे हैं? इस संबंध में अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्यों वहां लोग नहीं जाते हैं? जैसा हमारी कलीग भी आपसे प्रश्न कर रही थीं, क्या वजह है कि वे ट्रैफिक में भीग मांगते हुए भी नजर आते हैं?

MR. CHAIRMAN: Ranjitji, please be specific. Please be specific about your supplementary.

श्रीमती रंजीत रंजन: क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि at least, वे ट्रैफिक में सड़कों पर लोगों से पैसे मांगते हुए नजर न आएँ? क्या सरकार इसके बारे में हमें बताएगी? Thank you so much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री बी.एल. वर्मा: माननीय सभापति जी, अभी जैसा बताया गया कि गरिमा गृह में हमारे कितने व्यक्ति हैं, तो मैं यह कहूंगा कि वे 429 नहीं हैं, 443 लोग हैं। अब तक हमने 1,812 लोगों को गरिमा गृह से प्रशिक्षण देकर वहां से निकालने का काम किया है। उनको एक वर्ष तक रखने की हमारी योजना रहती है। साथ ही साथ, इन्होंने पैसे की बात कही है, तो मुझे लगता है कि वह डाटा भी ठीक नहीं है। अब तक हमने 24 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए हैं। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो धन के अपर्याप्त उपयोग हैं, उनके कारण हैं। उसमें विशेष रूप से जो हमारे सीबीओज़ हैं, सरकारी कार्यक्रमों के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने में उनकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रहती है। साथ ही साथ, हमारे एनजीओज़ और अन्य लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें गरिमा गृह स्थापित करने के लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव अग्रेषित तो किए गए थे, जहां से गरिमा गृह की स्थापना हेतु हमें कोई अनुशंसा ही नहीं मिली है। जब तक अनुशंसा नहीं आएगी, तब तक हम इसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। हम आपसे इस सदन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि हर स्टेट से इसकी अनुशंसा आएगी, तो अच्छा होगा। भारत सरकार के मंत्रालय की योजना है कि हम हर स्टेट में गरिमा गृह खोलना चाहते हैं।

साथ ही साथ, सामाजिक कलंक, सामाजिक अस्वीकार्यता के अभाव में, परिवार के सहयोग के अभाव के कारण वे स्व-पहचान करने की अनिच्छा जाहिर करते हैं। कई बार जो

पहचान प्रमाण पत्र है, उसके लिए आवेदन करने में भी अक्सर बाधाएं आती हैं। हमने इसके लिए सीधे-सीधे पोर्टल देने का काम किया है। उनको इसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान उजागर करने का भय रहता है, चूंकि पूर्व में भेदभाव का अनुभव होता रहा है। इसलिए वे कल्याणकारी कारकों में पंजीकरण कराने से हमेशा वंचित हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम इसके लिए मिल कर जागरूकता लाने का काम करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारे गरिमा गृह भी बढ़ेंगे। पैसे का कोई अभाव नहीं है, लेकिन जब तक वह सही रूप से व्यय नहीं होगा, तब तक हम इसे नहीं देंगे। इसलिए अगर हम मिल कर इसमें काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सिर्फ ट्रांसजेंडर्स ही नहीं, बल्कि इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए आदरणीय मोदी जी जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि इस देश के विकास में सभी की भूमिका रहेगी, तो सबके सहयोग से रहेगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No.199.

Job creation through cooperative societies

#*199. SHRI PRADIP KUMAR VARMA: Will the Minister of COOPERATION be pleased to state:

- (a) the estimated number of jobs created through the cooperative sector during the last three years;
- (b) the number of members engaged in dairy, fisheries and agricultural cooperatives;
- (c) the assistance provided by the Central Government for promoting cooperative entrepreneurship; and
- (d) the targets for cooperative employment expansion in the coming years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COOPERATION (SHRI KRISHAN PAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) No such estimate has been carried out by the Ministry.
- (b) As per the National Cooperative Database (NCD), the State-wise total number of Dairy, Fishery and Agriculture & Allied Cooperative Societies, along with their number of members, is attached as **Annexure-1**.
- (c) The National Cooperative Development Corporation (NCDC) provides financial assistance for development of Cooperative Societies engaged in agriculture, agro-

Original notice of the question was received in Hindi.

processing, dairy, fisheries, storage, marketing and other allied activities. This facilitates income generation and employment opportunities for farmers, fishermen, rural artisans and other stakeholders. As on 25.02.2026, NCDC has cumulatively disbursed ₹5,16,122.32 crore for the development of cooperative institutions across the country. The details of sector-wise disbursement during last four years are provided at **Annexure-2**.

(d) The Ministry of Cooperation has taken a series of reformative steps/initiatives to strengthen the cooperative sector and to make the cooperative societies vibrant economic entities. These initiatives are likely to result in generation of employment in large numbers, particularly in rural areas.

Annexure-1

Number of Dairy/Fishery/Agriculture & Allied Cooperative Societies and Members

Sl. No.	State/UT	Dairy Cooperatives		Fishery Cooperatives		Agriculture & Allied Cooperatives	
		Total no. of societies	Members	Total no. of societies	Members	Total no. of societies	Members
1	Andaman and Nicobar Islands	48	736	136	3,829	25	759
2	Andhra Pradesh	1,138	34,092	2,076	2,19,864	709	54,986
3	Arunachal Pradesh	47	975	35	534	190	5,400
4	Assam	1,537	46,490	646	51,411	704	27,810
5	Bihar	12,239	731,900	498	4,82,247	1,533	90,646
6	Chandigarh	11	131	0	0	1	592
7	Chhattisgarh	1,088	31,667	2,002	59,481	83	5,154
8	Delhi	27	49	0	0	66	822
9	Goa	189	18,428	28	2,021	107	4,043
10	Gujarat	17,294	32,95,067	708	1,05,649	7,100	5,11,357
11	Haryana	7,449	2,28,093	130	1,446	423	14,785
12	Himachal Pradesh	1,218	39,864	79	9,884	78	11,864
13	Jammu and Kashmir	2,315	32,805	50	1,139	764	22,607

14	Jharkhand	432	14,889	948	53,701	993	37,557
15	Karnataka	18,699	29,79,215	789	3,32,739	511	4,17,187
16	Kerala	3,433	12,31,040	993	4,14,598	230	1,42,656
17	Ladakh	79	5,302	3	90	1	3,440
18	Lakshadweep	0	0	10	2,525	1	11
19	Madhya Pradesh	10,692	3,41,958	2,976	1,19,676	3,600	4,94,911
20	Maharashtra	13,597	10,72,086	3,408	4,63,423	3,616	4,72,894
21	Manipur	903	15,440	969	22,779	591	16,264
22	Meghalaya	197	4,490	132	3,572	199	13,595
23	Mizoram	75	2,685	61	1,968	287	12,497
24	Nagaland	141	1,149	395	4,800	1,889	39,848
25	Odisha	1,798	1,13,676	815	1,48,123	116	39,200
26	Puducherry	122	60,059	70	73,156	1	121
27	Punjab	7,885	2,66,990	60	721	368	20,476
28	Rajasthan	19,373	5,81,328	206	3,278	921	63,544
29	Sikkim	461	11,987	16	212	45	859
30	Tamil Nadu	10,719	14,68,720	1,483	7,32,939	33	16,111
31	Telangana	2,273	71,825	5,087	3,46,395	880	29,199
32	DNH & DD	33	687	22	4,607	14	270
33	Tripura	342	5,807	324	25,235	137	11,144
34	Uttar Pradesh	16,031	5,12,567	1,608	55,461	1,243	58,74,662
35	Uttarakhand	3,040	1,46,025	329	3,709	223	7,651
36	West Bengal	2,304	38,279	383	61,706	112	11,311
	Total	1,57,229	1,34,06,501	27,475	38,12,918	27,794	84,76,233

Source: NCD portal as of 01.03.2026.

Annexure-2

Sector-wise financial assistance provided by NCDC during the last four years (Rs. in crore)

Sl. No.	Activity	2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 (as on 25.02.2026)		
		Loan	Grants	Total	Loan	Grants	Total	Loan	Grants	Total	Loan	Grants	Total
1	Marketing	27984.01	0.73	27984.74	52904.07	1.51	52905.58	77,942.67	0.06	77,942.73	93,449.82	0.04	93,449.86
	Inputs	2.19	44.76	46.95	2.75	11.30	14.05	3.00	-	3.00	16.29	-	16.29
2(A)	Sugar Factories	694.25	0.00	694.25	2176.31	0.00	2176.31	7,925.54	-	7,925.54	4,506.28	-	4,506.28
2(B)	Textile	79.48	24.77	104.25	34.90	9.45	44.35	168.15	3.15	171.30	-	16.71	16.71
2(C)	Other Processing Units	1.45	0.13	1.58	1.44	1.56	3.00	2.90	1.11	4.01	3,001.14	1.10	3,002.24
	Total (2)	775.18	24.90	800.08	2,212.65	11.01	2,223.66	8,096.59	4.26	8,100.85	7,507.42	17.81	7,525.23
3	Storage	4.27	0.58	4.85	7.13	0.96	8.09	28.14	7.69	35.83	4.22	0.82	5.04
4	Cold Chain	-	-	0.00	8.40	2.66	11.06	23.90	-	23.90			-
5	Weaker Section Prog.												
	i Fishery Cooperative	107.10	192.31	299.41	29.96	11.81	41.77	20.91	53.08	73.99	0.02	0.07	0.09
	ii Dairy/Livestock	166.89	97.81	264.70	44.27	257.18	301.45	35.01	10.97	45.98	493.38	0.45	493.83

	iii	Poultry	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-			-
	iv	Tribal, S/C Cooperative	-	-	0.00	1.69	0.00	1.69	0.56	-	0.56			-
	v	Handloom Cooperative	4.54	24.03	28.57	0.23	0.00	0.23	1.52	-	1.52			-
	vi	Powerloom	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-			-
	vii	Women Cooperative	-	-	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05		0.05	0.15		0.15
	vii	Coir	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	15.00		15.00
	viii	Jute/Sericulture	-	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	1.06	-	1.06	0.20		0.20
		Total (5)	278.53	322.91	601.44	76.20	268.99	345.19	59.11	64.05	123.16	508.75	0.52	509.27
6		Computerisation of Coop.	5.71	39.31	45.02	0.00	0.42	0.42	-	4.58	4.58	-	0.23	0.23
7		Consumer Coop.	0.92	0.11	1.03	3.40	0.73	4.13			-	-	-	-
8		ICDP	139.91	37.96	177.87	2.11	21.16	23.27	1.44	0.18	1.62	-	-	-
9		C,IC&SC	11322.3	0	11322.3	5000.77	0.00	5000.77	8,874.77	-	8,874.77	9,680.31	-	9,680.31
10		Yuva Sahakar	0.05	-	0.05	1.08	0.00	1.08	0.69	-	0.69	0.39	-	0.39
11		P&D	0.22	6.29	6.51	0.00	6.73	6.73			-			-

12	FPO	-	38.25	38.25	0.00	48.33	48.33	-	71.75	71.75	-	114.74	114.74
13	FFPO	-	2.31	2.31	0.00	26.11	26.11			-		37.38	37.38
14	Agri Export & Export Promotion			-			-			-	175.00	-	175.00
	GRAND TOTAL (1 to 14)	40,513.29	518.11	41,031.40	60,218.56	399.91	60,618.47	95,030.31	152.57	95,182.88	1,11,342.20	171.54	1,11,513.74

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shriman Pradip Kumar Varma.

श्री प्रदीप कुमार वर्मा: सभापति महोदय, वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन एक दूरदर्शी एवं क्रांतिकारी कदम था। इस निर्णय ने देश की सहकारिता व्यवस्था को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई पहचान प्रदान की। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी के विजनरी नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों, ग्रामीणों और छोटे उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग बन चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्रालय द्वारा विगत दिनों देश में ...

MR. CHAIRMAN: Varmaji, please be specific about your question.

श्री प्रदीप कुमार वर्मा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्रालय द्वारा विगत दिनों सहकारिता मॉडल पर जो 'भारत टैक्सी' की शुरुआत की गई है, इसके उपभोक्ताओं को अलग से क्या-क्या लाभ मिलेगा और यह रोजगार के नए अवसर सृजन करने में किस प्रकार से उपयोगी होगी?

MR. CHAIRMAN: कितना लंबा your question is! Hon. Minister.

श्री कृष्ण पाल: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदन को और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जब से इस विभाग का कार्यभार देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी ने सहकारिता के क्षेत्र में अपार अनुभव रखने वाले माननीय अमित शाह जी को दिया है, तब से पिछले 4 सालों में सहकारिता में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए 137 से ज्यादा नई पहल शुरू की गई हैं। माननीय सदस्य ने 'भारत टैक्सी' के बारे में कहा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 'भारत टैक्सी' सहकारिता के तहत एक नई पहल है, जो मजदूर को मालिक बनाने का काम करेगी और मालिक बनाकर उसको सशक्त करेगी। इस पहल से ड्राइवर, मालिक भी बनेगा और भागीदार भी बनेगा। युवाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी होंगे। इस 'भारत टैक्सी' बनने के बाद ड्राइवरों को सम्मान भी मिलेगा, उनकी बेहतर आय भी होगी और निर्णयों में भी उनकी भागीदारी होगी।

माननीय सभापति महोदय, भारत का यह पहला सहकारी मॉडल पर आधारित ride-hailing platform है। इसका जो मूल उद्देश्य है, वह इस देश के लाखों, करोड़ों ड्राइवरों को सशक्त करना है, उनकी आय बढ़ाना है और उपभोक्ताओं को, इस देश के लोगों को सस्ती और विश्वसनीय टैक्सी सेवा देना है। सभापति महोदय, 6 जून, 2025 को इसकी शुरुआत हुई। Bharat Taxi app Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 के तहत पंजीकृत है। 5 फरवरी, 2026 को इसकी शुरुआत हुई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी और हमारे विभाग के माननीय मंत्री अमित शाह जी की सोच है कि इस देश के ड्राइवरों के खून-पसीने की कमाई सीधे ड्राइवरों के खातों में जानी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के हिस्से में जानी चाहिए। उस सोच के कारण, इस 'भारत टैक्सी' को

launch किया गया है। इसकी जो बुकिंग है, वह mobile app से आसानी से, सरलता से की जा सकती है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि इसमें सुरक्षा की भी पूरी गारंटी है और इसमें पूरी पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। इसमें live tracking की व्यवस्था की गई है। इसके साथ-साथ यह दिल्ली पुलिस के साथ एकीकृत है। जो सारथी है, वह verified है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please be brief. ...*(Interruptions)*... I am telling him to be brief. ...*(Interruptions)*... I am telling him. ...*(Interruptions)*...

श्री कृष्ण पाल: माननीय सभापति महोदय, ...*(व्यवधान)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You show us the time when we want to ask a supplementary.

MR. CHAIRMAN: Yes; please be brief. ...*(Interruptions)*... I am telling him. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You are not protecting us. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, I am protecting you more than the Ministers. ...*(Interruptions)*... That is always there. ...*(Interruptions)*... Now I am allowing you to speak. How can you say that I am not protecting you?

श्री कृष्ण पाल: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे एक ही जवाब में सारे supplementary questions के जवाब आ जाएंगे। आप सुनिए। उसके बाद अगर कोई बचेगा, तो आपको बताएंगे। महोदय, अभी इसका वर्तमान में जो संचालन है, वह दिल्ली-एनसीआर में है। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद हैं तथा गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका हैं। भविष्य में, अगले दो-तीन सालों में हम इसको देश के तमाम बड़े शहरों से लेकर तालुका तक पहुंचाने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि इसके तहत अब तक 4 लाख ड्राइवर्स पंजीकृत हो चुके हैं और उनमें से 1 लाख 83 हजार ड्राइवरों को verify कर लिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

*The House reassembled after lunch at two of the clock,
[THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA) in the Chair.]*

§DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Further discussion on the working of the Ministry of Rural Development raised by Dr. K. Laxman on 10th March, 2026. I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. The next speaker is Shri Sanjay Singh, you have nine minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, मैं अदम गोंडवी जी की चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ:

*"तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है।"*

सर, भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है, तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से यह देश को मालूम होना चाहिए। भारत सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए जो पूरा बजट प्रस्तुत किया, उसका मात्र 3.6 प्रतिशत बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। यह सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि ग्रामीण विकास के लिए आपकी सोच क्या है, ग्रामीण व्यवस्था को आप कैसे संचालित करना चाहते हैं, वहां पर कितना विकास करना चाहते हैं। मान्यवर, गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। उनमें से एक प्रमुख योजना है, जिसका ढिंढोरा भारत की सरकार बार-बार पीटती है - जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। हर घर जल की योजना, हर घर जल की योजना। वह जल जीवन मिशन क्या है, जिसके ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। गांव-गांव में पाइप से पानी पहुंचाने के नाम पर लोगों से आप पैसा लेंगे, वहां की जनता से मीटर लगाकर पैसे की वसूली करेंगे, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। उसके बाद, आपने गांव-गांव में सड़कों की खुदाई कर दी। जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिला पंचायत से सड़क बनी थी, ग्राम सभा से सड़क बनी थी, जो गांव के विकास के लिए पैसा लगा था, उसको जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोदकर, गांव के रास्ते खोदकर उसको बर्बाद करने का काम किया गया। जल जीवन मिशन, जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर रहा है। एक तो यह उस मिशन की खासियत है, जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): जो यहां के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम मत लीजिए।

§ Further discussion continued from the 10th March, 2026.

* Not recorded.

श्री संजय सिंह: मान्यवर, वह देश का सबसे बड़ा राज्य है। उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। अगर मैं भ्रष्टाचार के एक मामले में कोई जानकारी आपके माध्यम से दे रहा हूँ, तो वह आपको जानना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप इस सदन की जानकारी दीजिए।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट के नाम पर इस जल जीवन मिशन में गाँव-गाँव में टंकियां बनाई गईं। उन पानी की टंकियों की हालत जाकर देखिए। वे पानी की टंकियां उद्धाटन से पहले ही उजड़ जाती हैं। उद्धाटन से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं - पाँच-पाँच, दस-दस करोड़ की टंकियां। पाइपलाइन टूट जाती है। मैंने इसका मामला सबसे पहले उठाया था। तब सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी थी और कई मुकदमे मेरे ऊपर करा दिए थे। *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप नाम नहीं लीजिए।

श्री संजय सिंह: *दूसरी बात यह कि आपने गाँव के अंदर जो तमाम स्कीम शुरू की हैं, उनकी हकीकत क्या है? कितना बजट निर्धारित किया और कितना खर्च किया आपने? मान्यवर, मनरेगा के तहत 2025-26 में 86 हजार करोड़ रुपये बजट में निर्धारित किए गए थे और इस बार 2026-27 में आपने 88 हजार करोड़ रुपये मनरेगा के लिए निर्धारित किए। जब आपने 86 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए, तो आपकी गारंटी 100 दिन की थी। जब आपने 88 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए, तो आपकी गारंटी 125 दिन की है और आप कह रहे हैं कि हम 60 प्रतिशत भागीदारी करेंगे। पिछले कई वर्षों से, जब से नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि मनरेगा की स्कीम में एक भी साल में 50 दिन ज्यादा आपने रोजगार नहीं दिया। आपने मनरेगा स्कीम को मारने का काम किया, खत्म करने का काम किया और उसके बाद आपने कह दिया कि 40 प्रतिशत राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी, जो राज्य सरकारें ज्यादातर घाटे में चल रही हैं। आपको जो करना था, आपने वह कर दिया। आपने वीबी जी राम जी स्कीम पास कर दी, लेकिन मुझे बताइए—आपके हिस्से के 125 दिन के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपये होते हैं, मंत्री जी। आपने निर्धारित ही 88 हजार करोड़ रुपये किए हैं, तो आप इस स्कीम में क्या सोचते हैं? क्या आपकी योजना है और कितना बजट निर्धारित करना चाहते हैं? आपकी मंशा ही साफ नहीं है कि आप मनरेगा स्कीम को गाँव-गाँव तक चला सकें। इसके बाद हम आते हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष: मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं जवाब दूँ, तब आप सुनने के लिए जरूर उपस्थित रहिएगा, बोलकर चले मत जाइएगा। मैं एक-एक चीज का जवाब दूँगा।

* Not recorded.

श्री संजय सिंह: मान्यवर, इस समय [£] कौन है, यह पूरा देश जान रहा है। *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप असंसदीय भाषा नहीं बोलेंगे।

श्री संजय सिंह: पहले उनको निकाल कर लाइए। *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): इस देश के किसी भी प्रधान मंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे।

श्री संजय सिंह: आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): [£] शब्द असंसदीय है।

श्री संजय सिंह: पूरा देश गैस के लिए लाइन लगाकर खड़ा है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): इस तरह के शब्दों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री संजय सिंह: *आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, यह शब्द ठीक नहीं है।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मेरा बोलने का समय जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका बोलने का समय pause कर दिया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान: महोदय, मैंने वीबी जी राम जी पर रात को डेढ़ बजे तक चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई, तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ ज़रूर उपस्थित रहिएगा। मैं एक-एक चीज का जवाब दूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): [£] शब्द को कार्यवाही में शामिल नहीं करेंगे।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं। उज्जवला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गाँव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गाँवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की [£] में खड़े हो गए, जिसके कारण हिंदुस्तान को आज गैस के संकट से जूझना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गाँव लाइन में खड़े हैं, शहर लाइन में खड़े हैं, एक-एक इलाका लाइन में खड़ा है। मान्यवर, होटल बंद हो रहे हैं। मोरबी के अंदर गुजरात में

[£] Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आपने क्या हालत कर दी है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि भागिएगा नहीं। मैं बिल्कुल बैठकर आपकी एक-एक बात को ध्यान से सुनूंगा। जितनी बातें मैंने कही हैं, उसका पूरा जवाब दीजिएगा और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... दूसरी बात यह है कि [£] पूरा देश देख रहा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका समय समाप्त हो रहा है। इस चर्चा के दौरान जो भी असंसदीय शब्द आया होगा, वह शामिल नहीं होगा। यदि असंसदीय शब्द है, तो शामिल नहीं होगा और असंसदीय शब्द नहीं है, तो शामिल होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि असंसदीय शब्द रिकॉर्ड पर नहीं आएगा, लेकिन आज कल जो व्यवस्था है, उसके माध्यम से ये चीजें बाहर चली जाती हैं। इसलिए यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसको रिकॉर्ड में नहीं लिया है, वह बाहर भी नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): घनश्याम जी, आपने किस बारे में कहा है? ...**(व्यवधान)**...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हम सारी व्यवस्था करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप सीधे बात नहीं करेंगे। आप पीठ को संबोधित कीजिए। ये आमने-सामने बहस का मुद्दा नहीं है। आप संसद में हैं। ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्य, आप पीठ को संबोधित कीजिए। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। ...**(व्यवधान)**... The next speaker is, Shri P.P. Suneer. ...**(Interruptions)**... मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो चर्चा होती है, उसमें शब्दों का संयम आवश्यक होता है। आरोप लगाने पर मनाही नहीं है, लेकिन आरोपों में शब्दों की भी एक सीमा होती है, उसका पालन करना होगा। जो इस प्रकार के शब्द आए होंगे, जिनमें आपत्ति हो सकती है, वे सम्मिलित नहीं होंगे। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे घनश्याम जी ने सोशल मीडिया के बारे में जिक्र किया। यहां पर जो वक्तव्य होते हैं, उनको सोशल मीडिया पर देते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम कुछ विश्लेषण लगाते हैं, तो वह यहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन जब वह सोशल मीडिया में चलता है, तो कभी माननीय प्रधान मंत्री जी सुनते हुए दिखाई देते हैं, कभी गृह मंत्री जी सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। संसदीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत उन्हीं के बारे में होना चाहिए, जो मौजूद हों। Next is, Shri P.P. Suneer; three minutes.

* Not recorded.

[£] Exupnged as ordered by the Chair.

SHRI P. P. SUNEER (Kerala): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Working of the Ministry of Rural Development. At the outset, I would like to emphasize that rural development is not merely a budgetary exercise. It is the backbone of our nation's inclusive growth. More than two-thirds of our population lives in rural areas, and their livelihoods, infrastructure, and social security depend significantly on the policies and allocations made by this Ministry. Rural India continues to face multiple challenges, unemployment, agrarian distress, lack of infrastructure and widening inequalities. As per the Union Budget 2026-27, the Budget Estimate for the Ministry of Rural Development in 2025-2026 was Rs. 2,86,754.53 crore, but in 2026-27, the Budget Estimate is just Rs. 2,40,768.81 crore, which clearly indicates a huge decline in the allocation for the Ministry of Rural Departments. One of the most important programmes under the Ministry has been the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. This scheme has been a lifeline for millions of rural households. However, we repeatedly see situations where funds are exhausted before the end of the financial year, resulting in delayed wage payments and reduced workdays for labourers. Now, this scheme itself has been replaced by the newly introduced *Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin)*, VB-G RAM G, with only 60 per cent assistance from the Centre. Sir, employment guarantee is not charity; it is a legal right of the rural workers. Whatever be the scheme, delayed wages defeat the very spirit of the scheme. I urge the Government to ensure adequate and timely funding for the above scheme, so that workers receive their wages without delay and guaranteed number of workdays is actually provided.

Sir, another concern is the delay in release of funds to States and implementing agencies. Development programmes succeed only when funds reach the grassroots in time. Greater transparency, simplified procedures and cooperative federalism are essential to ensure that States and local bodies implement these schemes effectively.

Finally, Sir, I urge the Government to ensure adequate funding, timely wage payments under employment schemes, improved support for rural housing, stronger infrastructure development and greater employment of self-help groups and local institutions. If rural India prospers, India prospers. Strengthening our villages means strengthening the foundation of our nation. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Thank you, Shri P. P. Suneer. The next speaker is Shrimati Rekha Sharma — ten minutes.

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on the demands for grants of the Ministry of Rural Development, which reflects the Government's commitment to transforming the lives of 65 per cent of Indian population living in the rural areas. India's civilization and wisdom have always recognized the importance of villages. सुमित्रानंदन पंत जी के शब्दों में कहूँ - भारत माता ग्राम वासिनी।

Sir, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has repeatedly emphasized that India's development is incomplete without the development of villages. He has said that the road to Viksit Bharat-2047, a fully developed nation by the centenary of our Independence, passes through empowered and prosperous rural communities. This vision is reflected in the Budget for the financial year 2026-27 where the Government has allocated about Rs. 1.94 lakh crore for the Department of Rural Development. This significant allocation demonstrates the Government's commitment towards strengthening rural infrastructure, generating livelihoods and ensuring inclusive growth.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, जब हमारी भारत सरकार ने मनरेगा को विकसित भारत, ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, तब कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया था, लेकिन हमारी सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है। हमारी सरकार का उद्देश्य है - ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आजीविका को सशक्त बनाना। इसी संकल्प के साथ, इस बजट में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों और ग्रामीण रोजगार गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। At the same time, the Government has taken a forward-looking step by introducing a new employment and livelihood initiative, the *Viksit Bharat Gramin Yojana and Ajeevika Mission (Gramin)*, with an allocation of over Rs. 95,000 crore. This initiative focuses on creating substantial rural assets, strengthening livelihood and improving economic opportunities in the villages. सर, पीएम-किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसान परिवारों को 3.7 लाख करोड़ से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया है। इसमें एक फंडामेंटल चेंज आया है। सरकारी योजना अब फाइल में नहीं, सीधा किसान के बैंक खातों में पहुंचती है। यूपीए के दौरान यह मॉडल क्या था? 2008 की एग्रीकल्चर डेट वेवर स्कीम, जिसका खर्च 70,000 करोड़ से ज्यादा था, लेकिन उस स्कीम के माध्यम से न प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, न सब्सिडियल इनकम क्रिएट की गई। एक लाइन में कहूँ, तो यूपीए के समय राहत के नाम पर केवल ढोंग और दिखावा होता था। मोदी सरकार ने उस राजनीति को बदलते हुए राहत के साथ-साथ वास्तविक सुधार कर देश के गरीब और ग्रामीण वर्ग को सशक्त बनाने का काम किया है।

सर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। बजट में एनिमल हसबैंड्री और फिशरीज के लिए 5,264 करोड़ का आवंटन किया गया है। फिश प्रोडक्शन 17.5 मिलियन टन

तक पहुंच चुका है। डेयरी और मत्स्य पालन ने गाँव की इकोनॉमी को मल्टी इकोनॉमी मॉडल दिया है और इसका सबसे बड़ा लाभ छोटे किसानों और ग्रामीण महिलाओं को मिला है।

सर, डेटा सब सच बोलता है। 2014 से 2024 के बीच भारत में 17.19 करोड़ नई नौकरियाँ क्रीएट हुईं, जबकि यूपीए के दस साल के कार्यकाल में सिर्फ 2.9 करोड़ नौकरियाँ क्रीएट हुईं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी - नीयत साफ हो, तो नीति सफल होती है और जब नीति सफल होती है, तो विकास भी होता है।

सर, रूरल प्रॉस्पैरिटी की बैकबोन है - कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। आज लगभग यूनिवर्सल रूरल कनेक्टिविटी अचीव हो चुकी है। सड़क का मतलब केवल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि सड़क का मतलब होता है किसान के लिए बाजार, बच्चों के लिए स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, महिलाओं के लिए सेफ ट्रैवल और न्यू अपॉर्चुनिटीज़।

चेयरमैन सर, पीएम आवास योजना - ग्रामीण के तहत 3.7 करोड़ ग्रामीण घर बन चुके हैं। इसका बजट एलोकेशन 54,916 करोड़ है, जो 2013-14 से 266 परसेंट ज्यादा है। ये सिर्फ मकान नहीं हैं, ये गरीबों के घर हैं। यूपीए के दौर में इंदिरा गांधी आवास योजना के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे। मोदी सरकार जियो टैगिंग, डीबीटी मॉनिटरिंग के जरिए लीकेज को समाप्त कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाई है।

सर, मैं खास तौर पर रूरल वूमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाहूँगी। डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत दस करोड़ से अधिक महिलाएं 19 लाख स्वयं सहायता समूह, जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, से जुड़ी हुई हैं। इस साल इसके लिए 19,200 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। आज गाँव की महिला डेयरी चलाती है, हैंडिक्राफ्ट चला रही है, डिजिटल बैंकिंग एजेंट है, लखपति दीदी बन रही हैं। यही है नए भारत की ग्रामीण महिला की कहानी। जिस महिला को कभी सिस्टम ने नजरअंदाज किया था, आज वही गाँव की इकोनॉमी की लीडर है। As Swami Vivekanand said, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved." अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूँ, तो बिहार के मधुबनी जिले में एक सुनीता देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्या थीं। पहले उनकी मासिक आय कुल 15,000 रुपये थी। सुनीता देवी ने एनआरएलएम योजना के माध्यम से मशरूम की खेती शुरू की। आज उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी बेटी इंजीनियरिंग में पढ़ रही है। यही है सशक्त भारत का सशक्तिकरण। कहते हैं न, नारी जब स्वावलंबी होती है तो परिवार नहीं, समाज बदलता है। Through self-help groups and the rural enterprises, the women across villages are becoming entrepreneurs, leaders and drivers of local economy. सर, गाँव को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज और सहकारी समितियों को भी मजबूत किया गया है। बजट में 1,190 करोड़ पंचायती राज के लिए दिए गए हैं। 1,744 करोड़ कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के लिए आवंटित किए गए हैं। यूपीए के दौरान कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ही नहीं थी। आज सहकारी समितियों को 56 modernisation initiatives के माध्यम से मजबूत किया गया है। सर,

ग्रामीण विकास का मतलब केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं होता है। ग्रामीण विकास का मतलब होता है - किसान की आय, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और सहकारी अर्थव्यवस्था। आज भारत एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है - महिला नेतृत्व, बड़ा विकास, farmer-centric economy and transparent governance. I would also like to suggest that the Government and the Ministry launch a dedicated programme to inspire younger generation to reconnect with the roots and return to the villages, contributing to the rural development and nation building. सर, मैं अपनी बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ:

*“हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ।”*

आज भारत के गांव में यही नया गीत गा रहे हैं - समृद्धि का, स्वावलंबन का और नारी शक्ति का। परिवर्तन के केंद्र में है — प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shri Tiruchi Siva. You have nine minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, when it is to be appreciated that the Parliament discusses the working of the various Ministries, it is also imperative on the part of the Parliament to discuss some burning issue which has emerged in the nation at large. Though India is not directly involved in a war, the Iran-Israel-American war has created a huge impact with regard to the fuel, especially, the existing issue now is about the natural gas and cooking gas. Every State is convening urgent meetings on how to address the issues. The restaurants are being closed for shortage of gas. The prices are going up. Even the homemakers are very much suffering due to this. So, is it not very much important for the Parliament to discuss this? We feel very sad and I want to put it on record that the Parliament should consider it as a responsibility to discuss and resolve the issue. We do not know what is going to happen. As I said, though India is not directly involved, but we have to see how the economic recession, which emerges in some other nation, impacts the rest part of the world. So also the fuel crisis will affect much more and what is on the card in the Union Government is...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): इस समय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पर चर्चा हो रही है। आपको विषय पर आना चाहिए।

SHRI TIRUCHI SIVA: Let me come to that. It is not out of context. People in the rural areas are also affected. We are going to discuss about the Ministry of Rural

Development. People in the rural India are also affected. So, it is not out of the purview of today's subject. I am speaking about that only. I want to say to everyone that we must rise to the occasion. Whatever actually concerns the people, the Parliament should also take the same into serious consideration because the Government is accountable to the Parliament and the Parliament is accountable to the people. When they are expecting, when the Parliament is working and nothing is being discussed about their issues, they will be bothered and we are answerable to them.

Now, the responsibility of the Ministry of Rural Development is to enhance employment opportunities, social security and infrastructure development in rural areas, as well as to ensure sustainable development through land reforms. Sir, there are various schemes of the Government. I cannot discuss everything within the stipulated time. Time is very limited and we are aware of it. Now, I come to the VB-G RAM G, which has now been legislated by the Government and they are very proud of it. Sir, first of all, let me tell you that any Centrally-Sponsored Scheme must be totally funded by the Union Government. But it is not so with this BJP Government's scheme which they boast of. In 2015-16 itself, the funding ratio of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was also converted into 60:40, with 60 per cent funded by the Union Government and 40 per cent by the State Government. Similarly, the funding ratio for the VB-G RAM G has now been changed to 60:40. It puts burden on the State Governments. Sir, you are taking away the powers of the State Governments; you are not giving them their dues. In case of Tamil Nadu, even the material component dues for MGNREGA are still pending. We have been asking for it repeatedly. There are 91 lakh active workers in Tamil Nadu. We are asking for more because we have to accommodate them in order to honour their demand. The demand is there but, it is also not being met and now you are dropping MGNREGA! Out of total Budget allotment of Rs. 1,97,000 crore or so, lion's share of Rs. 95,000 crore is allotted for VB-G RAM G. Only Rs. 30,000 crore is allotted to MGNREGA, which used to be much more earlier.

Sir, you just moved away the Gandhi statue from the Parliament premises to somewhere where nobody is able to see that. You go to the United Kingdom. It is there outside the House of Commons. The British ruled us once, but now Gandhi statue is there. But, here, visitors cannot access the place where the Gandhi statue is. Even we are made to roam around the Parliament to go to the place. Such things have happened. What was the need for lifting the Gandhi statue? ...*(Interruptions)*... This is also the subject. You removed Mahatma Gandhi's name from MGNREGA.

Firstly, you lifted the statue and now you have taken away the name of Mahatma Gandhi from MGNREGA, and, Sir, the amount of 30,000 crore of rupees, which has been allotted, is only to clear the dues. Slowly, it will be signed off. Sir, it was a scheme legislated by the Parliament, which ensured a universal right to employment. But the hon. Prime Minister, Mr. Narendra Modi, called it a failure. How can you call a universal right to work a failure, that too, when the rural people, the poorest of the poor in the nation are being given job through this legislation? Sir, you have not yet notified the VB-G RAM G. When will it come into force? You are dropping MGNREGA but the VB-G RAM G has not yet been notified. State Governments have already submitted their budgets. They will be running short of funds for 40 per cent share that you are demanding. What will happen to the rural workers? MGNREGA was created only for the non-agricultural period. What will they do in future? You have to reply. It is not an accusation, it is not an allegation; it is only a clarification we are seeking from you. You have not yet notified VB-G RAM G. You are going to drop MGNREGA. What about the employment they were getting in the rural areas? You are liable to provide answer to these questions. These are very genuine questions from our side on behalf of the people in the country.

Sir, if one Government starts some scheme, the next Government, which assumes office, need not exactly drop it off. Let me give you one example. The Golden Quadrilateral, the four-lane roads, which we see everywhere, was the brainchild of the then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. When it was about to start, Dr. Manmohan Singh came to power but he did not drop that scheme. He said that it was a very good one, it has to be continued properly. Similarly, when our leader, Dr. Kalam, became the Chief Minister, he continued or maybe refined, the Nutritious Meal Programme, which was started by late MGR. That is the magnanimity, which every Government should show. But you chop off everything which the previous Government was doing, whatever the benefit it was giving. So, I think I need not elaborate everything. The Government should not be little-minded, Sir. It should be very broad-minded. Good schemes implemented by the earlier Government must be carried forward. But you are not doing so. Since the time constraint is there, I just want to say one more thing. What about the PMAY-Gramin, your Prime Minister Awas Yojana for building houses in the rural areas? You give Rs. 1,20,000 per house for the cost of construction materials. How can a house be built for Rs. 1.2 lakh? Nothing can be built. In the CAG report, it has come in the limelight that in U.P., whatever has been declared as complete is incomplete. Many houses are not plastered; many houses do not have toilets; many houses do not have

electricity. This is the condition of your PMAY in your State, where you are ruling. Come to Tamil Nadu, we have got Kalaigharin Kanavu Illam, Kalaighar dream house. We are giving Rs. 3.5 lakh. We have built one lakh houses so far and we are aiming to go beyond two lakh in the coming days. In the earlier days, the Government used to go to foreign countries to see how it has developed. Now, I would urge the Union Government to come to Tamil Nadu and see how a State could be developed, how a Government could function. ...(*Time-bell rings*)... This is the way, Sir. Again, I would say, when we are given some responsibility and power, we are doing something which people appreciate, which others can follow. But you have to mend your ways. What you are doing is out of the way. So, consider very sincerely. The Ministry of Rural Development is a very important Ministry.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA: It is aimed at enhancing employment opportunities, social security and infrastructure also. No roads are there. In 1971 itself, Tamil Nadu had got all rural connectivity. But you are still...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका धन्यवाद। आपकी बात आ गई।

SHRI TIRUCHI SIVA: Please, Sir. Let me complete. I will conclude in one minute only. I am talking about the Government and the Government is listening. They are bound to reply to us. So, with these words, Sir...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका एक मिनट ज्यादा हो गया है।

SHRI TIRUCHI SIVA: I know, Sir. Time will not decide everything. Some issues have to be resolved only in the Parliament, I would say again, not in the street corners. They can be resolved only here.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): इसके लिए अगली बार आपको समय मिलेगा।

SHRI TIRUCHI SIVA: We are letting out our feelings very genuinely. I am not accusing them. I say with evidences. You go through the CAG Report about the UP PMAY houses and see their condition. It is not Tiruchy Siva's statement, it is the CAG's Report. So, this is your State. Kindly look into all your schemes and implement them in a proper manner to benefit the people. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद। आपका काफी समय हो गया। माननीय तिरुची शिवा जी का धन्यवाद। हालांकि आपने 'जी राम जी' पर काफी बोला है, लेकिन संसद की व्यवस्था है कि मुझे रामजी को ही बुलवाना पड़ेगा। माननीय सदस्य श्री रामजी। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है। साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, भारत एक गांवों का देश है, जहां लगभग 70 परसेंट आबादी गांवों में रहती है। 2021 की जनगणना के अनुसार, भारत में 6 लाख, 28 हजार, 221 गांव हैं। गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है, इसलिए आज भी सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ भाषण व आंकड़े बताकर अपनी वाहवाही करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, गांवों में हर स्तर का विकास करना होगा। वहां हर स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार, सड़क, कृषि विकास पर जोर देना होगा। जब गांवों में अच्छे स्कूल और अस्पताल होंगे, जब किसानों को आधुनिक तकनीकी और उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तभी वास्तविक ग्रामीण विकास संभव होगा।

मान्यवर, आज भी लाखों गांव ऐसे हैं, जहां अच्छी सड़कें, शुद्ध पानी, अस्पताल और अच्छी उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गांवों में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आजादी के 71 सालों बाद भी, आज तक उपलब्ध नहीं हैं। आज भी गांवों के अन्दर लोगों को एम्बुलेंस तक की सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश से हैं। वे यहां बैठे हुए हैं। एमपी के रीवा के सिरमौर में एक आदिवासी महिला प्रेग्नेंट थी। जब वहां बारिश हुई, तो रोड के ऊपर कीचड़ भर गया। इसके चलते वह महिला वहां कीचड़ में फंस गई और अस्पताल नहीं पहुंच पाई। इससे उसके बच्चे की मौत हो गई तथा उसकी भी मौत हो गई। मैं यह बात आपको बताना चाहता हूँ। आज भी कई जगहों पर स्कूल की सुविधाएं तक नहीं हैं। सरकार ग्रामों के विकास के लिए तमाम योजनाएं तो लेकर आई, लेकिन ज्यादातर सिर्फ कागजों और आंकड़ों में ही दिखाई देती हैं। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, बाबा साहेब, डॉ. भीमराव अम्बेडकर ...**(व्यवधान)**..., मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आप परेशान न होइए, कर्मिंग बैक। बाबा साहेब, डॉ. भीमराव अम्बेडकर कहते थे, गांव दलितों के लिए बूचड़खाना है, जिसको दलितों और आदिवासियों के साथ जातिवाद, शोषण, अज्ञानता का केंद्र मानते थे। यह बात 80 से 90 साल पहले की थी और आज भी यह देखने को मिलता है। गांव में आज भी जहां दलित, आदिवासी बस्ती शुरू होती है, वहाँ पर न तो स्कूल है, न सड़क है, न पानी है और वहाँ की हालत बुरी है। वहाँ सड़कें भी नहीं होती हैं। आज भी उनके साथ दुर्यवहार होता है। मान्यवर, मैं यह आपसे बताना चाहता हूँ। उसके अलावा, गांव में एससी-एसटी के लोग मुख्यतः सरकारी जमीनों पर रहते हैं, चाहे आबादी की हो, चाहे बचत की हो, चाहे बंजर की हो, चाहे चरागाह की हो, ऐसी जमीनों पर वे लोग रहते हैं। वे लोग 50-100 साल से मकान बना कर रहते हैं, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? वह बुल्डोजर से उन मकानों को तोड़ रही है और बोलती है कि चूँकि यह सरकारी जमीन है, इसलिए इसको खाली करो। आखिर ये दलित, आदिवासी कहाँ जाएंगे? उनके पास जमीन नहीं है। इसलिए इस पर भी सरकार पूर्णतः रोक लगाने का काम करे।

मान्यवर, यूपी में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में गांव का विकास हुआ। मान्यवर, आप भी वहाँ पर थे, इसलिए आप भी इस बात को मानते हैं। ...**(समय की घंटी)**... मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। लास्ट प्वाइंट है, एक मिनट का समय दिया जाए।

मान्यवर, 10,000 गांवों को अंबेडकर गांव बनाया गया और उन 10,000 गांवों के अंदर आरसीसी रोड्स, हाई मास्ट लाइटें, अंबेडकर पार्क, स्कूल और कॉलोनियाँ दी गईं। वहाँ पर आरसीसी रोड्स बनाई गईं। जब पूरे देश के अंदर कोई जानता नहीं था, उस वक्त गाँवों के अंदर आरसीसी रोड बनाई गई। इस तरह से गाँव का विकास किया गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब उस वक्त उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा के लिए 5,000 स्कूल खोले जा सकते थे, तो इस वक्त भी आपको पूरे देश में ज्यादा-से-ज्यादा स्कूल खोलने का काम करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात आ गई है। कृपया आप समाप्त करें।

श्री रामजी: मान्यवर, मेरा लास्ट पॉइंट यह है कि मैं सरकार से चाहता हूँ कि अगर आप गांव का विकास चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंप्लॉयमेंट के लिए परमानेंट सॉल्यूशन देना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद।

श्री रामजी: आप भूमि सुधार कानून लेकर आइए। आप पूरे देश में भूमिहीन गरीबों को दो से तीन एकड़ का पट्टा दीजिए। इससे गांव का विकास हंड्रेड परसेंट सुनिश्चित होगा, धन्यवाद। जय भीम! जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद, रामजी। Next speaker is Dr. Anil Sukhdeorao Bonde. You have ten minutes.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्राम विकास विभाग, जिसका संचालन और नेतृत्व आदरणीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, उसके बजटरी एलोकेशन तथा कार्य का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कहना है कि अगर हमें नए भारत की शुरुआत करनी है, नए भारत का निर्माण करना है, तो हमें अपने गांवों को सशक्त और समृद्ध बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि गांवों के विकास से ही देश का विकास होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अंत्योदय और एकात्म मानवतावाद दिया है, उन्होंने बार-बार कहा है कि देश की चित्ती एक गांव में रहती है और गांव ही ऐसा है, जहां देव, देश और धर्म, तीनों चीजों की संरचना संरक्षित की जाती है।

महोदय, मैं एक गाँव से आता हूँ और हमारे गाँव में बचपन से मैं देखता हूँ कि कबड्डी खेली जाती है, हू-तू-तू खेला जाता है, खो-खो खेला जाता है, कुश्ती खेली जाती है, लेकिन हमारे गांव

में मार्शल आर्ट वगैरह नहीं था। हमारे गाँव में मार्शल आर्ट, कुंग फू, जूडो वगैरह नहीं था, क्योंकि सभी देशी खेल थे। लेकिन मैं कल से एक मार्शल आर्ट करने की बात सुन रहा हूँ। वह सुनने के बाद मैं मुझे लगा कि 2004 में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो 1999 से 2004 तक थी, गांव को एक नया चेहरा मिलने वाला था, लेकिन 2004 से ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि एक हाथ भ्रष्टाचार का और एक हाथ शोषण का, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर आ गया, यानी जिसको ग्रिप बोलते हैं। ग्रिप के बारे में लोगों को लगा कि यह मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले की जादू की झप्पी है। 2004 से 2014 तक के इस ग्रिप से लोगों को लगा कि यह मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली मोहब्बत की झप्पी है। लेकिन, ऐसी ग्रिप गांवों के ऊपर बढ़ती गई, गांव का आदमी, ग्रामीण इलाका चोक होता गया। ग्रिप, चोक और फिर उसको टैप करने की नौबत आ गई थी, लेकिन 2014 के पहले एक युग निर्माता, जो भारत में पैदा हुए, उस युग निर्माता ने पूरे गांव वालों को, पूरे देशवासियों को बताया कि टैप करने की जरूरत नहीं है। कल जिसने बोला - ग्रिप, चोक और टैप - टैप करने की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी ऐसी ग्रिप लगाने की कोशिश अफजल खान ने की थी, अफजल खान ने चोक करने की कोशिश की थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने टैप नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाघनख निकाली, अफजल खान का पेट फाड़ा और अफजल खान गिर गया। 2014 में जो युग पुरुष भारत का नेतृत्व करने के लिए आया, ...(व्यवधान)... सुनने की ताकत रखो। ...(व्यवधान)... महोदय, उस युग पुरुष ने ग्रामीण जनता को बताया कि ग्रिप, चोक के बाद टैप करने की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बाघनख निकालो *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी न करें।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: *2014 के बाद प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्राम विकास का ...(व्यवधान)... कांग्रेस की सत्ता थी, इसलिए कांग्रेस की सत्ता बोली!

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सर, ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): एक सेकंड। प्रमोद जी, आप बहुत संक्षेप में बताइए।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैं बहुत संक्षेप में विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि चर्चा बड़े अच्छे वातावरण में चल रही है। अब ये बाघनख से कांग्रेस पर आ गए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): जो भी ऐसा शब्द होगा, जो संसदीय नहीं है, उसको हम निकाल देंगे।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: इसमें हटाने लायक कोई बात नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): मैंने कहा न, अगर होगा तो हटा देंगे।

* Not recorded.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: कांग्रेस की सत्ता लोगों ने हटा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे ग्राम विकास का ब्यौरा ही बदल डाला। देखिए, 2004 के पहले क्या था। गांव से संपर्क करने के लिए रास्ता नहीं था। 2004 से 2014 तक पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं था। कोई बीमार पड़ा, तो उसके लिए आरोग्य सुविधा नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था। यह सही बात है। शौच के लिए शौचालय नहीं था, बाहर जाना पड़ता था। हमारी मां-बहनों को भी बाहर जाना पड़ता था। हाथ को काम नहीं था और यदि किसानों को सिंचाई करनी होती थी, तो सिंचाई के लिए पानी नहीं था। चूल्हे के लिए गैस नहीं थी, महिलाओं का सम्मान नहीं था, किसानों को कहीं कोई मदद नहीं मिलती थी। किसानों के लिए कर्जा नहीं था और यदि कृषि में नुकसान हुआ, तो उसके लिए कृषि बीमा नहीं था। जान के नुकसान के लिए बीमा नहीं था। विधवा के लिए पेंशन नहीं थी, वृद्धों के लिए सहारा नहीं था और दिव्यांगों को कोई मदद नहीं मिलती थी। अब हम बताते हैं कि ग्राम विकास में 2014 के बाद क्या फर्क आया। 2014 के बाद सबसे महत्वपूर्ण, कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। कनेक्टिविटी के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के आंकड़ों को हम देखें, तो कह सकते हैं कि इसमें आज तक 8 लाख, 50 हजार, 320 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हो गईं और उसमें से 93 परसेंट, यानी 7 लाख, 91 हजार, 270 किलोमीटर सड़कें पूर्ण हो गईं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को निरंतर बढ़ाने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उसके लिए अगर हम बजट का आवंटन देखें, तो वह 2026-27 में 19 हजार करोड़ रुपए को दर्शाता है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गाँवों में आवागमन में नदी और नाले अड़चन बनते हैं। बहुत सारे लड़के तो पढ़ाई भी इसलिए नहीं कर सकते कि दूसरे गाँव में स्कूल रहता है। बीच में अगर कोई नाला या नदी हो तो उनका आवागमन ही बंद हो जाता है। बरसात के दिनों में तो गाँव ऐसा आइसोलेटेड हो जाता है कि ट्रीटमेंट कराना हो या किसी माँ को डिलीवरी के लिए ले जाना पड़े तो भी उसे गाँव से बाहर नहीं ले जा सकते। इसलिए नदियों और दुर्गम क्षेत्रों में पुल बनाना सबसे महत्वपूर्ण था। महोदय, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि मैं गाँव से आता हूँ, मुझे पता है कि गाँव में 2014 के पहले क्या दिक्कत थी। बरसात के दिनों में रास्ता नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, पुल नहीं, पानी भरा हुआ है। स्कूल में तो जाने की बात छोड़ दीजिए, दवाखाने में भी जाना संभव नहीं था। 10,452 पुलों का निर्माण हुआ। उपसभाध्यक्ष महोदय, विशेषकर पीएम जनमन के तहत, जहाँ कमजोर जनजातियों के समूह हैं—पीवीटीजी जैसी बस्तियों को जोड़ने के लिए पीएम जनमन के माध्यम से 7,324 किलोमीटर की सड़कों को मंजूरी दी गई और 2,910 बस्तियों को जोड़ा गया।

सर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो गाँव बॉर्डर पर रहते थे, उन विलेजेस को हर बार नेगलेक्ट किया जाता था। उस वक्त के नेता कहते थे कि अगर उनका डेवलपमेंट किया तो शायद उसका यूटिलाइजेशन enemy country करेगा। लेकिन इन विलेजेस का रूरल डेवलपमेंट करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तरी सीमाओं के गाँवों को जोड़ने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों को स्वीकृति दी गई। एक 1,085 किलोमीटर सड़क की लंबाई से 136 दूर-दराज की बस्तियों को जोड़ा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हरित तकनीक के माध्यम से 1.31 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। ...**(समय की घंटी)**... महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: महोदय, मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): इतना समय तो नहीं दिया जा सकता। आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: एक आखिरी बात कह लेने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अगर कोई विशेष बिंदु हो तो आधे मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: मैं सड़कों के साथ ही वाटरशेड के बारे में बोलना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): उसके लिए आप कल बोलिएगा या भविष्य में बोलिएगा। आपका बहुत-बहुत आभार। Next is Shrimati Priyanka Chaturvedi. ...(*Interruptions*)...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: सर, मैं वाटरशेड के बारे में बोलना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बोंडे साहब, आपका विषय आ गया है, आपने बहुत अच्छा बोला है। ...(*व्यवधान*)... आप आधे मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। पार्टी ने आपको आधे मिनट का समय अतिरिक्त दिया है।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: सर, रोड कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। सड़कों के साथ-साथ वाटरशेड का निर्माण, महिलाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार—इन सब के माध्यम से आज ग्रामीण स्वरूप बदल रहा है। जब ग्रामीण स्वरूप बदलेगा तो स्थानांतर कम हो जाएगा। वीबी-जी राम जी के माध्यम से भी लोग गाँव में रहेंगे। एक विकसित भारत का जो सपना है, उसका माध्यम ही ग्राम विकास है और ग्राम विकास में इतना अच्छा काम हो रहा है, उसके लिए मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, You have three minutes.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): सर, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं अभी उनको सुन रही थी, वे भी महाराष्ट्र के सांसद हैं। वे कह रहे थे कि पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ था—न रोजगार था, न महिलाओं की सुरक्षा थी, न डेवलपमेंट था, कुछ था ही नहीं। सब कुछ 2014 के बाद ही शुरू हुआ। शायद हो सकता है कि डॉक्टर बनने से पहले उन्होंने किताबों में जो हिस्ट्री के चैप्टर होते हैं—ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन—उन्हें मिस कर दिया हो। वह अगर पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता।

सर, जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं और ग्रामीण मंत्रालय की बात करते हैं, तो यह सिर्फ यूनियन बजट का एक सेक्टर नहीं है। यह हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे भारत का दिल ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। दो-तिहाई से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है, वह ग्रामीण जगहों पर रहती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस मंत्रालय के माध्यम से बजट में जो आवंटन हुआ है, उसमें जो वृद्ध लोग हैं, जो विडोज हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उन पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है।

सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी बजट में बार-बार बाकी सारे राज्यों के नाम आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार होता है, वह बार-बार दिखाई देता है। महाराष्ट्र में agrarian distress बना हुआ है। 2025 में जनवरी से मार्च के बीच में करीब साढ़े सात सौ से ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया था। ये जो अपनी rosy picture दिखा रहे थे, अगर महाराष्ट्र पर ध्यान दे लेते, तो बहुत अच्छा होता।

सर, VB-G RAM G के बारे में सभी ने बात की। उसमें 125 दिन के employment guarantee scheme के बारे में बहुत प्रचार हुआ। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट पर भार आ रहा है, बजट पर भार आ रहा है, उसके बारे में कोई भी publicity की जाती है और अगर हम एवरेज देखते हैं, तो सिर्फ 48 working days की गारंटी VB-G RAM G के माध्यम से मिली है। राज्यों पर जो बर्डन डाल दिया है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार-बार जीरो ऑवर में एक मुद्दा उठाती हूँ और मैं उसको मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सबने प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में बात की है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मंत्री जी के सामने लाना चाहती हूँ। जिस तरीके से रूरल इंडिया में जो महिलाएं हैं, उनको recruit करके Artificial Intelligence की data labeling होती है और content moderation होता है, उसमें करीब 70 हजार से ज्यादा लोग employ किए गए हैं। उस employment में ऐसा होता है कि एक रिपोर्ट आई थी कि 800 से ज्यादा महिलाओं को content generation की जो labeling होती है और अपने मॉडल्स तैयार करने होते हैं, उसमें उनको जो वीडियोज़ दिखाए जाते हैं, they are graphic and sexually violent content per day to train AI systems. 800 pieces से ज्यादा उनको दिखाए जाते हैं। उनको कोई psychological support नहीं है। उनसे Non-Disclosure Agreements sign कराए जाते हैं। हमें यह तक नहीं पता है कि महिलाओं का इस्तेमाल जो हो रहा है, जो AI कंपनीज़ हैं, जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका जाता है, सिर्फ 10 प्रतिशत हमारे देश में रहता है ...**(समय की घंटी)**... सर, यह बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपके दल के पास समय नहीं है।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, आधा मिनट का समय दीजिए। अभी आपने यहां पर दस मिनट के बाद आधा मिनट का समय और दे दिया था।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): उनकी पार्टी के पास समय था।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, यह बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): ठीक है। आप आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं सदन का समय बरबाद नहीं करूंगी। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप आधे मिनट में अपनी बात रख दें।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: महिलाओं का मुद्दा है, तो महिलाओं की आवाज़ को दबाने का काम न करें।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): जितना समय आपको आवंटित है, उतने समय में महिलाओं की आवाज़ को बोलिए।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : थैंक यू, थैंक यू। जो 800 से ज्यादा ऐसे sexually explicit videos दिखाए जाते हैं, जो content में violent हैं, उसके ऊपर जो बजट का आवंटन है, तो पता चलना चाहिए कि कितनी महिलाओं को इसमें recruit किया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे करीब 20 सेकेंड और दे दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): श्री मयंककुमार नायक जी। आपके पास दस मिनट का समय है।

श्री मयंककुमार नायक (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास पर अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ।

सर, माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' इन चार मूल मंत्रों पर उनकी सरकार 2014 से काम कर रही है और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस मंत्रालय में खूब काम हो रहे हैं और आने वाले 2047 में विकसित भारत कैसे बने, उसका एक रोडमैप माननीय मंत्री जी के द्वारा इस बजट में रखा गया है। अपने गृह राज्य गुजरात की याद आती है कि गुजरात ने दशकों पहले यह साबित कर दिया था कि सहकारिता, मजबूत इच्छा शक्ति और सही नीतियों से गांव की तस्वीर कैसे बदली जा सकती है। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वह विजन पूरे देश में अब ज़मीन पर उतरा है। हमारे विपक्ष के साथी यहां बैठकर किसानों और गांवों की बहुत दुहाई देते हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है? एक कहावत है कि नीति साफ हो, नीयत भी साफ होती है। इनकी न नीति है, न नीयत स्पष्ट है, इसलिए आज हमारी सरकार ने कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 2 लाख, 42 हजार, 528 करोड़ रुपये कर दिया है।

3.00 P.M.

लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्व में यूपीए सरकार ने क्या किया था? उन्होंने 2008 में चुनाव जीतने के लिए 'कृषि ऋण माफी योजना' निकाली थी, जिसकी लागत करीबन 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक थी। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उस योजना का सच यही था कि सरकार ने उससे सिर्फ बैंकों के पुराने बकाए की भरपाई की थी। उससे न किसान का कोई लाभ हुआ, न किसान को कोई नई संपत्ति मिली और न ही खेतों की उत्पादकता बढ़ी। कांग्रेस की नीति ने सिर्फ बैंकों के पन्ने भरे, जबकि हमारी एनडीए सरकार की नीति ने किसानों के अकाउंट्स में सीधे पैसे डालने का काम किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी की 'किसान सम्मान निधि योजना' के माध्यम से 11 करोड़ किसान परिवारों को, बैंक के खाते में 3.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सीधा लाभ डीबीटी से प्राप्त हुआ है।

महोदय, खेती के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन हमारे गाँव की लाइफ लाइन्स हैं। हम सभी ने गुजरात का डेयरी मॉडल और अमूल की सफलता देखी है। हमने उसी तर्ज पर बजट में भी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कुल 5,265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 2019 में हमारी सरकार ने अलग से मत्स्य विभाग बनाया, जिसके कारण आज देश में मछली उत्पादन 17.5 मिलियन टन तक पहुंच गया है। महोदय, दूसरी तरफ यूपीए सरकार का यह हाल था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 94 हजार करोड़ रुपए से अधिक एक दशक तक भी खर्च नहीं हो सके थे। इनका काम सिर्फ फाइलों में पैसा रोकना था, लेकिन हमारा काम विकास को गांव-गांव तक पहुंचाना है। यदि रोजगार की बात करें, तो 2014 से 2024 तक एनडीए सरकार ने 17.19 करोड़ नए रोजगार बनाए, जबकि यूपीए के दस सालों में सिर्फ 2.9 करोड़ रोजगार ही सृजित हुए थे, क्योंकि इन्हें तो बस घोटालों से ही फुर्सत नहीं थी। 2007 से लेकर 2010 के बीच उत्तर प्रदेश में मनरेगा के पैसों का अधिकारियों और बिचौलियों ने निजी लाभ लेकर खुलेआम गबन किया था।

उपसभाध्यक्ष जी, पंचायती राज और सहकारिता को लेकर विपक्ष का रवैया सौतेला रहा है। यूपीए सरकार के दौरान देश में सहकारिता मंत्रालय का अस्तित्व ही नहीं था। पंचायती राज के लिए बमुश्किल 500 करोड़ रुपये दिए जाते थे, मगर एनडीए सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाकर, आदरणीय अमितभाई शाह जी को उनकी कमान देकर, माननीय मोदी जी की सरकार ने आज गांव और गरीब किसान को मजबूत करने का काम किया है।

महोदय, यदि मातृशक्ति और गांव के बुनियादी ढांचे पर बात की जाए, तो मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर पाऊंगा। हमारी सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के विकास को केंद्र में रखा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का बजट 20 परसेंट बढ़ाकर 19,200 करोड़ रुपये कर दिया। आज 90 लाख स्वयं सहायता गुप्स से 10.5 पांच करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, जबकि यूपीए सरकार के समय में एसजीएसवाई योजना के तहत ओडिशा में अधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर दुधारी गायों की खरीदी में भी पैसे का गबन कर दिया था। उन्होंने गरीब की गाय का चारा भी नहीं छोड़ा था, लेकिन आज हम लखपति दीदी बना

रहे हैं। महोदय, यदि बुनियादी ढांचे की बात करें, तो 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' का बजट 51 परसेंट से बढ़ाकर 19 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि यूपीए के समय में 23 हजार, 673 सड़क परियोजनाएँ अधूरी पड़ी थीं। आज हमने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण' का बजट 2013-14 के मुकाबले 266 परसेंट बढ़ाकर 54 हजार, 916 करोड़ कर दिया है। महोदय, सिर्फ ग्यारह सालों में 3 करोड़, 70 लाख ऐसे पक्के मकान बनाए गए हैं, जिनमें शौचालय हैं और गैस कनेक्शन भी हैं। यूपीए की 'इंदिरा आवास योजना' का तो यह हाल था कि करोड़ों रुपये बिचौलिये खा गए थे। भूमि संसाधन की 51 परसेंट वृद्धि के साथ 2,654 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें पीएमकेएसवाई डब्ल्यूडीसी के लिए 2,500 करोड़ रुपये और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के लिए 125 करोड़ रुपये शामिल हैं। माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए 9,671 करोड़ रुपये रखे गए हैं, ताकि बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन मिल सके।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यूपीए के घोटालों की हद तो देखिए कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने पोल खोल दी। यूपीए राज में 1,232 नाबालिग बच्चों को और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी धड़ल्ले से पेंशन बांटी जा रही थी। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आधार से जुड़े बैंक खातों, पीएम जन धन योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए डीबीटी से सीधे, सही और समय पर भुगतान कर रही है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब कोरोना काल आया, तब प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज पहुंचाने की योजना बनाई। 140 करोड़ लोगों को टीका पहुंचाने का काम भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। 48 करोड़ से ज्यादा लोगों के जन धन अकाउंट बनाकर, डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, इसकी कार्य योजना भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने बनाई है। कांग्रेस के पूर्व प्रधान मंत्री कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है और गाँव पहुंचते-पहुंचते 15 पैसे हो जाता है, मगर प्रधान मंत्री जी का लाभार्थियों तक सीधे पैसा पहुंचाने का यह काम डीबीटी के माध्यम से जन धन अकाउंट में हो रहा है।

महोदय, लाल किले से माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। हमारी माँ-बहन और बेटियाँ दिन में शौच क्रिया के लिए नहीं जा सकती थीं और इससे उनमें बीमारियाँ बढ़ सकती थीं, मगर प्रधान मंत्री जी ने गाँव को मजबूत करने के लिए, हर घर में शौचालय पहुंचे, इसके लिए प्रयत्न किया है।

महोदय, अभी कोई कह रहा था कि उज्ज्वला योजना से क्या फायदा हुआ। जब हमारी माँ-बहनें रसोई बनाती हैं, तब कई सिगरेटों का धुआं मां-बहनों के शरीर में जाता है और उससे कई बीमारियाँ पैदा होती हैं। ऐसे में, मां-बहनों और परिवार के आरोग्य की सुखाकारी के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी उज्ज्वला योजना के रूप में एक महत्वपूर्ण योजना लाए हैं। माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी की सरकार ने वीबी - जी राम जी योजना के माध्यम से 125 दिनों की गारंटीड

रोजगारी देने का काम किया है। आज माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से भारत टैक्सी कैब सेवा लाई गई है। जो गाँव के युवा उबर और ओला जैसी कम्पनियों के साथ जुड़ते थे, मगर उन्हें उनके साथ न जुड़ते हुए, भारत टैक्सी पोर्टल बनाकर, जैसे गाँव का पानी गाँव में रहे और सीमा का पानी सीमा में रहे, वैसे ही भारत को स्वावलम्बी भारत बनाने के लिए माननीय मोदी साहब ने जो भारत टैक्सी कैब सेवा लागू की है, ...(समय की घंटी)... उसके माध्यम से देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही बात करके, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा का समर्थन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य श्री संदोष कुमार पी ।

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I have a very strong demand that more funds must be allocated to the Ministry of Rural Development. I have some specific reasons for this. Firstly, the Centre's share for the Pradhan Mantri Awas Yojana must be increased. At present, it is a very meager amount, and it must be increased. Secondly, regarding VB—G RAM G, in fact, it is not 'Viksit Bharat'; it is 'vanishing Bharat'. And, gram rozgar and meaningful guarantees must go. This is the real definition of VB—G RAM G -- vanishing benefits; gram rozgar and meaningful guarantees must go. The MGNREGA must be replaced or, at least, the Government should notify this VB—G RAM G. This Budget was presented on 1st February. Now, we are discussing the functioning of the Ministry of Rural Development in a changed circumstance and we all know what that changed circumstance is. There is a global war going on. Americans and Israelis targeting Iran and retaliation is happening. I do not wish to elaborate further on that. The point is, who are the worst sufferers! Our villages are the worst sufferers. And, we need to protect our villages because this Trump—Netanyahu combine is likely to create more and more problems in the coming days for sure. And, our Government can't intervene! Our foreign policy is in paralysis. Our hon. Prime Minister will not speak even a single word against his best friends. This is an internationally known fact. But, at the same time, we need to protect our villages. For example, 4 lakh tones of Basmati Rice worth Rs. 3200 crores is stranded at various ports. Who are the sufferers? The poor cultivators, our farmers, are the sufferers. Secondly, Sir, more than 80 lakh eggs meant for export to Gulf countries are stuck. Who are the sufferers? Our poor poultry farmers are the sufferers. Around 6000 tons of grapes are at risk. Who are the sufferers? Not the Ministers, not Members of Parliament, but our poor villagers and farmers. So who will help them? This is the question. Sir, we need a special package to protect our farmers. More than 1200 containers of bananas stuck in cold storages. This is applicable to almost all States, whether it is Maharashtra, Kerala or Tamil Nadu. It is a pan-India problem. So, we need to protect our rural economy from distress. It is going to escalate in the

coming days, because there is no one to stop the American regime. America has become international policeman. Our Prime Minister did not utter even a single word so far. ...(*Time-bell rings.*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद।

SHRI SANDOSH KUMAR P: So, people may get annoyed on hearing all these things. But, the point is: 'Where is our voice?' We have hundreds of words to talk against Modi, hundreds of words against Nehru, hundreds of words against Communists, but what about Trump? Can't we speak even a single word against Trump? This is million dollar question.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात आ गई है। धन्यवाद।

SHRI SANDOSH KUMAR P: So, my request, in the changed circumstances is: We need a comprehensive rural economy package. That is it, Sir. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री रामचंद्र जांगड़ा जी - 10 मिनट्स।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं थोड़ा सा एडवांस में अपील कर रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे कार्यकाल का आखिरी सत्र है, तो घंटी बजाने में थोड़ी सी कंजूसी कीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): मेरा आपसे निवेदन होगा कि इस बारे में आप पार्टी से थोड़ा सा निवेदन कीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: धन्यवाद, सर। मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ और अगर मैं थोड़ा इतिहास की बात नहीं करूंगा, तो फिर मोदी काल में और कांग्रेस काल में फर्क नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा इतिहास की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, हम कविता में पढ़ते थे कि God made the country and man made the town. भगवान ने तो देहात बनाया था, लेकिन इंसान ने शहरों को बना दिया। वास्तव में भगवान के बनाए हुए देहात थे। मैं रोहतक में कॉलेज में पढ़ता था। वहां मच्छर खाते थे, लेकिन गांव में जाते, तो छत के ऊपर चारपाई डालकर सो जाते, लेकिन वहां मच्छर ही नहीं होते थे।

मान्यवर, मैं पीछे की बात करना चाहता हूँ। अंग्रेजों के काल में शोषण हुआ। बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा और उन्होंने उस समय लाखों टन चावल हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। वे विदेशी लोग थे और शोषण करते थे। उनसे ज्यादा गिला-शिकवा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे समाज की एक खासियत रही कि उन्होंने समाज में अपनी एक स्वायत्त अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समाज द्वारा शासित

स्वायत्त अर्थव्यवस्था बोलते हैं। गांव के किसान के खलियान से अनाज निकला, तो यह मेरे लोहार का हिस्सा है, यह मेरे बढ़ई का हिस्सा है, यह मेरा नाई का हिस्सा है, यह मेरे चर्मकार का हिस्सा है, ऐसे वहीं से बंटवारा हो जाता था और कोई भूखा नहीं सोता था। अपनी ऐसी एक व्यवस्था गांव के लोगों ने खड़ी कर ली थी, क्योंकि भगवान के बनाए हुए गांव थे। आजादी के बाद वह व्यवस्था टूट गई। मैं डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में तीन अकाल इकट्ठे पड़े। सब लोगों का अनाज खत्म हो गया, लेकिन बढ़ई और लोहारों से अनाज उधार लेकर लोगों ने खाया। उनके घर में फिर भी अनाज मिला, क्योंकि उनको सालाना हिस्सेदारी मिलती थी। काम के बदले अनाज मिलता था। यह उस समाज द्वारा शासित स्वायत्त अर्थव्यवस्था थी।

मान्यवर, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे एक पूर्व मंत्री हरियाणा में भी रहे और आज मंत्री महोदय केंद्र में हैं। लोक सभा से मेरे मित्र यहां पर बैठे हैं हरियाणा में किस तरह से किसान का शोषण किया गया, वह सारे देश में हुआ है, लेकिन मैं हरियाणा के एक-दो उदाहरण दूंगा। एक सरकारी दामाद थे। उन्होंने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम से 90 लाख की पूंजी से एक कंपनी बनाई। सदन इस बात को ज़रा ध्यान से सुने। 90 लाख की पूंजी से स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नामक एक कंपनी बनाई। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, यह बिल्कुल बेबुनियादी बात है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सर, मैं किसान की बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सर, ये क्या कह रहे हैं!

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अभी इन्होंने नाम नहीं लिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मैंने किसी का नाम मेशन नहीं किया है, मैं किसान की बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): इन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। यह आरोप व्यक्तिगत नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचंद्र जांगड़ा: उस कंपनी ने, 90 लाख की पूंजी से जो कंपनी बनी, 7.5 करोड़ की जमीन खरीद ली ...**(व्यवधान)**... और 7.5 करोड़ की जमीन कैसे खरीदी, जब उसके पास 90 लाख ही थे? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: तो 7.5 करोड़ कहां से आए? जिस कंपनी को जमीन बेचनी थी, उससे एडवांस पैसा ले लिया। यानी 7.5 करोड़ रुपए एडवांस उस कंपनी से लिया, जिसको जमीन बेचनी थी।...(व्यवधान)... एक मिनट, पूरा हाउस इस बात को सुने।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): वे विषय पर हैं।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: उस जमीन की सीएलयू हुई और वही जमीन फिर उस कंपनी को कितने रुपए में बेच दी - 58 करोड़ रुपए में। यानी 90 लाख की पूंजी की कंपनी एक महीने के अंदर 58 करोड़ की कंपनी हो गई! देहात के किसान के साथ यह किया गया है। गुड़गांव के पास के गांव की 1,400 एकड़ जमीन थी। किसानों को सेक्शन 4 के, सेक्शन 6 के नोटिस दे दिए।...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश: सर, इसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मैं किसान की बात कर रहा हूं, मैं देहात की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): जब ये किसी का नाम लेंगे, तो मैं टोकूंगा। इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है, जो तथ्य न हों। अगर आपके पास तथ्य है, तो आप बोलिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: रमेश जी, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? किसान को नोटिस दे दिए। 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से किसान को नोटिस दे दिए।...(व्यवधान)... और फिर किसानों के पास बिल्डर भेज दिए।...(व्यवधान)... अब बिल्डर ने किसानों से कहा कि सरकार आपकी जमीन 20 लाख में ले रही है, हम 40 लाख दे देंगे।...(व्यवधान)... अब किसानों ने डरते हुए वह जमीन 40 लाख में बेच दी।...(व्यवधान)... लेकिन जैसे ही जमीन बिल्डर के पास आई, उस जमीन के सेक्शन 4 भी खत्म, सेक्शन 6 भी खत्म और जमीन का सीएलयू उनको देकर वही जमीन 4 करोड़ रुपए एकड़ में बेच दी गई। हरियाणा प्रदेश में किसानों का यह भला किया गया! यह मैं देहात की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): देखिए, कुछ भी असंसदीय होगा, तो उसको रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। जो आपत्तिजनक होगा, उसको हम देख लेंगे।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर किसी की दाढ़ी में तिनका हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अगर कुछ भी असंसदीय आएगा, तो उसको रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। आप विषय पर बोलिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्यवर, चलिए, अब देहात की बात आती है। मैं हैरान होता हूं, 2014 से पहले हम कभी सड़क के किनारे चलते, नहर के किनारे चलते, तो हमारे गांव की सैकड़ों गरीब महिलाएं हमें झाड़ियों में से सूखी लकड़ी तोड़ती हुई दिखाई देती थीं। खाना पकाने के लिए तोड़नी पड़ती थी। मैं पूछता हूं, आज उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलिंडर दे दिए गए, अब हमारी

कोई भी महिला किसी झाड़ी में लकड़ी तोड़ती हुई दिखाई नहीं देती। उस समय उन कांटों के कारण उनके हाथों से रिसता हुआ खून इनको नजर नहीं आया! आज ये देहात के विकास की बात करते हैं।

अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, वे ओपन डिफैकेशन की बात कर रहे थे। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, जो एक नेचुरल बात है, उसके लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। कहीं शौचालय नहीं था, कोई घर नहीं था। मान्यवर, मैं गांव का रहने वाला हूं। अगर 3-4 दिन इकट्ठा झड़ लग जाता, तो गांव के जितने गरीब लोग थे, वे गांव के चौपालों में अपना सामान रख लेते थे कि घर गिर न जाए, क्योंकि कच्चे घर होते थे। वे उनके ऊपर ऐसे ही लकड़ी वगैरह डाल कर, छप्पड़ वगैरह डाल कर रहते थे। यह नरेन्द्र मोदी जी का और कांग्रेस का डिफरेंस तो तभी नजर आएगा, तभी तो पता चलेगा कि पहले क्या था और अब क्या हुआ। अगर हम पिछली बात नहीं बताएंगे, तो आज के वातावरण में और पिछले वातावरण में अंतर क्या आया, इसका पता नहीं चलेगा। आज जब भी बरसात आती है, तो कोई गरीब अपना सामान उठा कर किसी चौपाल में नहीं जाता, क्योंकि सरकार ने उनको पक्के घर दे दिए हैं। उनके घरों के ऊपर सोलर लाइट के पैनल लगा दिए गए हैं, सूर्य घर योजना बना दी गई है। उनके घरों के अंदर नल से जल पहुंचा दिया गया है। उनके घरों के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत सिलिंडर पहुंचा दिए गए हैं। मान्यवर, ग्रामीण विकास इसी को बोलते हैं। मान्यवर, मैं एक ऐसी बात कहूंगा कि आप कहेंगे कि इससे ग्रामीण विकास का क्या ताल्लुक है? 14 सितंबर, 1949 को जिस समय संविधान सभा बैठी हुई थी, राजभाषा के ऊपर एक बहस चल रही थी और 14 सितंबर, जिसको हम 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते हैं, उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू नहीं होने दिया और 15 साल के लिए अंग्रेजी का इसी तरह प्रचलन रखने की एक प्रथा को इजाजत दे दी गई। यह संविधान सभा में 14 सितंबर, 1949 को हुआ।

मान्यवर, अब इसका ग्रामीण विकास के ऊपर क्या इफेक्ट आया, जरा मेरी बात को समझिए। अगर उसी दिन यूपीएससी के एग्जाम में - प्रदेशों में, जैसे हरियाणा में एचपीएससी का एग्जाम देते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनके एग्जाम्स में अपनी स्वदेशी भाषा में जवाब देने का हक मिले, जो भी उस प्रदेश की भाषा हो, जैसे अगर तमिलनाडु में है, तो तमिल में जवाब देने का हक मिले, कर्नाटक में है, तो कन्नड़ में जवाब देने का हक मिले और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में है, तो उनमें हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए वहां हिंदी में उत्तर देने की इजाजत मिले। अगर यूपीएससी के एग्जाम में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो जाती और उसी दिन, जिस दिन देश आजाद हुआ था, हिंदी इस देश में लागू हो जाती, तो कितने देहातों के हमारे लाखों नौजवान आज आईपीएस और आईएएस बन जाते, क्योंकि भाषा उनके सामने बाधा नहीं रहती! भाषा उनके सामने बाधा के रूप में खड़ी रही। उनमें कैलिवर की, क्वालिटी की कमी नहीं थी, लेकिन यह भाषा की बाध्यता थी, क्योंकि वे अंग्रेजी भाषा में परफेक्ट नहीं थे। उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? जब लोगों ने देखा कि इस भाषा के कारण, अंग्रेजी के कारण ही हमारे बच्चे अफसर बनेंगे, तो लोगों ने मिशनरी स्कूल्स में अपने बच्चों को डालना शुरू कर दिया। इससे हमारे देश की संस्कृति भी चली गई, देश की सभ्यता भी चली

गई, देश का गणित भी चला गया और देश के संबंध भी चले गए। किसी को दो का पहाड़ा याद नहीं, किसी को तीन का पहाड़ा याद नहीं, किसी को कुछ याद नहीं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): संक्षिप्त कीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: किसी को संबंध याद नहीं रहे। न तो चाचा, नाना, फूफा और न ही बुआ आदि रहे, सारे अंकल-आंटी हो गए। यह सब कुछ भाषा के कारण आया।

मान्यवर, देहात का भला किस तरह से हो, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मेरे से पहले बोलने वाले ने बहुत आंकड़े बताए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब संक्षिप्त कीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्यवर, मैंने एक छोटी सी अपील की थी।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): पार्टी की तरफ से कोई ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्यवर, वत्स जी यहां पर नहीं बैठे हैं। अगर और कोई बैठे हैं, तो मुझे थोड़ी सी इजाजत आ जाए, ...**(व्यवधान)**... तो थोड़ी सी कृपा हो जाएगी।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप आधा मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप आधा मिनट में अपनी बात रख दीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्यवर, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मान्यवर, मैं हरियाणा की बात करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप जितना बोलेंगे, उतना पार्टी के समय में से कटेगा।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्यवर, आज हरियाणा में सीएलयू का कोई खेला नहीं है। सीएलयू एक उद्देग के रूप में काम करता था। आज किसान को आजादी है। कहीं कोई सेक्टर बनेगा, तो किसान कीमत बताएगा कि मेरी जमीन की यह कीमत है। उसी कीमत में सरकार उसे लेगी। पहले क्या होता था? सरकार ने औने-पौने भाव में जमीन अक्वायर कर ली, बाद में किसान अदालत में गया। अदालत में किसान को एक्स्ट्रा दे दिया गया। जब enhancement पड़ी, तो जो सेक्टर में कोठी बनाकर बैठा है - फिर वह अगली अदालत में चला गया, तो फिर से enhancement आ गयी और फिर से उनके ऊपर वह बोझ पड़ गया। यानी किसान को पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी तीन-तीन जगहों पर जाकर न्याय लेना पड़ता था, तब जाकर उसे अपनी जमीन का पूरा मुआवजा मिलता था। वह enhancement के रूप में सेक्टर में रह रहे बेचारे लोगों के ऊपर पड़ता रहता था। आज किसान अपनी जमीन की कीमत बताता है कि मैं इस कीमत में जमीन दूंगा, तब सरकार जमीन लेती है।

मान्यवर, एक और बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक समय था कि जब किसान को society से 5,000 रुपए का loan मुश्किल से मिलता था। ब्याज की दर 24 परसेंट थी। जब माननीय राजनाथ जी पहली बार कृषि मंत्री बने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बने, तो उस कृषि ऋण पर से ब्याज की दर को घटाकर 7 परसेंट किया गया और आज सरकार 4 परसेंट इन्सेंटिव देती है, बोनस देती है और केवल 3 परसेंट ब्याज पर मिलता है। मान्यवर, मैंने वे दिन देखे हैं। अगर किसी किसान की 500 रुपए की किस्त टूट जाती, तो उसे तहसील की हवालात में बंद कर दिया जाता था। उस पर 42 दिन तक कोई अपील नहीं होती थी, कोई दलील नहीं होती थी। जब घर वाले उसकी किस्त देकर उसको छुड़वा लाते, तो कहते कि हमने उसे 15 दिन तक रोटी खिलाई है, उसके इतने पैसे और दे जाओ। गांवों में गाड़ियां नहीं थीं। कोई सगाई करने वाला भी गाड़ियों में जाता, गांव में जीप ले जाता, तो किसान ईखों में छिप जाते थे कि कहीं उसके ट्रैक्टर को उठाने वाले तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसकी किस्त टूट रही होती थी। तब ये हालात थे। आज मेरे हरियाणा का किसान 15 लाख का, 20 लाख का ट्रैक्टर डिस्काउंट के ऊपर खरीदता है। वह कोई लोन नहीं लेता है। आज हमारे देहात की यह हालत है कि हर गांव में सड़क है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी है और नरेन्द्र मोदी जी का शासन है कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबके प्रयास' के साथ यह देश चल रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय जांगड़ा जी, आपका सांसद के रूप में टर्म पूरा हो चुका है, इसलिए पार्टी ने आपको अलग से समय भी दिया है। माननीया श्रीमती महुआ माजी जी। तीन मिनट।

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकलाप पर चर्चा में भाग लेते हुए विशेष रूप से झारखंड जैसे आदिवासी और ग्रामीण बहुल राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। झारखंड में आज भी बड़ी आबादी पठारी गांवों में रहती है और दुर्गम पठारी ढलानों पर बनी खेतों में सिर्फ बारिश के दिनों में ही खेती हो पाती है। वहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि, वनोपज और 'मनरेगा' है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 'मनरेगा' अपने मूल उद्देश्य से लगातार कमजोर होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में लगभग 73 लाख परिवार 'मनरेगा' में पंजीकृत है, लेकिन वर्ष 2024-25 में उनमें से केवल करीब 20 लाख परिवारों को ही काम मिल पाया, यानी बड़ी संख्या में पंजीकरण होने के बावजूद काम नहीं मिल पा रहा। इसी तरह झारखंड में लगभग 34 लाख से अधिक सक्रिय जॉब कार्ड और लगभग 40 लाख पंजीकृत मजदूर हैं, लेकिन पिछले पांच वर्षों में औसतन 50 दिनों से भी कम काम मिल पाया है, जबकि कानून सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की बात करता है। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा 90 और 10 प्रतिशत की बजाय 60 : 40 का नियम लागू करना, जिसमें 40 परसेंट खर्च राज्यों को वहन करना पड़ता है, यह झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जल संरक्षण, तालाब निर्माण, खेत समतलीकरण और ग्रामीण संपर्क जैसे श्रम प्रधान कार्यों की स्वीकृति में कठिनाई आ रही है और ग्रामीण मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। जो राज्य पहले से ही कर्ज में डूबा है, जिस राज्य को उसके हक, अधिकार का पैसा देने में भी केंद्र

कोताही बरत रही है, झारखंड के हिस्से का कोयले की रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए अभी भी केंद्र के पास बाकी है और वह नहीं देना चाह रही है। ऐसे समय में 60 : 40 का वित्तीय बोझ डालना कहां का न्याय है?

मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि आज 'मनरेगा' के मूल स्वरूप से भी ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी थी, जो ग्रामीण स्वावलंबन और श्रम की गरिमा के प्रतीक हैं, लेकिन आज नाम और ढांचे के साथ छेड़छाड़ करके असली मुद्दों - रोजगार, मजदूरी और भुगतान से ध्यान हटाया जा रहा है।

जहाँ तक आवास का सवाल है, 'प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना' के तहत झारखंड में लाखों परिवार अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं और पात्र परिवारों को समय पर आवास नहीं मिल पा रहा है। इसके पहले आठ लाख आवास पेंडिंग था, जिसके लिए चुनाव के पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कहा था। इसी स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने 'अबुआ आवास योजना' शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को स्वयं संसाधन जुटा कर तीन कमरों का पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 'सर्वजन पेंशन योजना', 'ग्रीन राशन कार्ड', 'सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना', स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका जैसी कई पहल शुरू की है, जिनका उद्देश्य पलायन और ट्रैफिकिंग को रोकना और गांव में रोजगार बढ़ाना है। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया आप संक्षिप्त कीजिए।

श्रीमती महुआ माजी : महोदय, मैं आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ।

महोदय, जब तक केंद्र सरकार राज्यों के साथ सहयोग की भावना से काम नहीं करेगी, तब तक ग्रामीण विकास की योजनाएँ अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाएँगी। दुर्भाग्य से कई बार यह महसूस होता है कि जिन राज्यों में केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है।

अंत में, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूँगी कि 'मनरेगा' को कमजोर करने के बजाय मजबूत किया जाए, 60 : 40 जैसे नियमों पर पुनर्विचार किया जाए, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में लंबित आवासों को शीघ्र स्वीकृति दी जाए और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों के लिए विशेष नीति बनाई जाए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका विषय आ गया, इसलिए अब आप समाप्त करें।

श्रीमती महुआ माजी: महोदय, यदि हम वास्तव में गांव को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें राजनीति से ऊपर उठ कर राज्यों के साथ विश्वास और सहयोग के आधार पर काम करना होगा, तभी ग्रामीण भारत मजबूत होगा और देश का समावेशी विकास संभव होगा, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, श्री सुभाष बराला जी।

श्री सुभाष बराला (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के ऊपर जो अनुदान मांगों के लिए चर्चा है, उसके विषय में आपने मुझे बोलने का अवसर उपलब्ध करवाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। हमारा देश ग्रामीण आबादी की बहुलता वाला देश है। अगर हम आज़ादी की लड़ाई से पहले के बड़े नेताओं की बात करें और उनमें से महात्मा गांधी जी की बात करें, तो महात्मा गांधी जी भी गांव की तरक्की की बात किया करते थे, गांव के गरीब की तरक्की की बात किया करते थे। उस गरीब को, उस किसान को किस प्रकार से देश की मुख्य धारा में लेकर आया जाए, वे इसकी चिंता करते थे। वे ग्राम स्वराज का सपना देखते थे। इसके बाद, हम चौधरी छोटू राम जी की बात करते हैं। उन्होंने भी देश के किसानों के लिए भाखड़ा जैसे बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर लाकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बड़े हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया, ताकि ग्रामीण जीवन के अंदर तरक्की आए, खुशहाली आए। अगर हम बाद के प्रधान मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, तो वे भी यही बात कहते थे कि भारत की तरक्की का रास्ता गांव, किसान और किसान के खलिहान से होकर गुजरता है। वे जब सदन के अंदर बात करते थे या सदन के बाहर बात करते थे, तो उस समय मेरे जैसी तरुणाई की अवस्था वाले जिन युवाओं के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर की चिंता होती थी, वे उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और इस बात की कल्पना करते थे कि क्या आजादी के बाद इस प्रकार का कोई समय आएगा जब भारत के इन मूलभूत विषयों की चर्चा और चिंता राजनीति से जुड़े लोग करेंगे और सदन के अंदर बैठकर उनकी योजनाएं बनाएं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इससे आगे की बात ध्यान में आती है, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री होते थे। उन्होंने इस देश के गांव की चिंता की। तब हमारे गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। हमारे देश में साढ़े छः लाख से ज्यादा पंचायतें गणना में आती हैं। उनमें से ज्यादातर के रास्ते कच्चे थे। अभी माननीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी शायद उठकर बाहर गए हैं। 2003 में जब इनको राघवगढ़ क्षेत्र से उपचुनाव लड़वाया गया था, तब मैं वहाँ काम करने के लिए गया था। दुर्भाग्य की बात है कि उस साइड की बेंच पर बैठने वाले माननीय नेता आज यहां उपस्थित नहीं हैं। वे उस प्रदेश के लंबे समय तक मुख्य मंत्री के तौर पर रहे। उस राघवगढ़ क्षेत्र के गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। उन्हीं दिनों में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री थे, जो देश के लिए ग्राम सड़क योजना लेकर आए और उन बातों की समग्रता के साथ चिंता की कि अगर हमारे देश का विकास करना है, तो समग्रता के साथ उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा।

महोदय, वेदों के अंदर भी इस बात की चर्चा है। जमीन, जल, जलवायु - ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की के आधार हैं, देश की तरक्की के आधार हैं। यह मैं नहीं कहता। चूंकि इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि-आधारित है, इसलिए अगर हम कृषि की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में कहा गया है कि कृषि को धर्म का आधार माना जाए। कृषि को समाज की रीढ़ माना गया है। यह ऋग्वेद में कहा गया है। मैं यह बात मंत्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। "अन्न बहुकुरुते" - यानी ज्यादा अन्न

का उत्पादन करो, क्योंकि यह समाज और जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसी प्रकार, ऋग्वेद के अंदर किसान की जब चर्चा आती है, तो यह कहा गया है कि *"अन्नाति यो अन्नाति न त्वं मित्रो, न सखा जानाति यो अन्नाति"* - इसकी चर्चा हमारे सदस्य जांगड़ा साहब ने भी की थी कि किस प्रकार से किसान के खेत से, उसके खलिहान से जब अन्न घर आता था, उससे पहले किसान उस अन्न को लुहार, कुम्हार, नाई, धोबी और तेली से साझा करता था। इसकी चर्चा ऋग्वेद के अंदर की गई है। उसमें कहा गया है कि जो अन्न का उत्पादन करता है, उसे साझा करता है, वही सच्चा मित्र और समाज का आधार है। इसी प्रकार, अथर्ववेद के अंदर भूमि को माता कहा गया है। *"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"* - भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। यह मंत्र भूमि के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण का संदेश देता है, जिस संरक्षण की चिंता अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में शुरू हुई थी, जिसकी चर्चा और चिंता हमारे पुराने नेता करते थे, उसका समाधान अब नरेन्द्र मोदी जी के राज में केवल चिंता करके नहीं, बल्कि चिंतन के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। इसी प्रकार से कृषि कार्य की अगर हम बात करते हैं, तो यजुर्वेद में कृषि कार्य को देवताओं का कार्य बताया गया है। इसमें कहा गया है कि समाज को अन्न उत्पादन में योगदान देना चाहिए और मंत्र के माध्यम से कहा भी गया है—“कृषि मायम् जगतम्”, यानी कि कृषि इस संसार का आधार है।

इसी प्रकार से जल के संरक्षण की बात है, जिसकी चिंता हमारी सरकार करती है। मान्यवर, इसमें ऋग्वेद में जल को जीवन का स्रोत कहा गया है। इसमें नदियों, वर्षा और जलाशयों को पवित्र माना गया है और जल के संरक्षण के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। मंत्र के माध्यम से कहा गया है *"आपो हिष्ठा मयो भुवः"* कि जल जीवनदायी है और आनन्द का स्रोत है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं तो पानी के संरक्षण की बात आती है। अथर्ववेद में जल के संचय के लिए तालाब, नहर और कुओं के निर्माण का जो उल्लेख मिलता है, उसके बारे में कहा गया है, *'आपो अमृतम्'* यानी जल अमृत है। जल संसार के लिए अमूल्य है, अमृत है और जीवनदायी है। इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकारें काम करें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर यजुर्वेद की हम बात करते हैं, तो इसमें जल को पवित्र माना गया है। *'आपः पुनन्तु पृथ्वीम्'* — जल पृथ्वी को शुद्ध करता है। इसके ऊपर भी हमारी जो सरकार है, वह निश्चित रूप से चिंता करती है।

मान्यवर, अगर हम आगे बात करें कि कृषि का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और हमारे समाज के जीवन में क्या योगदान है, तो भोजन और पोषण का जो मूल आधार है, वह अन्न है। और अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। देश की जो आर्थिक समृद्धि है, उसमें कृषि समाज को आर्थिक स्थिरता देती है। इस बात की चिंता भी हमारी सरकार करती है और सामाजिक एकता, जिसकी चर्चा मैंने अभी भी की और मैंने जांगड़ा साहब की बात को भी उद्धृत किया। सामाजिक एकता कृषि का मूल आधार है। मान्यवर, एक किसान अपने खेत में अन्न पैदा करके कितने परिवारों का भरण-पोषण करता है। यह हमारे इतिहास ने हमें सिखाया है और हमारी सरकार इसी आधार पर नया एक मंत्रालय लेकर आई है—सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किस प्रकार से माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और यहाँ पर बैठे हुए राज्य मंत्री कृष्ण पाल जी ने सहकारिता के क्षेत्र में बारीकी से काम करते हुए कैसे पुनः

प्रकार उसी ताने-बाने के आधार पर समाज को जोड़ा जाए, इस बात के ऊपर पूरा फोकस किया है।

मान्यवर, अगर हम इस सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी यहाँ आए हैं। मैंने राघौगढ़ की चर्चा भी की है कि इस प्रकार का एक क्षेत्र वर्ष 2000 में हमने देखा था। यहां लम्बे समय तक मुख्य मंत्री रहे एक माननीय सदस्य बैठते हैं, उस क्षेत्र में गाँव तक जाने का रास्ता नहीं था। यह हमारी सरकार के समय के अंदर संभव हुआ है। आज साढ़े छ लाख से ज़्यादा पंचायतों के अंदर पक्का रोड उपलब्ध कराने का काम किया है।

सर, इसी प्रकार जब हम ग्रामीण विकास की अनुदान मांगों के ऊपर बात करते हैं, तो वर्ष 2026-27 के बजट में जो प्रतिबद्धता दिखाई गई है, उसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए 2,32,561 करोड़ रुपये और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए 9,967.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह दिखाता है कि पहले के मुकाबले कितनी ज्यादा चिंता हमारी सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, किसान के लिए कर रही है। मान्यवर, ये किसान की बात करते हैं, इन लोगों ने केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया था। कभी इन लोगों ने किसान के 70 हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ करने की बात कही थी, लेकिन वह सिर्फ एक बार का उपाय था, स्थायी उपाय नहीं था। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किसान के ऊपर न कर्ज चढ़े ...**(समय की घंटी)**... महोदय, मैं कन्क्लूड करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुभाष बराला: किसान के ऊपर न कोई कर्ज चढ़े, साथ ही उसके परिवार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। इसके लिए नरेन्द्र मोदी जी ने किसान के खाते में सीधे पैसा डालना शुरू किया। 11 करोड़ किसान परिवारों को 3.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया गया है। मान्यवर, इस प्रकार की योजनाएँ हमारे सांस्कृतिक विरासत और हमारे वेदों में जिन बातों की महिमा की गई है, उसी आधार पर चलते हुए अगर इन विषयों की चिंता किसी ने की है, तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा की गई अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shri Abdul Wahab; not present. Shrimati Dharmshila Gupta. You have ten minutes.

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार): उपसभाध्य महोदय, मैं केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदणीय नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस बजट के माध्यम से ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा में लाने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से वह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है।

महोदय, यह सर्वविदित है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और यही कारण है कि इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए लगभग दो लाख करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। यह केवल एक बजटीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक बड़ा संकल्प है। मैं इस अवसर पर दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ:

*'मिट्टी की खुशबू भारत की पहचान है
और गांव की उन्नति से ही देश का अभिमान है।'*

इस बजट में वीबी- जी राम जी के महत्वपूर्ण पहलू को और सशक्त किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उनकी सरकार मनरेगा से गांव का विकास नहीं कर पाई थी। मनरेगा में उस समय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। फर्जी जॉब कार्ड और बिचौलियों की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। मज़दूरी का भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जा रहा है। जब जॉब कार्ड को आधार से जोड़ा गया और फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के कुछ माननीय सांसद उधर बैठे थे और कह रहे थे कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। मैं बता देना चाहती हूँ कि बिहार का जब आंकड़ा देखा गया, तो 277 लाख फर्जी जॉब कार्ड थे और मात्र 90 हजार सही जॉब कार्ड थे, जो मनरेगा में काम कर रहे थे। यूपीए की सरकार में यह भ्रष्टाचार था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौ दिन को हटा करके 125 दिन काम को बढ़ाया और 125 दिन शुभ होता है और 125 दिन सुनिश्चित कर दिया गया। जल संरक्षण, तालाब निर्माण, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन, पशुपालन से जुड़े ढांचे और कृषि आधारित परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि गाँव में दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव भी तैयार होगी।

मैं आदरणीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज बिहार में जो कृषि है, वो बहुत खुशहाल है। उन्हें वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था मिल रही है, मखाना की खेती हो रही है, मशरूम की खेती हो रही है और बिहार के किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन जब बिहार में अन्य सरकार थी, तब जंगलराज था। वहाँ कोई खेती नहीं होती थी, कोई मखाना नहीं होता था और न ही मशरूम की खेती होती थी। वहाँ पर किसान परेशान थे, लेकिन आज बिहार के किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए 'प्रधान मंत्री आवास योजना — ग्रामीण' एक ऐतिहासिक योजना बन चुकी है। इसमें इस वर्ष के लिए लगभग 55 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज देश के करोड़ों गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। यह केवल चारदीवारी नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव है। बिहार जैसे राज्यों में इस योजना ने लाखों परिवारों के जीवन में आशा का नया दीप जलाया है। मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार में 38 लाख शहरी और ग्रामीण आवास बने हैं। जब पूर्व की सरकार थी, तो

‘इंदिरा आवास’ नाम से चलता था, लेकिन आज कोई मोदी आवास नहीं है, बल्कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ है। आज आप गांव में जाकर देखिएगा, तो घर-घर में पक्के मकान दिखते हैं। जो कभी टूटी झोंपड़ी के सपने सजाते थे, वे आज पक्के घरों में भविष्य गढ़ते हैं। आज हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं और हमारे बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की रीढ़ है - ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’। इसमें इस वर्ष के लिए लगभग 19 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़क केवल रास्ता नहीं होती, बल्कि विकास का मार्ग होती है। यदि मैं बिहार के मिथिला क्षेत्र की बात करूँ, तो यह क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ कोसी, कमला, बलान, बागमती, अधवारा समूह की नदियों के कारण बरसात के समय कई गाँवों का संपर्क टूट जाता था। ऐसे में ग्रामीण सड़कें और सम्पर्क मार्गों का निर्माण करना इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो काम दशकों तक केवल कागजों में रहा, आज वही काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जमीन पर दिखाई दे रहा है। जहाँ कभी नाव ही सहारा थी, आज वहाँ विकास की सड़कें हमारा संबल हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की चर्चा महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने तीन लाख लखपति दीदी का संकल्प लिया था। मुझे गर्व है अपने बिहार पर कि हमारे बिहार में डेढ़ करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। आज लगभग तीस लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी हो गई हैं और लगभग ग्यारह लाख स्वयं सहायता समूह हैं। आज जीविका मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण है। ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के लिए इस बजट में लगभग 19 हजार, 200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सहायता और बाजार से जोड़ने का काम किया गया है।

महोदय, बिहार में ‘जीविका कार्यक्रम’ के माध्यम से ऐसी लाखों महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ चुकी हैं। मिथिलांचल में मखाना प्रसंस्करण, मधुबनी पेंटिंग और सिक्की घास कला जैसे पारम्परिक उद्योगों को नई पहचान मिली है। मुझे गर्व है कि मधुबनी की सुनीता देवी ने स्वयं सहायता समूह से अपना रोजगार सृजित करके एक इतिहास रचा है और बिहार के मान और सम्मान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज भारत के गाँव बदल रहे हैं। आज सड़कें बन रही हैं, घर बन रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यह परिवर्तन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। मैं कहना चाहूँगी :

*“इरादें मजबूत हों तो राहें खुद बन जाती हैं,
नेतृत्व सशक्त हो तो मंजिलें पास आ जाती हैं।”*

एक समय था, जब बिहार में सड़कें नहीं हुआ करती थीं। जब कोई अप्रिय घटना घटती थी, तब प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुंच पाता था। जब वहाँ पूर्व की सरकार थी, जब जंगलराज था,

तब अप्रिय घटना घटने पर रास्ते के कारण वहाँ प्रशासन भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में घर-घर तक सड़कों का जाल बिछ गया है और सड़क, शिक्षा और सुरक्षा से वहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, संबल हो रही हैं। साथ ही, खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रही हैं, अपने साथ सैकड़ों महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। यह है परिवर्तन। यह है मोदी का नेतृत्व। यह है मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। लेकिन आज हमारे विपक्ष के सांसदों के मन में कुछ दर्द होता है कि कानून का नाम विकसित भारत - जी राम जी क्यों रखा। मैं कहना चाहती हूँ कि वे महात्मा गाँधी जी की बात करते हैं, तो महात्मा गाँधी जी का सपना था - ग्रामोदय, यानी ग्राम का उदय और उन्हीं के सपनों को हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी आज पूरा कर रहे हैं। वे गाँव का उदय कर रहे हैं, गाँव को विकास की ओर ले जा रहे हैं। विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) चलाकर आज गाँव में विकास की धारा बहेगी।

महोदय, अंत में, मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत आज नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि यह बजट गाँव को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसी विश्वास के साथ, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा का पूर्ण समर्थन करती हूँ और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देती हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अगले सदस्य श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान जी हैं। आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान (जम्मू-कश्मीर): ऑनरेबल चेयरमैन साहब, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के कार्यकरण पर बहस हो रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा महकमा है, जो गाँव के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और वह भी गरीब लोगों के साथ। इसमें रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए जो दो लाख करोड़ की टोटल एलोकेशन हुई है, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही कम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और भी एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है। ऑनरेबल मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान साहब, जो कि इस समय बैठे हैं, वे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और सीनियर मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ कि इनके कार्यकाल में रूरल डेवलपमेंट में और बेहतरी हो सकती है?

सर, मेरे पास सिर्फ तीन मिनट ही हैं, तो मैं सिर्फ पॉइंट्स पर आऊँगा। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि इस वक्त तक जम्मू-कश्मीर स्टेट के पास 196.29 करोड़ की लाइबिलिटी है, जिसमें वेज कम्पोनेंट 5.48 करोड़ है, मटीरियल कॉस्ट 188.50 करोड़ है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 2.31 करोड़ है। मैं समझता हूँ कि यह पैसा फिल-फौर स्टेट को रिलीज़ किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर काम हो सके। रियासत - ए - जम्मू-कश्मीर में सिर्फ पाँच या छः महीने का ही काम होता है। वह हिली स्टेट है, वहाँ पर स्नो बाउंड एरियाज़ आते हैं। अगर वक्त पर यह पैसा न मिले, फिर यह पैसा सरेंडर होता है। वैसे भी मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि इस वक्त रियासत - ए - जम्मू-कश्मीर में मटीरियल कम्पोनेंट और अदर जो वर्क्स

हुए हैं, उनकी जो पेमेंट्स होती हैं, वह 2022-23 की होते हैं। 2022-23 से आगे की नहीं होती हैं। हालांकि, आपने कहा कि सिर्फ लाइबिलिटी 196 करोड़ की है, लेकिन मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसकी तरफ तवज्जो दीजिए कि इस वक्त 2026 में 2022-23 की यह पेमेंट्स ही क्यों हो रही है? जो तीन-चार साल का बाकी गैप है, वह ऐसे क्यों पेंडिंग है?

जो दूसरी अहम बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, वह यह है कि अभी आपने 296 करोड़ रुपये स्टेट को वेजेज के तहत रिलीज़ किए हैं। आपने वेजेज का कम्पोनेंट दिया है, वह 227 रुपये पर डे दिया है, जो कि पहले वहाँ पर 225 पर डे होता था। अब आपने इसे रीसेंटली बढ़ाया है और 259 रुपये पर डे किया है। महाराष्ट्र के लिए 312 रुपये पर हेड है। मैं समझता हूँ यह इनसफिशिएंट अमाउंट है। बाहर अगर आप मजदूर को लें, तो वह मजदूर वहाँ से 600-700 रुपये पर डे लेता है और यहाँ पर इस मजदूर के लिए 227 रुपये से बढ़कर 259 रुपये कर दिए हैं। ...**(समय की घंटी)**... सर, क्या मेरा समय खत्म हो गया है?

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: सर, यह बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट है। इसके लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तीसरी बात, रियासत-ए-जम्मू कश्मीर hilly state है, बैकवर्ड स्टेट है। पहले 90:10 के हिसाब से पैसों का एलोकेशन होता था, तो काम निकल जाता था। अब यह 60:40 हो गया है। 40 परसेंट स्टेट को bear करना है। सर, वह गरीब स्टेट है। वे कहां से लाएंगे? अगर पहले इसमें स्टेट्स के साथ डिस्कशन होता, तो हो सकता था कि इसमें कुछ समाधान हो जाता।

सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर को भी नॉर्थ-ईस्ट के पैटर्न पर उसी तरह से 90:10 के हिसाब से एलोकेशन करें। जैसे पहले मनरेगा प्रोग्राम था, उसके तहत आप इसे कर लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद। आपकी बात आ गई है।

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: आप वीबी-जी राम जी नई स्कीम लाए हैं। उसके तहत इसे भी शामिल कीजिए। इन तीन चीज़ों के संबंध में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

4.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री अमर पाल मौर्य जी - 10 मिनट्स।

श्री अमर पाल मौर्य (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा के लिए पार्टी और आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, मेरा तो जन्म ही गांव में हुआ है। मैं गांव के खेतों में ही पला-बढ़ा हूँ। मैंने गांव में खेती के साथ शिक्षा भी ली है। हमने अपने खेतों में हल चलाया है। महोदय, हमने रहट भी चलाई है। हमने सब्जियां भी उगाई हैं। हमने गैया को भी घर में रखा है। हमने उससे दूध भी निकाला है। हमने गांव की सभी परम्पराओं को केवल अपनी आंखों से देखा ही नहीं, बल्कि उसको

अपने जीवन में अक्षरशः जिया है। मुझे गांव की उस संस्कृति को अपने परिवार के साथ संस्कार के माध्यम से जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गईं, लेकिन जो एक चीज़ नहीं बदली, वह हमारे गांव की संस्कृति है और हमारे गांव का जीवन है।

महोदय, आज गांव के संदर्भ में चर्चा करने की बात आती है। देश की आजादी के बाद गांव की समग्र विकास की योजनाओं पर चिंतन होना चाहिए था। देश की आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दुनिया के देशों की संस्कृतियों को देखा था और भारत को उसी तरफ डेवलप करने का एक सपना, एक मॉडल दिखाने की योजना पर काम किया, लेकिन शायद उनको यह नहीं मालूम था कि यह देश गांव का देश है। भारत को भारत के नजरिए से देखने की आवश्यकता थी और इस बारे में देश की आजादी के बाद से ही सोचना चाहिए था।

महोदय, उस समय 83.7 प्रतिशत आबादी गांव में बसा करती थी और 2011 की जनगणना के बाद वह आंकड़ा 68.8 प्रतिशत रह गया। यह 14 प्रतिशत जो गांव में रहने वाला व्यक्ति था, वह कहां चला गया? वह पलायन करके शहरों में गया होगा। वह कोई डॉक्टर बना होता, कोई इंजीनियर बना होता, कोई वैज्ञानिक बना होता! महोदय, जब मुझे जब गांव की गलियों से निकलकर महानगरों के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो गांव के जो व्यक्ति थे, जो गांव में जीने वाले लोग थे, जब हमें देश की राजधानी दिल्ली की गलियों में कोई ठेला, रिक्शा, ऑटो, कार चलाते हुए मिले, तो मन में एक दुख हुआ। क्या यही समग्रता का विकास था? देश की आजादी के बाद जो इस देश के अंदर रहने वाले किसान थे, वे 1951 में 71.29 प्रतिशत थे।

महोदय, जब 2011 की जनगणना हुई, तो ये घट कर 45.1 परसेंट रह गए। ये किसान कहां चले गए! जो खेती करने वाला किसान था, हम किसान थे, किसान से हमको मजदूर बना दिया गया। यह देश की सरकार की उस समय की नीतियां थीं। मैं स्वयं खेती करने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो कभी कल्पना में सोच नहीं सकता था कि इस देश की पंचायत में आकर, बैठ कर उन गांवों के लोगों के जीवन की बातों की चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। महोदय, यह मेरा सौभाग्य है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक गांव में जन्म लेने वाला गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधान मंत्री बनता है, तो एक सब्जी बेचने वाले के बेटे को भी इस देश की पार्लियामेंट में आकर उन गांवों और गरीबों की चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। इस भारत की कल्पना की गई थी, जिस भारत को लोगों ने अमेरिका-इंग्लैंड बनाने के लिए सोचा था।

महोदय, हमारा भारत गांवों का देश है। आज भी हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है। Rural development in India is the fundamental pillar of our country's overall development. If villages are not developed, the development of the country will not be possible. भारत का ग्रामीण विकास ही हमारे देश के समग्र विकास की मूल धुरी है। यदि गांवों का विकास नहीं होगा, तो देश का असली विकास संभव नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने यह सपना दिखाया। 2014 में जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी

की सरकार के माध्यम से एक गरीब का बेटा आकर देश की पार्लियामेंट में बैठता है, तो गांव की नीतियां कैसी हो, गांव के प्रति दृष्टि कैसी हो, गांव के प्रति उनकी सोच कैसी हो, उसकी तरफ उनका विज्ञान जाता है।

महोदय, हम यहां पर कल से सुन रहे हैं। ये ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं - मनरेगा, मनरेगा, मनरेगा। इस गांव के विकास को लेकर मनरेगा के शब्दों से कल से लेकर आज तक मैं एक ही चर्चा सुन रहा हूं। शायद इन विपक्ष के नेताओं को यह नहीं पता था कि जब कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर नहीं थी, तब भी इस देश के अंदर गांव थे; आज कांग्रेस पार्टी एक छोटे से तिनके में बची हुई है, तब भी गांव है और जब कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर से समाप्त हो जाएगी, तब भी देश के गांव की आत्मा उस गांव में हमेशा रहा करेगी। इनको यह कल्पना में नहीं है। इनको लगता है कि मनरेगा से ही गांव का जन्म हुआ है। देश के अंदर नीतियां कैसी होनी चाहिए, देश के अंदर व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए? हमारे देश के अंदर आचार्य चाणक्य ने कहा था, गांव की संस्कृति और समृद्धि का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, "कोषमूलो दण्डः, दण्डमूलो राज्यम्, राज्यमूलो राष्ट्रम्, राष्ट्रमूलो ग्रामः"। ये कौटिल्य के शब्द थे। उन्होंने कहा कि कोष शक्ति का आधार है, शक्ति राज्य का आधार है, राज्य राष्ट्र का आधार है और राष्ट्र का आधार गांव है। यह महान आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि गांव मजबूत होंगे, तो राष्ट्र मजबूत होगा। उस समय ये महापुरुषों की बातें थीं और उनके समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भारत की संस्कृति और समृद्धि गांवों की आत्मा थी। यह कोई आज की बात नहीं है, यह हमारे इतिहास में है। हमारे लोगों ने ऋग्वेद में कहा, 'ग्रामे ग्रामे सभा स्यात्', यानी हर गांव में सभा होनी चाहिए। महाभारत के अंदर भी कहा गया कि कृषक और वणिक् राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं, अतः राजा को इनके प्रति विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। देश के महापुरुषों ने ऐसी सारी बातें कीं। संत विनोबा भावे जी ने कहा, "Gram Swaraj means that villages should be able to manage their own governance, production and distribution system. If villages are strong, the country will automatically become strong." जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, "सच्चा लोकतंत्र दिल्ली या राज्यों की राजधानी से नहीं, बल्कि गांवों की पंचायतों से होकर गुजरता है।" यह शायद विपक्ष के नेताओं को पता नहीं था। कैसे इनके समय में सरकारें चलती थीं! महोदय, जब मैं छोटा सा था, तो गांव के अंदर जो दुकानें हुआ करती थीं, जब हम मिट्टी का तेल लेने के लिए जाते थे और दिन भर बैठते थे, तब दो लीटर मिट्टी का तेल मिलता था। उस मिट्टी के तेल के दीपक में पढ़ने से कितने सारे, लाखों-हजारों बच्चों की आंखें खराब हो गईं। यह इनकी वितरण प्रणाली थी। उस वितरण प्रणाली में आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में ऐसी व्यवस्था की गई है कि देश के 80 करोड़ लोगों को भी निशुल्क राशन दिया जाता है। यह जो भारत की ग्रामीण व्यवस्था के अंदर पंख उग आए हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार के कारण संभव हो सका है। महोदय, हम तो गांव में चलते थे, तो साइकिल पर चढ़ करके स्कूल और कॉलेज के लिए पढ़ने जाते थे। मैं आपको उस समय की घटनाएं बताना चाहता हूं। महोदय, जब मैं घर से साइकिल से निकलता था, तो कभी साइकिल मेरे ऊपर होती थी, तो कभी हम साइकिल के ऊपर होते थे। गड्डे में सड़क है या सड़क में गड्डा है, यह भारत के इतिहास में है। देश की आजादी के बाद भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, भारत के विकास को जो अनदेखा किया गया, क्यों, क्योंकि भारत के गांव में

रहने वाला जो किसान है, उसका बेटा, उसका नौजवान पढ़ न पाए, वह लिख न पाए, वह संस्कृति को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ने न पाए - ऐसी सारी नीतियां विपक्ष के नेताओं के समय की, उस समय की व्यवस्थाओं के कारण हैं कि सड़कों के अंदर गड्ढे मिला करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के संदर्भ में, इस प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के संदर्भ में यह है कि 8 लाख, 49 हजार, 320 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 7 लाख 91 हजार 269 किलोमीटर का कार्य, यानी 93 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये दर्द क्या जानेंगे, ये गरीबी क्या समझते हैं? महोदय, ये गरीबी को जान नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि 'का दुख जाने दुखिया की, का दुख जाने दुखिया मोय', ...(समय की घंटी)... 'जिनके पैर नहीं फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।' ऐसा भारत, जिस भारत को गाँव के लोगों ने अपनी आंखों से सींचा, देश की आजादी के 70 सालों बाद वह सपना अगर किसी ने आज पूरा किया है, तो उनका नाम है - नरेन्द्र मोदी।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हम गांव में थे, तो गांव में गरीब घर के व्यक्ति खाते खुलवाने के लिए जाते थे, तो वहां कहते थे कि गारंटी लेकर के आओ। देश के अंदर 70 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उन 55 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को कोई गारंटी देने वाला नहीं था। एक गरीब परिवार का बेटा आया और उसने कहा कि मैं इन सब लोगों की गारंटी देता हूँ। जिसने उन 55 करोड़ लोगों के, गरीब परिवारों के खाते बैंकों में खोलने का काम किया, वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब संक्षिप्त कीजिए।

श्री अमर पाल मौर्य: महोदय, यह गरीबों के साथ इनका दिखावा था। ये एक नारा लगाते थे, जो मैं बचपन में, जब विद्यार्थी जीवन में था, तो पढ़ता था — 'रोटी, कपड़ा और मकान, खुशहाल रहेगा हिंदुस्तान।' महोदय, यह सुनते-सुनते मैं बड़ा हो गया, लेकिन न तो रोटी मिली, न कपड़ा मिला और न ही मकान मिला। ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात आ गई।

श्री अमर पाल मौर्य: महोदय, मकान किसने दिया - मोदी ने, अनाज किसने दिया - मोदी ने, बिजली किसने दी - मोदी ने, सड़क किसने दी - मोदी ने और पानी किसने दिया - मोदी ने। तो क्या इनको जनता ने विपक्ष में कीर्तन करने के लिए भेजा था?

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात आ गई। बहुत धन्यवाद।

श्री अमर पाल मौर्य: यह जो देश के साथ विश्वास तोड़ने का काम किया है, इसके लिए जनता ने इसी प्रकार से सजा दी है। 2029 में और 2047 तक ये ऐसे ही बैठे मिलेंगे। मैं इतनी ही बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next is Hon. Member, Dr. V. Sivadasan; three minutes.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Sir, rural India is in severe crisis. This Government reduced the subsidy for solar and wind energy projects and they told to use LPG. They brought a scheme named Ujjwala forcing the rural people to use LPG. But they have also reduced the subsidy for LPG. Now, after the American aggression on Iran, it has raised thousands of questions in front of us. The price of LPG is sky-rocketing. We all know as to what the real situation is. Modi ji is very close to Mr. Trump, but what is the use for the nation? In villages, thousands of hotels shut down and crores of women are crying. This is the present situation of rural India. What is the reason? It is because of the policy of this Government. Migration is happening from rural India to the cities. The migrant workers are not getting minimum facilities in the cities. In the Capital city, people are getting only polluted water and polluted air. It is because of the policy of this Government. We all know the conditions of the sanitation workers and the migrant labours. Our hon. Minister of Rural Development, Shri Shivraj Singh Chouhan, comes from Madhya Pradesh, and there, in the Indore City, two sanitation workers were killed in the manhole. Sir, we heard that 15 people lost their lives in the city due to contaminated water. This is the Indian situation. In rural India, the farmers are unable to do their work. The agriculture sector is facing the crisis. What is this Government doing? They are mere spectators. Sir, Nathuram killed Mahatma Gandhi. * What is the Government doing? This Union Government is not concerned about the people of India. This Government is concerned only about the corporate houses of the nation. They are protecting the profits of the corporates. They are not protecting the interests of the people. They are spending crores of rupees not on the rural poor, not on the farmers; they are spending crores of rupees on monkeys and dogs. They are only trying to protect the wild animals. Okay! They are spending crores of rupees on Cheetah, but they are not spending the money on the rural poor. ...(*Time-bell rings.*)... Sir, only one minute.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात आ गई। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

DR. V. SIVADASAN: There are increasing attacks by elephants, tigers, leopards and other wild animals, while the farmers are losing their income. It should be addressed. Sir, I want to present a data. According to a study in 2025, only in Maharashtra, the estimated annual agriculture loss ranges from Rs.10,000 crores to Rs.40,000 crores, but the amount which they have received as compensation is only one per cent of the total loss. This should be addressed by the Union Government. In 2021, in

* Not recorded.

Maharashtra, 239 people were killed by tigers; in Uttar Pradesh, 59 people were killed by tigers; in Odisha, 650 people were killed by elephants. ...(*Time-bell rings.*)... The reason I am mentioning these things is that the Union Government should address the real issues of the people. They are only thinking about the profit of the corporate houses. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now Shri Mithlesh Kumar; you have ten minutes.

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकलाप के अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इन अनुदान मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज भारत का ग्रामीण परिदृश्य एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में गांव की आत्मा बसती है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु उद्योग जैसे उद्यमों के माध्यम से गांव के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो गांवों का समग्र विकास अनिवार्य है।

हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचनात्मक परिवर्तन के व्यापक कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया है। केंद्रीय बजट, 2026-27 इसकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। मान्यवर, भारत के किसान केवल अन्नदाता नहीं हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की नींव है, इसलिए भारत सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित और स्थिर बनाना है। महोदय, 2026-27 के केंद्रीय बजट में कृषि और कृषि कल्याण विभाग के लिए 2,32,561 करोड़ रुपए, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए कुल बजट 2,42,528 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा देश में योजनाएँ शुरू करके काम किया गया है। इस योजना के माध्यम से लगभग 11 करोड़ परिवारों को 3.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि, उनके खातों में 'किसान सम्मान निधि' के रूप में हस्तांतरित की जा रही है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ऐसी राशि है, जो किसानों को बहुत ही मजबूत करने का काम करती है। पहले जब उन्हें कुछ लेना होता था, तो गाँव में जो बड़े-बड़े धनाढ्य लोग रहा करते थे, उनसे वे ब्याज पर पैसे लेकर आते थे और तब वे डीजल लाते थे, बीज लाते थे, खाद लाते थे। जब उनकी फसल पैदा होती थी, तब उसका पैसा ब्याज में ही चला जाता था। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी द्वारा "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" लाकर उन गरीब किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। इसके विपरीत, जब पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उसने 2008 में लगभग 70,000 करोड़ रुपये कृषि-ऋण माफी योजना के अंतर्गत केवल बैंकों को पुराना बकाया और ऋणों की भरपाई के लिए दिया था। परिणामस्वरूप, उसने न तो कृषि की परिसंपत्तियाँ बनाई और न कृषि उत्पादन में कोई सुधार किया। उससे

किसानों को केवल अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन उनकी खेती बहुत प्रभावित हुई, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। उस समय की सरकार की नीति दीर्घकालिक और टिकाऊ कृषि विकास की बजाय अल्पकालिक संसाधनों पर टिकी हुई थी, जबकि हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा आज ग्रामीण समृद्धि को केवल खेती तक ही सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि इसके अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य जैसे क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया है। 2026-27 के बजट में पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए 2,02,832 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश की सरकार को, डबल इंजन सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उसने पशुपालन की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके द्वारा यह तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर चार गाय पालता है, तो उसको 80 हजार रुपए का अनुदान देकर उसकी टीनशेड बनवाया जाएगा। अगर वह गौशाला से डॉक्टर के द्वारा टैग लगवाता है, तो एक गाय के लिए 1,500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से चार गायों को पालने के लिए, उनकी feeding के लिए 6,000 रुपये हर माह उनको दिया जाता है, जिससे उनका टीनशेड भी बनता है और गायों को चारा भी मिलता है। अब डेयरी में उनके दूध की सप्लाई भी होती है और अमूल वाले घर-घर जाकर उनका दूध लाते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा इस तरह से किसानों की आय बढ़ाने का काम किया गया है। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ।

इसी तरीके से, इनके द्वारा मत्स्य पालन विभाग के लिए 2,431 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है, उसके परिणामस्वरूप आज मछली का उत्पादन 2023-24 से बढ़कर 17.5 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इससे लाखों मछुआरों और तटीय समुदायों की आय में वृद्धि हुई है। गांवों में जो तालाब बनाने की योजना शुरू की गई है, उसमें मछली पालन होता है और अत्यंत अच्छी-अच्छी रोहू और कतला जैसी मछलियां गांवों में पलती हैं। इस तरह, उससे किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम हुआ है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो 2,40,768 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है, उससे ग्रामीण विकास अवसंरचना, रोजगार, आजीविका के अवसरों को बहुत बड़ा फायदा मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत 2,654 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, वह पिछले वर्षों की तुलना में 51 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें 2,500 करोड़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक, PMKSY (WDC) के लिए तथा 125 करोड़ Digital India Land Records Modernization Programme के लिए निर्धारित किया गया है। Unique Land Parcel Identification Number की शुरुआत करके गांवों को मजबूत करने का काम किया गया है। पहले जब गांव का कोई बच्चा किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाता था, तो उसका मकान 1,000 मीटर में बने होने के बाद भी कोई बैंक उसको ऋण नहीं देता था। बैंक उनको ऋण देता था, जिनका शहरों के अंदर प्लॉट पर मकान होता था। प्रधान मंत्री जी के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए जो भूमि स्वामित्व योजना गांवों के किसानों को दी गई है, उसके लिए आज हजारों लोग माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज उनके बच्चे बाहर पढ़-लिख रहे हैं। हमारा मकान भी गांव में है, उसके मालिक होने की खतौनी हमको अब

प्राप्त हुई है। यह प्रदेश के डबल इंजन सरकार की देन है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है कि वे अब अपने खेत के, अपने मकान के मालिक हो गए हैं। नहीं तो क्या होता था कि हम मालिक हो ही नहीं पाते थे और वैसे ही सब चला जाता था। इसी तरीके से गाँव के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाएं और सहकारी संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्थानीय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाएं सशक्त हों।

पंचायती राज मंत्रालय के लिए भी ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा 1,190 करोड़ रुपये जो दिए गए हैं, उससे निश्चित रूप से वीबी-जी राम जी की योजना पूरी तरीके से गाँवों में लोगों को लाभान्वित करेगी। गाँव के युवा और किसान मजबूत होंगे। अभी तक क्या था कि गाँव में मनरेगा के तहत मिट्टी पड़ जाती थी, मिट्टी उड़ जाती थी और हवा में बह जाती थी। अब पक्की सड़क बनेगी। हमारे गाँवों में खेत के लिए गन्ने की ट्रॉली ले जाते थे। गन्ना जब भरते थे, सत्तर कुंटल गन्ना होता था तो ट्रॉली दलदल में फँस जाती थी। अब पक्की सड़क बनेगी तो गाँव का विकास होगा। गाँव में दुकान बनेगी। किसान का बेटा दुकान चलाएगा। गाँव के अंदर बारात घर बनेंगे। बारात घर लेने के लिए शहर में जाना पड़ता था, अब वह गाँव में बन जाएगा। यह आपने ताकत गाँव को दी है। श्मशान घाट गाँव में बन जाएगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वीबी-जी राम जी योजना लाकर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा जो गाँव का विकास किया गया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। उन्होंने मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्य मंत्री के रूप में काम किया है, जिसका अनुभव का फायदा हमारे देश के लोगों को मिल रहा है।

इसी तरीके से गाँव को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 1,744 करोड़ रुपये जो दिए हैं, उससे भी किसानों का बहुत विकास होगा। एक योजना कृषि के माध्यम से चलती है— एफ.पी.ओ.। जिसमें 10 किसान डायरेक्टर होते हैं और 100 किसान उसके मेंबर होते हैं। मुझे याद है और मुझे मालूम है कि हमारे किसानों ने ट्रैक्टर लेकर के ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स आदि भी लिए हैं, जिसमें सरकार द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 20 लाख रुपये का सामान मात्र 4 लाख रुपये में मिलता है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो योजनाएँ लाकर देश को लाभान्वित किया गया है और किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, उसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

इसी तरह बीज प्रोसेसिंग, सीड प्रोसेसिंग की मशीन अगर गाँव में लगाई जाएगी तो गाँव का हमारा धान का बीज वहीं प्रोसेस होकर बाजार में जाएगा, तो एक-एक प्रोजेक्ट 60 लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये तक का अनुदान उन किसानों को मिलेगा।...(समय की घंटी)... महोदय, सिर्फ एक मिनट का समय दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मिथलेश कुमार: इससे हमारे देश को लाभ मिलेगा।

दूसरा, आपने जो मिलेट की योजना चलाई है—बाजरा, मक्का, ज्वार—इनकी दुकानें खोलने के लिए भी आपके द्वारा 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इससे गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। ऐसा एक प्रपोजल लाकर माननीय मंत्री जी के द्वारा...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद। अभी स्पेशल मेशन भी आने हैं और समय हमारे पास कम है।

श्री मिथलेश कुमार: मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि जब गाँव में घुसते थे तो कितनी दिक्कत होती थी। आपको याद होगा जब कोरोना काल आया था। जिनके दरवाजे पर पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था और नीम का पेड़ था, वहाँ जाकर लोगों को ऑक्सीजन मिलती थी। जो मैक्स में जाते थे, उनको बेड नहीं मिलता था और जब वे गाँव में लौटकर आते थे, तब उन्हें प्रकृति से राहत मिलती थी।

ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यकरण आया है, उसका मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): नेक्स्ट माननीय सदस्य, श्री हारिस बीरान जी। You have three minutes.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, rural India actually forms the backbone of our country. Almost 65 per cent of India's population is from rural India. But when we examine the allocations in the Budget, serious concerns are there as to whether Government is addressing rural India with respect to employment and infrastructure. Sir, I want to ask hon. Minister certain questions. One, according to the Periodic Labour Survey Force, rural unemployment among youth remains significantly high. How does the Government justify reducing the allocation as far as rural employment programs are concerned, when unemployment is a major concern?

Despite Digital India initiatives, many villages face poor internet connectivity. How many Gram Panchayats have reliable broadband connectivity under BharatNet and how is the Government ensuring digital inclusion for rural citizens?

Sir, another area of real concern is the availability of health care facilities and professionals. According to Ministry of Health and Family Welfare's Rural Health Statistics Report, there is a significant shortfall of doctors and specialists at primary health centers in rural areas. The rural population continues to experience higher level of malnutrition and health challenges. According to a National Family Health Survey, around 35.5 per cent of children under five years are stunted, indicating chronic malnutrition. While several skill development programmes exist, many rural youth remain disconnected from emerging sectors such as renewable energy, agro-processing and rural enterprises. How is the Government aligning rural development

programmes with skill development initiatives to prepare rural youth for new economic opportunities?

Sir, another major concern is that they have repealed the MGNREG Act and they have got the VB-G RAM G Act. For Kerala, a State that has consistently outperformed the national rural employment average, the projected additional fiscal liability is between Rs. 2,000 crores and Rs. 3,500 crores annually. Sir, the Kerala Assembly had unanimously demanded the withdrawal of this Act, so did Karnataka, Tamil Nadu and Telangana. Four State Legislatures spoke in unison, but the Government's response was to launch a Rs.50,000 logo design competition on MyGov to brand the new scheme. Now, Sir, the problem is this. If a tribal woman in Wayanad cannot upload her biometric photograph because the Government server is down, she loses her daily wage. The State's technological failure becomes her personal poverty. This is the situation now. This Party has always said that the true measure of a nation's commitment to justice is what it does for those who have no lobby, no market value and no political optics.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: Today, the rural poor are being asked to validate their poverty through algorithms they cannot access, in languages they do not speak and on servers that do not work. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The next speaker is Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade. You have 10 minutes.

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity. I rise to participate in the discussion on the Working of the Ministry of Rural Development. It is a matter of pride that in a recent national discourse, the Government of India's continuous journey towards *Viksit Bharat* through inclusive development and social justice has been widely acknowledged. Under the visionary leadership of Prime Minister, Narendra Modi, the nation has witnessed a decisive shift from welfare-based policies to growth-oriented, people-centric development, with rural India at the very core of this Transformation Vision of *Viksit Bharat 2047*. The Government's focus on infrastructure, empowerment and opportunity has created a strong foundation for long-term prosperity across villages and towns. Prime Minister, Narendra Modi, has ensured that rural India remains at the very centre of the Union Budget and the national development agenda. Under his leadership, allocation for rural development have more than doubled over the last

decade, rising from about Rs.87,765 crore in 2016-17 to Rs.2.73 lakh crore in 2026-27, sending a clear message that villages are no longer after thoughts, but the true engines of India's growth story. This massive increase in funding reflects the Government's firm commitment to reducing poverty, strengthening infrastructure and building long-term prosperity in rural areas. Whatever facilities are available in cities, better than those are being made available in rural villages. One of the most visible changes in our villages is transformation of housing under the Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin. In 2026-27, PMAY-G has been allocated Rs.54,917 crores compared to about Rs.15,000 crore in 2016-17, a rise of over 260 per cent over the last 11 years. More than 3.7 crore rural homes have been built, giving millions of families not just a roof over their heads, but also dignity, security, and access to basic amenities like electricity and sanitation. This is not just a housing scheme, it is a promise of a better life for India's poor.

Mr. Vice-Chairman, Sir, to move beyond short-term wage employment, the Modi Government has introduced Viksit Bharat-G RAM G, a flagship rural employment and livelihood mission. For 2026-27, the Central allocation for the Scheme is Rs. 95,692 crores, with a total outlay including State contribution surpassing Rs. 1.51 lakh crores. This Scheme assured 125 days' employment. Scheme links rural work to local demand, skilled training and productive assets, ensuring that every rupee spent creates lasting infrastructure, meaningful employment and sustainable income in our villages. Under PM Modi, rural work is no longer about survival, but about building prosperity.

Sir, connectivity is the backbone of rural development and the Government has ensured that even the remotest villages are linked to markets, schools and hospitals through the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The Budget allocation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has increased from Rs. 12,581 crore in 2016-17 to Rs. 19,000 crore in 2026-27, and over 1.02 lakh kilometres of rural roads and nearly 1,734 bridges have already been completed. This vast network has ended isolation for millions, enabled farmers to get better prices, helped children to reach schools, and allowed women to access healthcare and reach markets safely.

Land rights are crucial for rural prosperity, and Svamitva Scheme has revolutionized property records in villages through drone-based mapping. By December, 2025, about 3.28 lakh villages had been covered and 2.76 crore property cards had been issued, helping families resolve decades-old disputes and use their land as collateral. This has unlocked formal credit, encouraged investment in

agriculture and small enterprises and given rural households the confidence to build a better future, all under the Modi Government's vision of transparent technical-driven governance.

Women are at the heart of the rural transformation in India. Today, around 10.05 crore women have been mobilized into 90 lakh Self Help Groups, which act as local banks and entrepreneurship platforms. These Self Help Groups provide savings, credit and livelihood support, enabling poor households to escape debt traps and invest in education, health and small businesses. Through the Panchasutra-Dashasutra framework, women are leading improvements in health, education, nutrition and local governance, proving that when women are empowered, the entire villages are uplifted. This is the vision of Prime Minister Modiji.

Digital inclusion has removed the stronghold of middlemen in rural India. Schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJAY, Aadhaar-linked Direct Benefit Transfers and Mobile Banking have ensured that subsidies for food, fuel, housing and employment reach the intended beneficiaries' account directly in villages. These have reduced leakages, increased transparency and enabled millions of rural households to participate in the formal financial system. Prime Minister Modi Ji has brought the power of digital technology to the doorstep of every farmer, every labourer and every Anganwadi worker.

Mr. Vice-Chairman, Sir, Budget 2026-27 marks a clear shift from welfare-driven schemes to an enterprise-centric, infrastructure-led rural development model. The focus is now on market-linked livelihoods, skill development, entrepreneurship and youth opportunities, especially, for women and Scheduled Castes and Tribes. More villages in India are connected to high-speed Internet than ever before, yet the real digital revolution is happening in the field and lanes of our villages where a farmer checks mandi prices on his phone. A woman entrepreneur sends products across States from her home and a young person in a remote block prepares for digital jobs while still rooted to his soil. Under Prime Minister, Shri Modi, rural India is no longer just receiving development; it is leading the transformation, one village at a time.

Mr. Vice-Chairman, Sir, a nation that respects its farmers, secures its future under the *PM Kisan Samman Nidhi* scheme. Our Government continues to strengthen farmers' income with direct cash benefit support. Over four lakh crore rupees have been directly transferred to farmers' bank accounts to support agricultural investment

and livelihood. This financial support is particularly crucial for small and marginal farmers, enabling them to adopt better inputs, technology and risk mitigation tools.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in 2014, our villages were without electricity half the day, receiving only 12.5 hours of power. Today, rural India enjoys 24-26 hours of electricity, nearly doubling availability and transforming schools, businesses and lives. Under the visionary leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi, our villages are not just witnessing change, but are leading the nation's transformation. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The next speaker is Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik; ten minutes.

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा में अपने विचार रखने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा पेश की है।

महोदय, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, इसलिए ग्रामीण विकास केवल एक क्षेत्रीय नीति नहीं, बल्कि भारत के समग्र और संतुलित विकास की आधारशिला है। यदि ग्रामीण भारत सशक्त होगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना मजबूत रहेगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,97,023 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से लगभग चार प्रतिशत अधिक है। इसमें लगभग 1.94 लाख करोड़ ग्रामीण विकास विभाग के लिए तथा लगभग 2,600 करोड़ भूमि संसाधन विभाग के लिए रखे गए हैं। यह केवल बजट का प्रावधान नहीं है, बल्कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, जो सपना है, उसे साकार करने की मजबूत नींव है। इस मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। महोदय, ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिसम्बर, 2025 में संसद ने विकसित भारत — रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी — जी राम जी) कानून पारित किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी, जो पहले 100 दिनों की थी, उसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 95,692 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था के माध्यम से रोजगार के साथ-साथ जल संरक्षण, ग्रामीण अनुरक्षण और

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जब किसी गरीब परिवार को पक्की छत मिलती है, तब उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के माध्यम से हमारी सरकार ने करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा का भाव पैदा किया है। अब तक 3 करोड़ 90 लाख घरों की स्वीकृति दी जा चुकी है और लगभग 2 करोड़ 97 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने 2025-26 से 2028-29 तक के बीच दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 54,917 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि लगभग 2 करोड़ 93 लाख घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त नाम पर स्वीकृत किए गए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महोदय, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यह मिशन विश्व का सबसे बड़ा महिला नेतृत्व वाला सामाजिक आर्थिक नेटवर्क बन चुका है। देश भर में लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 92 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यमों से महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिली है और लाखों महिलाएं छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। वर्ष 2026-27 में इस मिशन को और मजबूत बनाने के लिए 19,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधान मंत्री जी के विज्ञान के अनुरूप लखपति दीदी अभियान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का व्यापक प्रयास चल रहा है।

महोदय, ग्रामीण विकास की असली जीवन रेखा सड़क कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। इस योजना के तहत अब तक 8,49,000 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है और लगभग 7,91,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो लगभग 93 प्रतिशत की उपलब्धि है। वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण चार प्रारंभ किया है, जिसके तहत 25,000 नई बसावट को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी।

सर, मैं यहां दो-तीन चीजों की डिमांड रखना चाहता हूं। वीबी-जी राम जी योजना अभी चल रही है, उसके संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पिछली सरकार में 100 दिनों की जॉब गारंटी होती थी। अब हमारी सरकार ने उसे 125 दिन कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 210 चीनी मिलें हैं। ये चीनी मिलें एफआरपी और एमएसपी की समस्याओं से घिरी हुई हैं, क्योंकि 7 साल से चीनी का सेलिंग प्राइस, एमएसपी 31 रुपये प्रति किलो है, जबकि एफआरपी हर साल बढ़ती जा रही है। इससे मिलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम तौर पर चीनी मिलें 120 दिन चलती हैं। यह सीज़न 4 महीने का होता है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इन चीनी मिलों के जो गन्ना मजदूर हैं, उनको वीबी-जी राम जी से जोड़ेंगे, तो 120 दिन की गारंटेड जॉब इन लोगों को मिल सकती है। इससे चीनी मिलों

को भी फायदा होगा और साथ-साथ गन्ना उत्पादक किसानों को भी इसका लाभ होगा। यह किसानों के लिए और वीबी-जी राम जी में काम करने वाले लोगों के लिए भी विन-विन सिचुएशन हो सकती है।

सर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जल-जीवन मिशन में हर घर नल, हर घर जल को हर गांव में जोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से गांव के अंदरूनी रास्ते खराब हो चुके हैं। वीबी-जी राम जी में हम युवकों को रोजगार देने के एवज में अगर इन गांवों की सारी सड़कें कश्मीर से हम कन्याकुमारी तक सभी कंक्रीट की बना पाएं, तो इसका लाभ गांवों को भी होगा और रोजगार देने का कार्य भी होगा।

सर, मेरा तीसरा और आखिरी सजेशन यह है कि देश की सभी नदियां, जिनको हम रिवर बेसिन बोलते हैं, उनको कई सालों से क्लीन नहीं किया गया है। इसकी वजह से कई जगह पर बाढ़ की समस्या निर्मित होती है। वहां पानी का ठहराव नहीं होता है और पानी बह जाता है। अगर वीबी-जी राम जी में हम युवकों द्वारा नदियां साफ करवाकर या रिवर बेसिन क्लीन करवाकर उनमें से सैंड निकलवाते हैं, तो उसकी पात्रता बढ़ सकती है। गांव-गांव में पानी की जो समस्या आती है, इससे वह भी कम हो सकती है और वहां पानी का ठहराव भी बढ़ेगा। इससे पानी का स्टोरेज बढ़ेगा और किसानों को भी लाभ होगा। मैं ये कुछ सुझाव और डिमांड इसमें रखना चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद। माननीय सदस्य नबाम रेबिआ जी, आपके 10 मिनट्स हैं।

SHRI NABAM REBIA (Arunachal Pradesh): Thank you, Sir, for allowing me to take part in this important 'Discussion on the Working of the Ministry of Rural Development'. I will try to be very brief so that I could save some time for my Party. I will not be harping on the issues already mentioned by many of our hon. Members.

I would try to confine myself particularly to the issues pertaining to the North-East Region and my State, Arunachal Pradesh, under the PMGSY-IV. On 3rd December, 2025, through an oral submission, I had mentioned this demanding for relaxation of the population criteria for PMGSY. Arunachal Pradesh has a topography, हमारी जो topography है, वह नॉर्थ-ईस्ट में सबसे बड़ी है, आप जानते हैं। वहाँ पहाड़ी इलाके हैं, जनसंख्या बहुत कम है। वहाँ ऐसे भी गाँव हैं, जहाँ अभी भी एक घर है और एक वोटर है, आप जानते होंगे और people are scattered. आपकी जो गाइडलाइंस हैं, उनमें आपने नॉर्थ-ईस्ट रीजन के लिए 250-plus population दिया है। इसके होने से भी only 84 habitations will be benefited. They can be covered. But, 200-300 villages will still be left out and will not get the benefit of road connectivity under the PMGSY. इसलिए मैंने इसके लिए डिमांड की थी। यह हमारे राज्य की डिमांड है। आपने Left-Wing Extremism affected area में रास्ते के लिए

जो relaxation दिया है, that is 100-plus. इसलिए आप उसी के अंदर हमें भी ले आएँ। पहले हमारे लोग एक जगह से दूसरी जगह migrate करते थे, वह अभी नहीं हो रहा है, वह बंद हो गया है। वहाँ under Modiji, जो Vibrant Village Programme शुरू किया गया है, उससे लोगों को benefit हो रहा है and from cities and towns, people are going back to the villages. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो cluster approach का प्रस्ताव दिया है, that is also a very good decision. Still, अगर आप उस population criteria को relax नहीं करेंगे, तो हम इन 200-300 गाँवों को कहाँ ले जाएँगे! That is our major demand. आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपने जो new Budget allocation दिया है, यह आपने बहुत अच्छा allocation दिया है। This shows the concern of Shri Narendra Modi towards the people of rural areas. We welcome this. इसलिए मैं यह कहूँगा कि आज आप एक assurance जरूर दीजिएगा, when you will respond to the debate. I would like to hear, at least, a word from your end.

सर, आपको बार-बार हमारे स्टेट, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ-ईस्ट रीजन की ओर से एक नया proposal दिया जा रहा है। Horticulture में हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे यहाँ kiwi quality is very good and we produce world-class kiwi. चाहे orange हो, kiwi हो, cardamom हो, large cardamom हो, tea हो, coffee हो, pine apple हो, banana हो, अब इनके produce को हम market तक कैसे पहुँचाएँ? That is the difficulty. इसलिए हम आपके सामने एक proposal दे रहे हैं कि एक rural road economic corridor हो, so that poor farmers can bring their produce to the market through the main road. इस proposal के ऊपर आज आपको कुछ कहना ही पड़ेगा, मैं आपसे request करता हूँ। I am sorry, Sir, but the Minister is just sitting.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं। वे अपने जवाब में इसके बारे में बताएँगे।

श्री नबाम रेबिआ: सर, अपने स्टेट के लिए मैं इसको फिर से repeat करता हूँ। सर, यह जो Vibrant Villages Programme है, इसे मोदी जी बहुत सोचकर लाये हैं। Personally, I went to some of the villages in the interior near China border. वहाँ Vibrant Villages Programme की activities बहुत अच्छे से चल रही हैं। There is very good and prompt response by the people. On top of that, Frontier Highway is being made. Frontier Highway will be passing through the Indo-China border.

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK) *in the Chair.*]

The McMahon line is an imaginary line. यह कोई defined line नहीं है। अभी बॉर्डर एरिया में जो इंटीरियर जगहें हैं, backward areas हैं, उनको आगे ले जाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। We really appreciate that. इसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे avail नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा नहीं जानते कि आपकी क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि आपकी गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। वे बदलती रहती हैं। Your field

officers have to educate the people and make them aware about the various projects. जैसे हमारे Self-Help Groups हैं या जो भी चीजें हैं, उनके बारे में जितना हो सके, उनको बताया जाए।

The earlier BADP has been replaced by the Vibrant Villages Programme. Under the BADP scheme, I can say, proper monitoring नहीं हुआ करती थी and the money used to be misused. इसलिए अभी जो Vibrant Villages Programmes हैं, उनमें थोड़ी सी proper monitoring करने से अच्छा रहेगा। Quality of roads will also be ensured. आप इस काम में जो monitoring agencies को लगाते हैं -- whether it is part of the State Governments, क्योंकि आप monitoring के लिए third-party को लगाते हैं -- वे लोग Circuit House में, IB house में या guest house में बैठ कर चाय-पानी पीकर चले जाते हैं। कोई field में नहीं जाता है। That is the real problem. यह काम होना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, यही कहूंगा कि specially मैंने अभी जो Rural Road Economic Corridor के बारे में बोला है, उससे हमें hydro sector में भी बहुत benefits मिलेंगे। Arunachal is the richest State in the country so far as hydro power potential is concerned. हमारे यहां कहीं-कहीं पर छोटा-मोटा hydro project बन सकता है, लेकिन वहां रास्ता नहीं है।

So, please keep this in mind, and for the development and benefit of hydro power sector, horticulture sector, agricultural sector and small farmers, आप please Rural Road Economic Corridor के लिए आज कुछ announce करके जाइए। I will be very grateful to you for this. Madam, as I said, I want to give some of my time to my colleagues. With these words, I conclude my speech. Thank you.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Thank you. ...*(Interruptions)*... Yes, Mr. Minister, what do you wish to say?

श्री शिवराज सिंह चौहान: महोदया, एक मिनट। ...*(व्यवधान)*... अभी बड़ी गम्भीर और रचनात्मक बहस चल रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चूंकि चर्चा में समय सीमित होता है और इसमें सभी माननीय सदस्य भाग भी नहीं ले पाते, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, मेरे मन में यह आया कि मैं आग्रह करूं कि आपके पास ऐसे सुझाव, जो यहां आप न भी दे पाएं, तो अगर आप कभी भी मुझसे मिलकर देंगे, तो मैं आपसे मिलने को हमेशा उत्सुक रहूंगा। चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, रचनात्मक सुझावों का हमेशा स्वागत है और हम यथासंभव उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Shri Babubhai Jesangbhai Desai.

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आज इस सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा

हूँ। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के समग्र विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए इस मंत्रालय की नीतियों और योजनाओं का सीधा प्रभाव करोड़ों ग्रामीण नागरिकों के जीवन, आजीविका और सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ता है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ग्रामीण विकास केवल बुनियादी ढाँचे के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समाज के आर्थिक, सामाजिक और मानवीय विकास का व्यापक दृष्टिकोण है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार, आवास, सड़क, वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भर आजीविका के अवसर प्रदान करना है। आज जिन अनुपूरक अनुदान की माँगों पर चर्चा हो रही है, वे इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ग्रामीण विकास मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक 'बीबी-जी राम जी योजना' है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कठिन आर्थिक परिस्थितियाँ और प्राकृतिक आपदाओं के समय यह योजना लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान से मजदूरी भुगतान में देरी को कम करने तथा लंबित देयताओं के निपटान में सहायता मिलेगी। हालाँकि, इस योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, समय पर भुगतान और निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ग्रामीण गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण(पीएमएवाई-जी)' एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। आवास केवल सिर पर छत प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन का आधार भी है। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन घरों को शीघ्र पूरा करने और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाने में सहायता मिलेगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सड़क संपर्क की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' के माध्यम से देश के हजारों गाँवों को सर्व मौसमीय सड़कों से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं तक पहुँच आसने हुई है। प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और उनके रख-रखाव में सहायता प्रदान करेगा, जिससे इन सड़कों का दीर्घकालीन लाभ ग्रामीण जनता को मिलता रहेगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)' ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों ग्रामीण महिलाएँ आज वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व में

सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज गाँवों की महिलाएँ छोटे-छोटे उद्योग चला रही हैं, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही हैं और अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस मिशन को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और गति मिलेगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उपलब्धियों के बावजूद अभी भी अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, युवाओं का शहरों की ओर पलायन तथा बुनियादी सुविधाओं में असमानता जैसी समस्याएँ अभी भी सामने हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाएँ भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए ग्रामीण विकास की नीतियों को अधिक समन्वित, टिकाऊ और भविष्य उन्मुख बनाने की आवश्यकता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस संदर्भ में विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, 'बीबी-जी राम जी योजना' के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जलाशय निर्माण और जलवायु अनुकूल कृषि गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। इससे एक ओर रोजगार सृजन होगा और दूसरी ओर पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा।

5.00 P.M.

महोदया, डिजिटल तकनीक का उपयोग भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज कई योजनाओं में जियो टैगिंग, डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएँ लागू की जा चुकी हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाए, तो इससे सरकारी सेवाओं और बाजारों तक ग्रामीण नागरिकों की पहुँच और आसान हो जाएगी।

महोदया, मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं का गुजरात राज्य को भी व्यापक लाभ मिला है। मनरेगा के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, चेक डैम, तालाब और भूमि सुधार जैसे अनेक कार्य किए गए हैं, जिनसे ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गुजरात में लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। इससे ग्रामीण गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिला है तथा उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुजरात के अनेक दूरस्थ गाँवों को सर्वमौसमीय सड़कों से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान हुई है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है।

महोदया, गुजरात में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, सूक्ष्म वित्त और

कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। हालाँकि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ अभी भी हमारे सामने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थायी समाधान विकसित करना आवश्यक है।

महोदया, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका भी ग्रामीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए, तो वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं। इसके साथ ही, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी समय की आवश्यकता है। कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ग्रामीण पर्यटन और लघु उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

महोदया, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में विकास की चुनौतियाँ अधिक हैं और यहाँ लक्षित योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामीण भारत का विकास ही राष्ट्र के समग्र विकास का आधार है। यदि हमारे गाँव समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांगें इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि इसका वास्तविक लाभ ग्रामीण जनता तक पहुँच सके और ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य साकार हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ और कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Shri Manan Kumar Mishra.

श्री मनन कुमार मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं, देश के विकास के लिए उन्होंने अनवरत प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों तथा समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए गए, कार्यान्वित हुए और सफल भी रहे। नतीजा यह है कि आज हम विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति हैं। गाँव को समृद्ध, खुशहाल और विकसित बनाने तथा ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर और सुखी बनाने के उद्देश्य से माननीय मोदी जी की सरकार ने जो सफल योजनाएँ लागू की हैं, मैं उनकी चर्चा करूँगा।

Madam, as a large share of India's population continues to reside in rural areas, the Union Budget allocation for Rural Development increased from Rs.87,765 crore in 2016-17 to Rs.2,73,108 crore in 2026-27, representing a rise of over 211 per cent during the decade. These figures indicate a sustained fiscal commitment to strengthening rural infrastructure, livelihoods and local institutional capacity. Major national programmes such as the Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Grameen), formerly MGNREGA, Deen Dayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission, Swachh Bharat Mission and Jal Jeevan Mission have embedded participatory mechanism by working through Panchayats, Self-Help Groups and grassroots organizations. Direct fiscal transfers to Panchayats have been increased from around Rs. 2.36 lakh crore under the 15th Finance Commission (2021-2026) to nearly Rs. 4.3 lakh crore under the 16th Finance Commission (2026-2031), thereby significantly enhancing local financial autonomy.

Madam, under the leadership of Shri Narendra Modi, India has recorded substantial advances in expanding social protection and reducing poverty. Coverage under social protection systems, which includes access to improved drinking water, household electrification and rural sanitation, increased from 22 per cent in 2016 to 64.3 per cent in 2025, reflecting a significant broadening of social security reach.

Madam, India's Multidimensional Poverty Index published by NITI Aayog indicates Poverty Headcount Ratio declined from 55.3 per cent in 2005-06 to 14.96 per cent in 2019-2021, and further to 11.28 per cent in 2022-23. These trends suggest that sustained economic growth, in conjunction with targeted social welfare interventions and expanded access to basic services, has contributed to a significant reduction in poverty in India. Under the leadership of Shri Narendra Modi, the public policy in India is oriented towards expanding equal opportunities, reducing absolute poverty and mitigating the risk of widening inequality. The Government initiatives have focused on expanding access to affordable housing, food and social security, financial inclusion, universal basic services and affordable healthcare. Together, these interventions have played a central role in improving living standards, particularly in rural areas. Jal Jeevan Mission was launched in 2019 to achieve *Har Ghar Jal*. At inception, only 3.23 crore rural households, about 17 per cent, had tap water connections. By November, 2025, an additional 12.50 crore households were covered, raising total coverage to about 15.74 crore households.

The Swachh Bharat Mission was launched in 2014 to achieve Open Defecation Free (ODF) status nationwide by October, 2019. As of December 31, 2025, over 96

per cent of villages under the Swachh Bharat Mission have attained ODF Plus status. An ODF Plus village is defined as one that sustains its ODF status, ensures solid and liquid waste management and remains visually clean. As of February 9, 2026, there are 5.68 lakhs ODF Plus villages in our country, of which 5.29 lakhs have suitable arrangement for solid waste management and 5.46 lakhs have suitable arrangement for liquid waste management.

Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA) was launched in 2017 to achieve universal household electrification by providing electricity connections to all willing un-electrified households in rural areas and all willing poor households in urban areas in the country. In 2017, the total number of un-electrified households was estimated at three crores, against which 2.86 crores households across the country were electrified by Financial Year 2021-22. As of March 31, 2019, all States have reported 100 per cent electrification of all the willing un-electrified households identified.

Implemented since April, 2016, the Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) aims to achieve the objective of "Housing for All" by 2029 by providing *pucca* dwellings with basic amenities to eligible rural households. Against an overall target of 4.95 crores houses, 4.14 crores units have been allocated to States and Union Territories, of which 2.93 crores have been completed to date. The total number of rural houses constructed over the past 11 years is 3.70 crores. Reflecting the heightened policy emphasis on rural housing, budgetary allocations for PMAY-G increased from Rs.15,000 crore in 2016-17 to Rs.54,916.70 crore in 2026-27.

Madam, rural connectivity is a foundational pillar of rural development, directly contributing to poverty reduction by enhancing access to healthcare, education, markets and employment opportunities. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY-I) was designed to provide all-weather road connectivity to eligible unconnected habitations. As of mid-January 2026, more than 99.6 per cent of eligible habitations had been connected. Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-I, a total of 1,63,665 roads spanning 6.25 lakh kilometres, along with 7,210 bridges, have been completed.

The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY-II) focused on strengthening and upgrading the existing rural road network. As of mid-January 2026, a total of 6,612 roads covering 49,087 kilometres, along with 749 bridges, had been completed under this phase. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana — IV

approved for the years 2024-29, aims to construct 62,500 kilometres to connect 25,000 new habitations. So far, 12,100 kilometres of roads have been approved.

Madam, reflecting sustained policy emphasis on rural connectivity, budgetary allocations for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana increased from Rs.12,581 crore in 2016-17 to Rs.19,000 crore in 2026-27. Targeted infrastructure interventions have increasingly prioritized tribal and particularly vulnerable communities.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI MANAN KUMAR MISHRA: Under the PM-Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan, which seeks to achieve saturation of Government schemes across 28,700 habitations of Particularly Vulnerable Tribal Groups, a total of 2,495 roads spanning 7,324 kilometres and 164 bridges have been sanctioned, with 263 roads completed as of January 15, 2026.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI MANAN KUMAR MISHRA: Madam, digitalisation has emerged as a critical enabler of inclusive and efficient service delivery in rural India. The integration of administrative reforms with technology adoption has enhanced transparency, participation, and accountability in the implementation of rural programmes, while simultaneously expanding access to public services in remote and underserved areas. This is our India under the leadership of our Shri Narendra Modi ji. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती एस. फांगनॉन कोन्याक): श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा, आप गुजराती में बोलेंगी।

SHRIMATI RAMILABEN BEHCHARBHAI BARA (Gujarat): Madam Vice-Chairperson, I will speak in Gujarati. & “Today, I have the privilege of participating in the discussion on a very important subject—the Working of the Ministry of Rural Development. First of all, I would like to congratulate the hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, and the hon. Minister, Shri Shivraj Singh Chouhan. When we are discussing rural development, I would like to begin by sharing my own experiences. I come from a rural area, from a village. The village where I was born had neither a school nor proper roads. In fact, there were hardly any facilities. I am referring to the period soon after the country gained independence, when the Congress Government was in

& English translation of the original speech delivered in Gujarati.

power. When I was born, the conditions in my village were extremely difficult. To go to school, we had to cross rivers and streams because there were no roads. There were no proper arrangements for schooling in the village. There was no facility for drinking water. Water had to be carried from distant places keeping pots on our heads. People spent hours drawing water from wells to fill their pots. For cooking, we had to go into the forest to collect firewood. When I speak about these situations, I speak about my own personal experience.

Today when we are progressing under the leadership of the hon. Prime Minister, I would like to compare the condition of villages today with what they were in the past. At that time, they were only name-sake villages, but the soul of the nation that is said to reside in villages did not truly find a place there. Villages were neglected and underdeveloped, and migration in search of employment was increasing. For basic necessities such as food, clothing, and shelter, people were compelled to leave their villages. It is often said that humans created cities, and nature created the countryside. However, those villages were not the ideal villages as envisioned by Mahatma Gandhi. When hon. Prime Minister of India Shri Narendrabhai Modi, who now leads the nation, became the Chief Minister of Gujarat, he focused on the development of villages. I come from Gujarat; so, I will certainly speak about Gujarat. The entire tribal belt from Amirgarh to Umargam had almost no development. There were no roads, no drinking water facilities, no schools, and no electricity. In short, there was a severe lack of basic infrastructure.

When the Bharatiya Janata Party formed the Government in Gujarat and Shri Narendrabhai Modi became the Chief Minister, he carefully studied all these issues and took decisive steps to address them. He worked to ensure that development reached the entire tribal belt, focusing on providing infrastructure, making villages prosperous, preventing migration, and ensuring that villages were equipped with essential facilities. Today, I feel proud to say that during the time when the Congress party was dominant and in power; the tribal areas had almost no schools. There were no science schools, and the system was such that tribal children had a very little opportunity to study science. However, when hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, became the Chief Minister of Gujarat, he declared that tribal sons and daughters should become scientists, doctors, and engineers. At the same time, he emphasized that educational facilities must be made available in every region of the state. As a result, science faculty schools were established in every taluka. Today, science faculty schools exist at every taluka headquarters, and colleges have been established at every district headquarters. Hon. Prime Minister of India, Shri

Narendrabhai Modi, continued further. When he assumed office as the Prime Minister in 2014, the situation of villages across the nation was also challenging. Rural areas were facing serious difficulties, and migration from villages to cities was steadily increasing. Villages needed to be revived and strengthened. Under the leadership of the hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, the entire team worked with great dedication in this direction. Through sustained efforts and initiatives, villages across the country are gradually gaining access to essential facilities and opportunities.

At this point, I would also like to remember the late Shri Atal Bihari Vajpayee. In 1998-99, when he was leading the country, he recognized that villages could progress only if they were connected by roads. With this vision, he launched the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and initiated the work in a phased manner to connect villages with proper roads. However, after the end of his leadership, many of these efforts slowed down. The work on roads halted, and projects such as connecting rivers also came to a standstill. I am happy to mention that when hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, assumed leadership of the country in 2014, he carried forward this vision and accelerated the work. Today, villages across the country are connected by paved roads. Once villages are connected by roads, other facilities naturally follow. Farmers can easily carry out agricultural activities. They can transport their produce to markets and bring raw materials through road connectivity. Similarly, when we talk about providing tap water supply in villages, it becomes possible only when raw materials can be transported through roads so that pipelines can be installed, wells can be dug, and the necessary materials can reach villages. Schools can be constructed and many other facilities can be developed. Today, these facilities are available in villages.

When I compare the village of my childhood with the villages of today, there is a vast difference—like the difference between the heaven and the earth. Today, villages have all essential facilities. There are toilets in villages. There are schools. Villages now have electricity available twenty-four hours a day. Children no longer have to travel far to pursue their education. Not only that, small-scale industries are now developing in villages. Women are becoming self-reliant. Through self-help groups, rural women are undertaking small economic activities and have established connections with banks. Animal Husbandary has also developed significantly, and the fisheries sector has grown as well.

A short while ago, a respected member from the Opposition mentioned that poor communities, including SC and ST groups, do not have adequate facilities. Perhaps he was referring to the period when the Congress Government was in power. Today, under the leadership of hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, attention has been given to the most backward communities. In my own region, there is a Kathodi community that remained neglected for many years. By making special budgetary provisions and providing necessary facilities, our Government has worked to bring such communities into the mainstream. Hon. Chairperson Madam, across the country, there were also many extremely backward districts that remained neglected during the Congress Government. They did not receive the attention they required. After conducting surveys of such districts, hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, ensured that they would be brought into the mainstream. Separate Budgetary provisions were made, and district collectors were given the authority to implement development initiatives. Because of the tireless efforts of hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, and his Government's team, these districts are gradually being integrated into the mainstream. Furthermore, many people live in hilly and remote regions, especially in tribal areas. For decades after independence, these areas remained completely underdeveloped, with no roads and no electricity. On one side, there was the challenge of protecting the environment and, on the other side, the presence of protected forests. However, our visionary Prime Minister found solutions for these challenges as well. Through the development of ropeway connectivity, while protecting the environment and forests, facilities are being extended to these difficult mountainous regions. Moreover, several other schemes and initiatives have also been introduced to strengthen rural development.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRIMATI RAMILABEN BEHCHARBHAI BARA: Please give me two minutes. Through numerous initiatives, hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, has worked continuously in this direction. If we look at the North-Eastern States, many of them are largely tribal regions. Similarly, areas affected by Left-wing extremism are also largely tribal. Special provisions have been made to stabilize the youth in these regions and strengthen the villages there.

Finally, through new legal and policy initiatives, efforts are being made to ensure that villages become strong and prosperous, move forward, generate employment locally, and prevent migration from rural areas. In this way, under the leadership of hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, and his team, the

country is moving forward toward the vision of a developed India by 2047. With these words, I once again thank our respected leader. Hon. Prime Minister of India, Shri Narendrabhai Modi, and the hon. Minister of Rural Development. I hereby conclude my speech. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Jai Garvi Gujarat. 'Oh! Hail the Pride of Gujarat', 'Oh! Hail the Pride of Gujarat'."

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Further discussion on the working of the Ministry of Rural Development will be continued tomorrow. Now, we will take up Special Mentions. Shri Ashokrao Shankarrao Chavan.

SPECIAL MENTIONS

Demand to include Maratha Military Landscapes in the UNESCO World Heritage List

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्र): महोदया, मैं सरकार का ध्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को ऐतिहासिक रूप से शामिल किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह सम्मान राष्ट्र के लिए और विशेष रूप से महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली विरासत से जुड़े अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। रायगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सिंधुदुर्ग किला और शिवनेरी किला जैसे मराठा किले स्वदेशी सैन्य वास्तुकला, रणनीतिक पहाड़ी किला निर्माण योजना, तटीय रक्षा प्रणालियों और पर्यावरण अनुकूलन के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ये किले 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के प्रतिरोध, प्रशासनिक दूरदर्शिता और समुद्री ताकत का प्रतीक हैं। इसलिए इनका दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इनमें से कई किले जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और इन्हें संरचनात्मक गिरावट, अनियमित पर्यटन और अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह पर्याप्त वित्तीय आवंटन, वैज्ञानिक पुनरुद्धार, डिजिटल प्रलेखन और बेहतर आगंतुक सुविधाओं के साथ एक व्यापक संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करे। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन किलों में विरासत पर्यटन, निर्देशित पर्यटन और सांस्कृतिक प्रचार के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस अमूल्य विरासत की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए और इसे राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक अवसर के मॉडल में बदले, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Ashokrao Shankarrao Chavan: Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), and Shrimati Rajathi (Tamil Nadu).

Now, Shrimati Sudha Murthy.

Need for a mandatory national legal framework to address bullying and cyberbullying in schools

SHRIMATI SUDHA MURTHY (Nominated): I draw the attention of the Government towards the serious issue of bullying and cyber-bullying among school children. Recent tragedies across the country have shown that this is not just a personal matter between children, but a failure of institutional accountability. The PARAKH Rashtriya Sarvekshan, 2024 report by NCERT highlights the scale of this crisis. It reveals that 32 per cent of the students in Indian schools are teased or mocked, 24 per cent face physical pushing or hitting, and 22 per cent are threatened by their peers. Alarming, only 45 per cent of the students find it comfortable to talk to someone when they feel upset. Despite these figures, only 70 per cent of schools have reported having an anti-bullying policy in place.

While the National Education Policy, 2020 emphasizes mental health, many schools still lack the necessary counsellors. The Manodarpan tele-helpline has already extended guidance to over 3.2 lakh calls, which clearly indicates the immense psychological needs of our students. However, a helpline is a support tool, not a substitute for on-ground safety. Currently, there are only advisory guidelines from the National Commission for Protection of Child Rights and the Ministry of Education. As there is no mandatory national law, implementation is inconsistent across different States and school boards.

I humbly request the Government to enact a mandatory national framework that includes emotional sensitivity, training in the curriculum and clear and time-bound reporting mechanism. Every school must be legally obligated to provide a safe and dignified environment to fulfill our commitment to the welfare of our children. Thank you, Madam, *Jai Hind*.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shrimati Sudha Murthy: Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri P.P. Suneer (Kerala) and Dr. John Brittas (Kerala).

Now, Shri Lahar Singh Siroya.

Need for expansion of *Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras* through collaboration with the Department of Posts for affordable medicines

SHRI LAHAR SINGH SIROYA (Karnataka): Madam, the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana is one of the most revolutionary ideas of the NDA Government to supply quality generic medicine at an affordable cost. To take this even closer to the people, there is an urgent need to proliferate Jan Aushadi Kendras across urban, rural and remote corners of all the States. In this effort to build physical infrastructure and network for Jan Aushadi Kendras, I feel that collaboration is necessary between the Health Ministry and the Department of Posts which has more than 25,000 post offices across the nation. The generic medicine shops can be set up in post office buildings and vacant lands belonging to the postal department. This collaboration will further help to rebrand the postal department. Also, the postal department can be utilized to transport medicines from warehouses to Jan Aushadhi Kendras across the nation.

Since India Post has the largest last-mile delivery network in the country, it can be used for doorstep delivery of Jan Aushadhi medicines too. Patients can place orders for medicines online. For this purpose, the Jan Aushadhi portal can be integrated with the India Post portal. Doorstep delivery of medicines will particularly benefit senior citizens, patients in rural and remote areas and persons with limited mobility. I urge the Government to look into it. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Lahar Singh Siroya: Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ghanshyam Tiwari (Rajasthan), Shri Rajathi (Tamil Nadu), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir) and Dr. John Brittas (Kerala).

Now, Dr. Fauzia Khan.

Concern over India's missing protocol on Maternal Mental Health

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Thank you, Madam, for giving me the opportunity. Today, I rise to address a silent crisis that touches every district of this nation, yet remains largely invisible within our health infrastructure. Recent meta-analyses estimate postpartum depression affects between 19 and 23.5 per cent of Indian mothers, figures climb to nearly 30 per cent in certain rural and peri-urban settings. Far too many women carry this hidden burden in silence, across countless cradles, with no trained hand extended towards them. The consequences are grave. Impaired mother-infant bonding, compromised child cognitive development,

deepening family strain, the quiet anguish behind closed doors in our villages and cities alike represent a public health concern we can no longer defer. India has no standardised national protocol for routine perinatal mental health screening. Mothers deserve more than survival. Our existing infrastructure, Ayushman Bharat's Health and Wellness Centres, *Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan*, ASHA and ANM networks offer a ready platform. The Edinburgh Postnatal Depression Scale, adapted and validated for Indian contexts, can be integrated affordably.

I urge the Government and the Minister present here to develop a national perinatal mental health protocol, mandate routine screening within existing maternal schemes, and equip frontline workers with training and referral pathways in full alignment with WHO recommendations. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Fauzia Khan: Shri P.P. Suneer (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu) and Dr. John Brittas (Kerala).

Now, Shriman Maharaja Sanajaoba Leishemba.

Concern over repeated disturbances of Indo-Myanmar Border fencing along Manipur Sector

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Thank you, Madam, for giving me the opportunity. India shares a 1,643 Km long border with Myanmar passing four North Eastern States — Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram -- and Manipur alone shares around 398 Km with Myanmar. Previously, there was no border fencing and Free Movement Regime was implemented along this border. But, due to the rise in insurgent activities, cross-border infiltration, drug smuggling and other illegal activities, the Government of India started border fencing on war footing and, as of September, 2024, more than 30 Km long border fencing work has already been completed and the Free Movement Regime has also been scrapped. However, the highest number of disturbances related to border fencing are being reported in Manipur sector. In December 2025, iron fencing poles at the border of Chandel District, Manipur, were cut twice. Again, similar incidents were reported along the border of Tengnoupal District, Manipur in August, 2025, and equipment used for fencing construction were also found stolen. Again, in January, 2026, 47 iron poles of approximately 150 metres of fencing were found damaged at the border of Chandel District. Furthermore, up to the end of February, 2026, 11 IEDs were

detected and diffused along the Indo-Myanmar Border in Tengnoupal District, Manipur. These incidents are willful disturbances posing serious challenges to the National Security. I urge the Government to thoroughly examine the matter and take appropriate and timely action, so that the border fencing work could be continued without any hindrance and completed at the earliest. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba: Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir) and Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh).

Now, Shriman I.S. Inbadurai.

Concern over disturbances in LPG gas supply

SHRI I.S. INBADURAI (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairperson, I seek to bring to the attention of the Government a pressing issue affecting the hospitality sector and common people. The restaurant and food service industry, heavily reliant on commercial LPG, is on the brink of crisis due to supply disruptions. No viable alternatives like PNG or electric cooking exist for most establishments. This is not just about businesses; it is about livelihoods of thousands of workers and the public's daily food needs. Domestic LPG supply to households is equally critical. We have seen the Government's efforts for households, now we urge to ensure uninterrupted LPG supply for commercial and domestic use. The Government should act swiftly to safeguard livelihoods and public welfare. I urge the Government to ensure that LPG supply continues uninterrupted. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri I.S. Inbadurai: Dr. M. Thambidurai (Tamil Nadu), Shri R. Dharmar (Tamil Nadu), Dr. M. Dhanapal (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Demand for expediting the issue of NOC from Airport Authority of India for building construction in Puducherry

SHRI S. SELVAGANABATHY (Puducherry): Madam, the subject of my Special Mention is, "Demand for expediting the issue of NOC from Airport Authority of India for building construction in Puducherry." I would like to draw the attention of the Government to an important issue that directly affects the citizens of Puducherry, that

is, the matter of airport authority clearances for building construction. At present, the process of granting such clearances often involves deputing surveyors from Chennai. While the diligence of these officials is acknowledged, this practice has led to unnecessary delays, logistical complications and unavoidable hardships for the people of Puducherry. A clearance that should take days often stretches into weeks and sometimes months, thereby stalling development projects, frustrating home-owners and discouraging investment. Many instances show that application submitted for No Objection Certificate (NOC) from Airports Authority of India has led to a serious bottleneck in the housing sector. When applications for NOC from the Airports Authority face delays or rejections, it can derail entire housing projects, leaving families financially strained and emotionally disappointed. Puducherry has its own qualified and approved surveyors. These professionals are well versed with the local geography, regulations and community needs. By empowering surveyors from Puducherry itself to carry out these tasks will ensure that clearances are granted expeditiously, transparently and in a manner that respects the time and aspirations of our citizens. I, therefore, urge the Government to consider this reform allowing Puducherry's approved surveyors to handle such clearances and expedite the issue of NOC. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The hon. Member, Dr. John Brittas (Kerala), associated himself with the Special Mention made by the hon. Member, Shri S. Selvaganabathy.

Shri Sant Balbir Singh. He will speak in Punjabi.

Demand for providing government assistance for transporting the mortal remains of Indian Citizens from airports to their homes

SHRI SANT BALBIR SINGH (Punjab): & Madam Vice-Chairman, I draw the Government's attention to a very sensitive issue related to humanitarian concerns. Every year, many Indian citizens travel abroad for employment, education or other purposes. Unfortunately, due to various reasons, some of them pass away while on foreign soil. In such situations, the Government of India facilitates repatriation of the mortal remains to India, which involves expenses running into several lakhs of rupees. However, once the body reaches India, transporting the mortal remains from the airport to the deceased person's home becomes a major challenge for the family. At a

& English translation of the original speech delivered in Punjabi.

time when families are already overwhelmed with grief, they are forced to face numerous difficulties in arranging transportation from the airport to their village or city. One of the biggest challenges they face is financial problems. In many cases, private vehicle operators take advantage of the situation and demand excessively high fares, placing an additional burden on families who are already going through emotional and financial distress.

Madam, I urge the Government to address this issue by establishing a compassionate and systematic mechanism. Special Assistance Centres should be set up at airports to provide immediate help and guidance to families. The Government should also arrange official vehicles to transport mortal remains to their homes free of cost, or at highly subsidized, standardized rates based on distance. Such a step will strengthen citizens' trust in the Government and assure people that even in their difficult moments their Government stands firmly by their side.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PHANGNON S. KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shri Sant Balbir Singh: Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Now, Shrimati Rajathi.

Need to expand affordable housing for working women nationally

SHRIMATI RAJATHI (Tamil Nadu): Madam, I draw the attention of the Government to the issue of affordable housing for working women in India. The Economic Survey, 2025-26, rightly identifies the role of affordable rental housing in improving women's access to urban jobs. *Mission Shakti* website of Women and Child Development Ministry indicates that we have 500 hostels that support 5.3 lakh women, among which 200 are in Tamil Nadu and Kerala. We do not have enough functional Working Women's Hostels nationally to support the generation of women entering the workforce in the coming years. At this juncture, I would like to request the Government to further strengthen the focus on urban housing measures in all major cities and towns in India to enable labour mobility among women. This strengthening could take best practices from *Thozhi Hostels* initiative of the Tamil Nadu Government, which was acknowledged in the Economic Survey as a practical blueprint for States seeking to expand women's workforce participation. I urge the Government to look into it.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PHANGNON S. KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shrimati Rajathi: Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Now, Shri Sadananand Mhalu Shet Tanavade.

**Demand for inclusion of tenant farmers from Goa under *PM-KISAN*
Samman Nidhi Scheme**

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (Goa): Madam, I draw attention of the Government to the urgent need for inclusion of tenant farmers from Goa under the PM-KISAN Samman Nidhi Scheme. This flagship initiative of the Government of India has been transformative for farmers across the country, providing crucial income support, and has been widely appreciated. Goa has approximately 52,000 cultivating farmers. However, due to the existing eligibility condition requiring land ownership, only about 6,000 farmers in the State currently benefit from the scheme. Under the Goa Agricultural Tenancy Act, 1964, tenant cultivators enjoy rights equivalent to landowners for cultivation. They are treated as deemed owners under State law and are eligible for several State agricultural schemes. Currently, over 20,000 farmers in Goa are registered as tenant farmers, inheritors of tenants, or in similar categories. Inclusion of these tenant farmers under PM-KISAN would significantly broaden the scheme's reach, benefiting a large number of small and marginal farmers, who form more than 80 percent of Goa's agricultural community. For them, the annual assistance of Rs. 6,000 is vital to cover input costs and cope with distress situations. Agriculture in Goa is not only critical for food security but also preserves the State's natural landscape, which supports its tourism-driven economy. I request the Government to kindly approve the inclusion of tenant farmers from Goa under the PM-KISAN scheme, so that all deserving cultivators get the support they need.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PHANGNON S. KONYAK): Hon. Member, Dr. John Brittas (Kerala), associated himself with the Special Mention made by hon. Member, Shri Sadananand Mhalu Shet Tanavade.

Now, Dr. John Brittas.

Demand for setting up AIIMS in Kozhikode, Kerala

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Madam, Vice-Chairperson, in an effort to address regional disparities in the accessibility and affordability of advanced tertiary healthcare services across the nation, Government has been establishing new AIIMSs in various States under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) Initiative. A total of 22 AIIMS have been announced so far under PMSSY in various States. Kerala is, perhaps, the only major State that does not have an AIIMS. The demand to set up an AIIMS in Kerala dates back over a decade. Despite Kerala's remarkable achievements in healthcare, it lacks a Union Government-funded institution of national Importance for tertiary healthcare and research. Kerala identified Kinalur in Kozhikode district as the proposed site for AIIMS, which is having all required facilities to cater to the requirements for establishment of AIIMS, and formally communicated the same to Centre requesting sanction. In answers to written Questions raised by me in Rajya Sabha on 25.07.2023 and 03.12.2024, Government revealed that the proposal for AIIMS in Kerala has not been approved under the current phase of PMSSY. However, the Minister of Health and Family Welfare had assured in Rajya Sabha, during its 265th Session, that Kerala is being considered for setting up an AIIMS. Therefore, I earnestly urge upon the Government to expeditiously grant approval for the establishment of AIIMS at Kinalur in Kozhikode district in Kerala.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. John Brittas: Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala) and Shri P. P. Suneer (Kerala). Shri Sanjay Raut; not present.

Now, Dr. Medha Vishram Kulkarni.

Demand for inclusion of Alandi under the Temple Town Development Framework

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI (Maharashtra): Madam, Vice-Chairperson, I demand for the inclusion of Alandi, the sacred temple town of Marathi Sant Dnyaneshwar Maharaj in Pune district, Maharashtra, under the Temple Town Development framework announced by the Union Government. Alandi is one of the most revered pilgrimage centres in the country and holds exceptional spiritual, cultural and historical importance. It witnesses the arrival of lakhs of devotees annually, particularly during the Ashadhi and Kartiki Wari, placing immense pressure on civic infrastructure, sanitation, traffic management, public amenities and

environmental resources. Despite its national spiritual significance, Alandi continues to face serious challenges arising from unplanned urbanisation and inadequate infrastructure. The recent Union Budget's emphasis on strengthening infrastructure in temple towns and Tier-II cities provides a timely and appropriate policy opportunity to address these long-standing issues. Inclusion of Alandi under this framework will enable focused investments in pilgrim facilities, sanitation, sewage and solid waste management, riverfront development, flood control, public transport, parking, road connectivity and heritage conservation. Further, Alandi's identity is inseparably linked with the Indrayani River, which requires urgent rejuvenation and pollution control. Temple town status will facilitate integrated planning for river restoration, alongside urban development, ensuring environmental sustainability and public health.

I, therefore, urge the Government to formally include Alandi under the Temple Town Development Programme, so that its spiritual legacy is preserved while ensuring modern infrastructure, improved quality of life for residents and a dignified experience for pilgrims from across the country.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Dr. Medha Vishram Kulkarni: Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh) and Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir).

The House stands adjourned to meet at 11.00 A.M. on Thursday, the 12th March, 2026.

The House then adjourned at fifty-five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 12th March, 2026

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)